बृहस्पतिवार,
१० सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १० सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवाआठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पंजाब में सिंचाई की छोटी योजनाएं

*११८१. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने वर्ष १९५३-५४ के लिये अपने राज्य में सिंचाई की छोटी योजनाएं केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत जो योजनाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य थीं उन सब को मंजूर कर लिया गया है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : इन राशियों की मंजूरी देते समय क्या पंजाब सरका पिछड़े हुए क्षेत्र और विकसित क्षेत्रों के बीच कोई भेद भाव करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारा अनुमान है कि राज्य सरकारें विचार करते समय समस्त संगत बातों को ध्यान में रखती हैं । हम अन्य बातों पर विचार नहीं करते । हम तो केवल सिफारिशों पर ध्यान देते हैं ।

श्री बंसल : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि उनका अनुमान लगाना बिल्कुल ग़लत है तथा अनेक पिछड़े हुए क्षेत्रों को कोई भी सहायता नहीं दी जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस बात का कोई कारण दिखलाई नहीं पड़ता कि मेरे मित्र मेरे वक्तव्य से असहमत क्यों हैं । हम पिछड़े हुए या अन्यथा, किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते । राज्य में विभिन्न क्षेत्रों की अनेक ज़रूरतों पर विचार करने का काम राज्य सरकार का है तथा हमारे पास जिस हालत में योजनाएं आती हैं हम उसी हालत में उनको मंजूर कर देते हैं ।

श्री एस० एन० दास : राज्य सरकारों को छोटी सिंचाई योजनाएं भेजनी पड़ती हैं या यह पंजाब के ही साथ विशेषरूप से हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रत्येक राज्य अपनी अपनी योजनाएं भेजता है ।

श्रीमती ए० काले : क्या सरकार को यह मालूम है कि सिंचाई की छोटी परियोजनाओं के संबंध में मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के साथ

अन्याय किया गया है, और यदि हां, तो क्या केन्द्र का राज्यों के ऊपर कोई नियंत्रण है अथवा नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसका संबंध पंजाब से है ?

श्रीमती ए० काले : माननीय मंत्री ने बतलाया कि विचार करते समय वह केवल संगत बातों को ध्यान में रखते हैं। मुझे पता लगा है कि मध्य प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनाओं के संबंध में अन्याय किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या को यह मालूम होना चाहिये कि जब प्रश्न का संबंध सामान्य सिद्धांतों को किसी विशेष राज्य के बारे में लागू करने से हो, तो मैं अन्य राज्यों के बारे में ब्यौरेवार प्रश्न नहीं पूछने दे सकता।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या इन में से छोटी सिंचाई की योजनाएं सामूहिक परियोजनाओं के क्षेत्र में भी आती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कहां ?

कुमारी एनी मस्करीन : पंजाब में।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं बतला सकता। वे आ सकती हैं। कोई रोक नहीं है।

श्री सी० डी० पांडे : माननीय मंत्री ने अभी बतलाया है कि समस्त योजनाओं को, यहां तक कि छोटी सिंचाई योजनाओं को भी, केन्द्रीय सरकार के पास भेजना होता है। क्या मैं यह समझ लूं कि राज्यों को उन योजनाओं को भी केन्द्रीय सरकार के पास भेजना होता है जिनके संबंध में स्वयं उनके अपने संसाधन उपलब्ध होते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, श्रीमान्। यह अधिकतर वे मामले होते हैं जनमें हमें ऋण देना होता है। बहुत ही कम मामलों में हम आर्थिक सहायता देते हैं। अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत अनेक मद हैं तथा उनके संबंध में नियम भी बनाये जा चुके हैं। जहां तक इन सब योजनाओं का संबंध है यह सब अधिकतर राज्यों में छोटी सिंचाई के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण लेने के बारे में हैं।

श्री बंसल : पिछड़े हुए ज़िलों के संबंध में पंजाब सरकार ने जो योजनाएं भेजी हैं क्या भारत सरकार उनके संबंध में कोई और विवरण मांगेगी तथा इस बात का पता लगायेगी कि पंजाब सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार में यह सब शिकायतें पंजाब सरकार से की जानी चाहिये तथा मध्य प्रदेश के संबंध में जैसा कि श्रीमती काले ने निर्देश किया है—मध्य प्रदेश सरकार से।

प्रो० डी० सी० शर्मा : यदि छोटी सिंचाई योजनाओं के संबंध में प्रार्थनापत्र केवल राज्य सरकारों द्वारा ही दिये जा सकते हैं तो क्या सदन के सदस्य इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार में ऐसा नहीं है। सदन के सदस्य राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की आलोचना कर सकते हैं, किंतु जहां तक हमारा संबंध है, हम उनकी पसन्द की गई योजना के संबंध में हस्तक्षेप करके कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं।

आनन्द तथा बड़ौदा के बीच दोहरी लाइन

*११८२. **श्री दाभी** : रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार आनन्द तथा बड़ौदा स्टेशनों के बीच दोहरी लाइन बनाने का है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : प्रस्ताव अब भी विचाराधीन है।

श्री दाभी: इसपर कब तक विचार किये जाने की संभावना है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह बतलाना तो कठिन है कि हम इस मामले में अन्तिम निश्चय कब तक कर सकेंगे परन्तु इस मामले पर, कांडला बन्दरगाह में हाल ही में विकास हो जाने के फलस्वरूप, विशेष रूप से विचार किया जा रहा है तथा हमें आशा है कि बहुत सा यातायात जो इस लाइन पर होता है वह कांडला की ओर होने लगेगा ।

श्री दाभी: क्या यह सत्य है कि आनन्द तथा बड़ौदा के बीच २२ मील के इस टुकड़े को छोड़ कर अहमदाबाद तथा बड़ौदा के बीच पूरे ३०६ मीलों में दोहरी लाइन की व्यवस्था है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने स्वयं यह सूचना दी है । माननीय सदस्य इसे जानते हैं । मैं इसे सदन में पूछने की अनुमति नहीं देता । माननीय सदस्यों का इस थोड़े से टुकड़े में दोहरी लाइन की व्यवस्था कराने के लिये इस प्रकार पूछना चाहिये--शेष मार्ग---२७० मील आदि--दोहरी लाइन है । यह उत्तर देने के लिये प्रश्न नहीं है ।

श्री दाभी : श्रीमान्, अन्य प्रश्न.....

उपाध्यक्ष महोदय : और कुछ नहीं । महत्व रखने वाले छोटे प्रश्नों के संबंध में मुझे पसन्द करनी पड़ेगी । जहां तक २२ मील के टुकड़े का संबंध है मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री दाभी : मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं ; माननीय सदस्यों को अपनी अपनी पसन्द से काम लेना चाहिये । दूसरा प्रश्न ।

रेलवे स्टोर्स जांच समिति

*११८३. **श्री तुलसीदास** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि (१) स्टोर्स की खरीदारी की प्रक्रिया का अभिनवीकरण करने तथा (२) ईंधन की चोरी और बर्बादी को रोकने के लिये 'रेलवे स्टोर्स जांच समिति' की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (१) इस सिफारिश को क्रियान्वित करना संभव नहीं हो सका क्योंकि निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय के साथ, जिस पर कि अधिकतर रेलवे स्टोर्स के खरीदने का इस समय उत्तरदायित्व है, कोई अन्तिम समझौता नहीं हो सका ।

(२) इस विषय पर 'रेलवे स्टोर्स जांच समिति' द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है ।

कार्य निपुणता कार्यालय ऐफीशियेंसी ब्यूरो

*११८४. **श्री तुलसीदास** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय रेलों पर सन् १९५२ में प्रकाशित श्वेत-पत्र में वर्णित 'कार्य-निपुणता कार्यालय' की क्या केन्द्र में स्थापना हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन में कार्य-निपुणता बढ़ाने तथा मितव्ययता लाने के लिये इसने क्या कार्य किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में कब पग उठाने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क), (ख) और (ग). 'कार्य-निपुणता कार्यालय' में कितने और कौन कौन व्यक्ति हों इस बात पर विस्तार से विचार हो रहा है और इसलिये इस कार्यालय ने अभी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है ।

किंतु इसकी स्थापना के संबंध में शीघ्र ही क़दम उठाया जाने वाला है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि इस योजना पर विचार प्रारम्भ होने से अब तक कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से उठता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न का संबंध रेलवे प्रशासन में कार्य-निपुणता में वृद्धि करना तथा मितव्ययता लाना है । अगला प्रश्न ।

सफदरजंग हवाई अड्डा

*११८५. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार दिल्ली के समीपवर्ती सफदरजंग हवाई अड्डे की जगह कोई और नया हवाई अड्डा बनाने का विचार रखती है ?

(ख) यदि ऐसी बात है, (१) तो इस पर क्या लागत आयेगी, और (२) यह कहां स्थापित किया जायगा ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, पर यदि पालम को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करना संभव न हो सका तो नागरिक उड्डयन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दिल्ली एक नया हवाई अड्डा बनाया जा सकता है ।

(ख) जब नवीन हवाई अड्डे को स्थापित करने का निर्णय हो गया, तो यथासमय इसके बारे में विस्तृत बातें निर्धारित की जायेंगी ।

पालम हवाई अड्डा

*११८६. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **संचरण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पालम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाप के अनुसार विकसित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो ऐसा करने की अतिरिक्त लागत क्या होगी ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हां ।

(ख) लगभग एक करोड़ रुपया यदि यह एक असैनिक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिये उपलब्ध हो सके ।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि पालम हवाई अड्डा रक्षा मंत्रालय तथा संचरण मंत्रालय दोनों के द्वैध नियंत्रण में है ?

श्री जगजीवन राम : यह तथ्य है कि दोनों ही विभाग उसका प्रयोग अपने कार्यों के लिये कर रहे हैं ।

श्री गिडवानी : क्या अपेक्षित सुधार वित्तीय कठिनाइयों के कारण नहीं किये जा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : वित्तीय कठिनाईयों के कारण नहीं । आज कल यह हवाई अड्डा वायुसेना के अधिकार में है परन्तु इस का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय अड्डे के रूप में भी किया जा रहा है और हमने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में सभी अपेक्षित न्यूनतम सुविधाओं का प्रबन्ध कर दिया है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं श्रीमान, कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाप के आधार क्या हैं और हम किस प्रकार उनकी तुलना में पिछड़े हुए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब हम एक एक पद की व्याख्या करेंगे । यह तो स्वीकार किया जा चुका है कि यह हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाप से पिछड़ा हुआ है ।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि पालम हवाई अड्डे को ठीक करने के लिये कोई एक करोड़ रुपये का खर्च होगा । क्या अभी बिना उसके काम नहीं चल रहा है, इस समय की आर्थिक

स्थिति में एक करोड़ को जल्दी से खर्च करने में क्या लाभ होगा ?

श्री जगजीवन राम : बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको, आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी, करना ही पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री शेष सदन के लिये भी उत्तर दे सकते हैं। उनके लिये हिंदी में ही उत्तर देना आवश्यक नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : कई लोग अंग्रेजी भी नहीं समझते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा दोनों में बोलिये ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : लेकिन जो सवाल नहीं समझेंगे वह जवाब कैसे समझेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस भाषा में उनका जी चाहे ।

श्री जगजीवन राम : इंटरनेशनल स्टैन्डर्ड में कुछ सुविधायें देना ज़रूरी रहता है, कम से कम जो सुविधा होनी चाहिये, आज पालम एयर पोर्ट में उपलब्ध हैं लेकिन जिन जिन उपादानों की और भी आवश्यकता होती है उनका प्रबन्ध करना आवश्यक होता है और उन सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिये खर्च करना पड़ सकता है ।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार पालम हवाई अड्डे में रात्रि में शयन करने का प्रबन्ध करने का विचार करती है—जैसे कि रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षा कक्ष होते हैं क्योंकि रात्रि में देर हो जाने पर तथा प्रातःकाल बहुत सबेरे यात्रियों के लिये यह संभव नहीं होता है कि वे कहीं जा सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह भी अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर की बात है ?

श्री जगजीवन राम : हमने हवाई अड्डों में यात्रियों के लिये सभी उचित सुविधाओं का प्रबन्ध कर दिया है । वहां एक बहुत सुन्दर कैनटीन, विश्राम स्थल तथा अन्य वस्तुओं का प्रबन्ध कर दिया गया है । कुछ यात्री, इच्छा होने पर, वहां विश्राम भी कर सकते हैं ।

हैदराबाद में गेहूं के स्टाक की बिक्री

*११८७. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद राज्य सरकार की इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि चूंकि राजकीय कैटिकीविद् ने राज्य सरकार को सावधान किया है कि गेहूं का यह भंडार छै मास बीतने पर उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो जायगा इसलिये हैदराबाद की राज्य सरकार के पास गेहूं का जो भंडार है उसे वह कम दाम पर बिक्रय कर दें ?

(ख) क्या हैदराबाद की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पुनः यह प्रार्थना की कि यदि गेहूं समय से न बेच दिया गया तो राज्य को भारी हानि उठानी पड़ेगी ?

(ग) क्या सरकार ने हैदराबाद की राज्य सरकार की प्रार्थना पर विचार किया ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) नहीं, श्रीमान । वास्तव में हैदराबाद की सरकार को परामर्श दिया गया था कि इस प्रकार का गेहूं स्थानीय रूप से बेच दिया जाय यहां तक कि आवश्यकता पड़े तो उपभोक्ता के बिक्री के मूल्य को भी घटाया जा सकता है । अस्वीकार तो उनकी यह प्रार्थना की गई थी जिसके अनुसार वे हैदराबाद के रोलर फ्लोर मिल को उत्तम श्रेणी का आटा अर्थात् मैदा, सूजी इत्यादि बनाने के लिये कम मूल्य पर गेहूं बेच देना चाहते थे । क्योंकि इससे देश के अन्य रोलर

फ्लोर मिलों पर खराब प्रभाव पड़ता जिनको गेहूं का संभरण निश्चित मूल्य पर किया जाता है।

(ख) तथा (ग). हैदराबाद की सरकार के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि कि यह गेहूं इस राज्य के अन्दर के तथा बाहर के रोलर फ्लोर मिलों को साधारण आटा बनाने के लिये दे दिया जाय उत्तम श्रेणी का आटा जैसे मैदा, सूजी इत्यादि बनाने के लिये नहीं।

श्री गिडवानी : क्या यह तथ्य नहीं है कि हैदराबाद की सरकार ने भारत सरकार को बताया था कि उनको १५ लाख रुपये का घाटा हो रहा है जो कि वह सहन करने के योग्य नहीं हैं और इसीलिये वह इस भंडार को बेचना चाहते थे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह तथ्य है कि उन्होंने एक अभ्यावेदन भेजा था। परन्तु जहां तक धन राशि का संबंध है उन्होंने वह धन राशि नहीं बताई थी जो माननीय सदस्य ने बताई है। वे कहते थे कि उनको कम दाम पर रोलर फ्लोर मिल को गेहूं संभरण करने की आज्ञा दे दी जावे जो हमें स्वीकार नहीं था क्योंकि हम एक निश्चित मूल्य पर भारत के सभी रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं का संभरण कर रहे हैं।

श्री पुन्नूस : क्या यह तथ्य है, जैसा १९ जून के "ईवनिंग न्यूज़" में प्रकाशित हुआ था, की राजकीय कैटिकीविद् ने सिफ़ारिश की थी कि यदि वह गेहूं तुरन्त ही बेच दिया जाय तो दस लाख रुपये की हानि होगी और यदि विक्रय में छः मास का विलम्बन किया गया तो हानि १५ लाख रुपये की होगी।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हैदराबाद के पास ९,००० टन गेहूं का भंडार था। कैटिकीविद् ने सिफ़ारिश की कि यदि यह छः मास में विक्रय न कर दिया गया तो यह खराब हो जायगा और सरकार को कुछ हानि होगी। ठीक ठीक धन राशि नहीं बताई गई थी।

श्री गिडवानी : क्या कैटिकीविद् के परामर्श के अनुसार वह गेहूं छै मास में विक्रय कर दिया गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह शीघ्र ही विक्रय कर दिया जायगा। हमने हैदराबाद से कहा है कि वह भारत के रोलिंग मिलों से टेंडर मंगवायें। उन्होंने टेंडर मांग भी लिये हैं और टेंडरों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि ३० अगस्त है। उनके पास अनेकानेक टेंडर आये हैं। टेंडरों की स्वीकृति पर विचार हो रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन

*११८८. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत ने चीनी उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया है तथा चालू वर्ष में क्रय विक्रय किया गया था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : एक तालिका सदन पटल पर रखी है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १**]

श्री झूलन सिन्हा : भारत सरकार के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन में भाग न लेने के निर्णयानुसार, क्या देश को चीनी का निर्यात अथवा आयात करने में कुछ हानियां रहेंगी, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में देश ने अनुभव किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, श्रीमान्।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अनुसार है कि हम कुछ देशों से चीनी आयात करें, अथवा क्या भारत सरकार तथा अन्य किसी ऐसे देश के बीच कोई विपाक्षिक समझौता हुआ है, जहां से हम चीनी का आयात करते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : चीनी का आयात एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच वार्ता के द्वारा होता है। अन्तर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन को कुछ भी निर्देश नहीं किया गया है।

श्री वी० पी० नायर : सदन पटल पर रखी गई तालिका से ज्ञात होता है कि उत्पादन तथा उपभोग में प्रति वर्ष बहुत अन्तर हो जाता है। क्या श्रीमान, हम १९५०–५१ तथा १९५१–५२ की प्रति व्यक्ति चीनी की उपभोग की गई मात्रा जान सकते हैं, जिस से यह पता लग सके कि क्या इस में इतना अन्तर हो जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : खेद है कि मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं।

श्री पुन्नूस : क्या उस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने चीनी के कोई न्यूनतम तथा उच्चतम मूल्य निश्चित किये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं जानता। किसी भी दशा में इस का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा।

अमरीकी नागरिक वैज्ञानिकी प्रशासन

*११८९. **श्री राधा रमण :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन के मंत्रालय से वर्ष १९५२ में अमरीकी नागरिक वैमानिकी प्रशासन के अन्वेषण केन्द्र में कितने भारतीय कर्मचारी प्रशिक्षा के लिये भेजे गए थे ?

(ख) क्या वे सभी सरकारी व्यय पर भेजे गए थे ?

(ग) क्या वे अपनी प्रशिक्षा समाप्त करने के पश्चात् भारत में सेवा नियोजित कर लिये गये हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नागरिक उड्डयन विभाग के चार अधिकारियों ने 'अध्ययन तथा पर्यवेक्षण' के रूप में प्रत्येक ने कुछ दिनों तक इन्डियनोपोलीस में अमरीकी नागरिक वैमानिकी प्रशासन के टेक्निकल डेवलपमेन्ट तथा इवैलुएशन केन्द्र में प्रशिक्षा प्राप्त की थी।

(ख) ये लोग अमरीका की चतुर्सूत्री योजना के अनुसार भेजे गए थे जिस में अमरीकी सरकार ने उन के यात्रा, रहने-सहने, अमरीका में आने जाने के व्यय, शिक्षा शुल्क, प्रावैधिक पुस्तकों तथा प्रकाशनों आदि सम्बन्धी सभी व्यय स्वयं ही किये थे।

(ग) ये सभी नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी थे और प्रशिक्षा के लिये प्रत्यावेदन पर भेजे गए थे; वापस आने पर उन्हों ने विभाग में अपना अपना कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया है।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान, कि अमरीका में उन का प्रशिक्षण काल क्या था ?

श्री जगजीवन राम : छः माह से ले कर नौ माह तक।

श्री राधा रमण : क्या माननीय मंत्री इन चार अधिकारियों पर किये गये व्यय को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैं बता चुका हूं, इस का सारा व्यय अमरीकी सरकार ने किया था। हम लोगों ने बहुत ही थोड़ी राशि इन अधिकारियों की चिकित्सा परीक्षा आदि पर व्यय की थी।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन अधिकारियों में से कोई अनुसूचित जातियों के अधिकारी भी हैं ?

श्री जगजीवन राम : मैं समझता हूं, नहीं श्रीमान।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रशिक्षा प्राप्त कर लौटने के पश्चात् इन अधिकारियों को वह कार्य सौंपा गया

जिस की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, अथवा उन्हें कुछ और कार्य दिया गया था ?

श्री जगजीवन राम : अधिकतर मामलों में हम उन अधिकारियों का उपयोग नागरिक उड्डयन की उन शाखाओं में ही करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिन में उन की प्रशिक्षा से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके । किन्तु कुछ मामलों में, प्रशासकीय कारणों से सभी अधिकारियों का नागरिक उड्डयन की उस शाखा में रखना सम्भव नहीं हो सकता ।

सरदार हुक्म सिंह : किन्तु क्या वास्तव में उन को उन्हीं कार्यों पर रखा गया है जिन में वे प्रशिक्षित हैं ?

श्री जगजीवन राम : चारों अधिकारियों को उन कार्यों में लगाया जायगा जिन से हम को उन की प्रशिक्षा का उच्चतम उपयोग प्राप्त हो सके ।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि चार अफसरों को ट्रेनिंग दी गई, मैं जानना चाहता हूं कि उन में से किसी ने हेलीकौप्टर्स के बारे में शिक्षा प्राप्त की है, और यदि प्राप्त की है तो उस का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

श्री जगजीवन राम : किसी ने हेली-कौप्टर के बारे में ट्रेनिंग नहीं प्राप्त की है ।

इन्फलुएन्जा पर अन्वेषण

*११९०. **श्री राधा रमण :** (क) क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह तथ्य है कि विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा कूनूर में स्थापित पास्चर इन्सटीट्यूट में इन्फ्लुएन्जा पर कुछ अन्वेषण किये गए हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो उस ने किन-किन बातों का पता लगाया है ?

(ग) उस इन्सटीट्यूट में अन्य किये गये नवीनतम अन्वेषण क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) विश्व-स्वास्थ्य संघ के निवेदन पर इन्फ्लुएन्ज़ा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये भारत सरकार द्वारा १९५० में कूनूर में पास्चर इन्सटीट्यूट नामक इन्फ्लु-एन्ज़ा केन्द्र स्थापित किया गया था ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २**].

(ग) निम्न विषयों पर भी अन्वेषणों में प्रगति हो रही है :—जलभी (रैबीज़), सांप का विष उतारने की दवायें, भारत में क्यू बुखार का प्रकोप, हैजा, उपदंश के उपचार के लिये लसो-विद्या सम्बन्धी तरीकों का तुलनात्मक अध्ययन तथा उष्णप्रदेशीय ईसिनोफोलिया (eosinophilia) एवं आंत का फ्यूसासपिरोकेटोसिस (fusospirochætosis) ।

श्री राधा रमण : क्या मैं यह जान सकता हूं कि वैक्सीन उत्पादन के लिये प्रारम्भिक संयंत्र की प्रस्थापना को कार्यान्वित करने के लिये कितना समय लगाने का विचार है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह विचाराधीन है और हम इस समय कोई निश्चित तिथि नहीं बतला सकते ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या विश्व स्वास्थ्य संघ ने इंस्टीच्यूट में इस संयंत्र की स्थापना के लिये कुछ सहायता दी है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : उन्हों ने हमें ४,५०० यू० एस० डालर के लगभग लागत का बहुमूल्य सामान दिया है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पासचर इन्स्टीट्यूट में किसी अनुसन्धान विभाग को विशेषतया इसी बात की खोज करने का आदेश दिया गया है कि

क्या इन्फ्लूएंजा से ही न्यूमोनिया जैसे संक्रमण पैदा होते हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये जानकारी नहीं है । यदि माननीय मंत्री अलग प्रश्न रखें, तो इस का उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री मुनिस्वामी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस इन्स्टीट्यूट में कोई विदेशी विशेषज्ञ भी काम कर रहे हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं उस के बारे में नहीं जानती ।

श्री एन० एम० लिंगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस इन्स्टीट्यूट द्वारा अनुसन्धान से पता लगाया हुआ इन्फल्यूएंजा वीरस उतना ही प्रभावशाली है जितना कि अमरीका में अनुसन्धानित इन्फल्यूएंजा वीरस, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने ऐंटी-इन्फल्यूएंजा वीरस (virus) वैक्सीन और सीरम (serum) को बनाने के लिये कुछ कार्यवाही की है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अब इस के सम्बन्ध में अनुसन्धान किये जा रहे हैं ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्राणी महोदया बतलाने की कृपा करेंगी कि कालेरा में अब तक क्या कामयाबी प्राप्त हुई ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : विबरियो कालेरा (vibrio cholerae) की पौष्टिक आवश्यकताओं और कुछ एंजिमज़ (enzymes) को पैदा करने की इस की क्षमता पर खोज की जा रही है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस इन्स्टीट्यूट में किये गये अनुसन्धानों के बीच पहले से ज्ञात ए० और बी० इन्फल्यूएंजा वीरस के अतिरिक्त और किसी प्रभाव का पता लगाया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : प्रारम्भ में केवल एक ही प्रभाव का पता था, परन्तु १९५०–५२ से अब तक ११ प्रभावों का पता लगाया गया है ।

अतिरिक्त काम के लिये अधिक समय ठहरने का पारिश्रमिक

*११९१. **श्री फ्रैंक एन्थनी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि दक्षिणी रेल के कर्मचारी अर्थात् पावर कंट्रोलर, ए० एल० एफ० और ए० एफ० ओ० रिजर्व के लोगों को निश्चित किये गये ८ घण्टों के विपरीत प्रतिदिन १२ घण्टे काम करना पड़ता है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि उनको इन अतिरिक्त काम को करने के लिये अधिक समय ठहरने का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पावर कंट्रोलर, असिसटैंट लोको फोरमैन और असिसटैंट फोरमैन रिज़र्व, जिन को निरीक्षक अधिकारी माना गया है, उन के लिये नौकरी नियमन के समय के अधीन काम के घण्टे निश्चित नहीं किये गये हैं। दक्षिणी रेल पर इन में से कुछ कर्मचारियों को साधारणतया १२ घण्टे काम करना पड़ता है और इस के पश्चात् उन को २४ घण्टे का विश्राम भी मिल जाता है ।

(ख) जी हां ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या सरकार निरीक्षक कर्मचारियों को किसी प्रकार की सहायता देने का विचार रखती है अथवा उन के लिये काम के अधिक उचित घण्टे निश्चित करने पर विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं ने बतलाया, ऐसा दक्षिण रेल पर होता है और इस समय उन को १२ खण्टे काम कर के, तत्पश्चात तुरन्त २४ घण्टों का विश्राम मिल जाता है ।

इस प्रकार एक सप्ताह में चार दिन की छुट्टी पड़ जाती है और इस के बारे में कोई शिकायत नहीं आई, परन्तु यदि कर्मचारियों की ऐसी इच्छा है कि काम के लिये आठ घण्टे निश्चित कर दिये जायें, तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या रेल मंत्रालय को इस बात का पता है कि फायर मैन और इंजन ड्राइवर के मामले में जब कि वे रास्ते में अपना काम समाप्त करते हैं, और उन का समय पूरा हो जाता है, तो इस नियम का पालन करने के कारण दूसरे व्यक्ति को काम पर आने के लिये कुछ समय लगता है, और गाड़ी लेट हो जाती है, और सरकार को इस कारण से अधिक खर्च करना पड़ता है ?

श्री अलगेशन: मैं ऐसा नहीं समझता और न ही ऐसी कोई बात हमारे ध्यान में आई है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या माननीय मंत्री जी खड़गपुर और नागपुर के बीच हुई घटना की जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री अलगेशन: जी हां।

श्री पी० सी० बोस: मैं पूछना चाहता हूं कि १२ घण्टे काम करने के पश्चात कितनी देर के लिये विश्राम दिया जाता है।

श्री अलगेशन: १२ घण्टों के काम के तुरन्त पश्चात २४ घण्टों के लिये विश्राम दिया जाता है।

श्री फीरोज गांधी: एक महीना के लगभग हुआ एक इन्जन को एक ऐक्सप्रेस गाड़ी के साथ लगाया गया था, और गाड़ी लखनऊ में दो घण्टे लेट थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ऐसे मामलों में भी अधिक समय के लिये पारिश्रमिक दिया जाता है ?

श्री अलगेशन: जैसा कि मैं ने आप को बतलाया कि ये निरीक्षक कर्मचारी होते हैं, और इस कारण इन को अधिक समय के पारिश्रमिक का हक नहीं होता। अस्तु, मैं उस विशेष घटना के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्यों कि मुझे इस का ज्ञान नहीं है।

श्री फीरोज गांधी: ऐसा प्रतीत होता है, कि मंत्री महोदय को इस का ज्ञान है।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): ऐसे मामलों में अधिक समय के पारिश्रमिक का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता।

डब्ल्यू० जी० इंजन

*११९२. **श्री फ्रैंक एन्थनी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चित्तरंजन वर्कशाप में बनाये गये डब्ल्यू० जी० इंजनों को दक्षिणी रेलवे से अस्थायी रूप से हटाना पड़ा था;

(ख) क्या इन डब्ल्यू० जी० इन्जनों को सिलिन्डरों (बेलनों) में दरारें पड़ जाने अथवा किन्हीं अन्य खराबियों के कारण हटाना पड़ा;

(ग) यह खराबियां किन कारणों से हुई थीं; तथा

(घ) काम से वापस लिये गये इंजनों की संख्या ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) कुछ को हटाना पड़ा था।

(ख) बेलनों में दरारें पड़ जाने के कारण।

(ग) यह खराबी इन बेलनों की बनावट की कमज़ोरी के कारण उत्पन्न हुई थी, इसे अब ठीक कर दिया गया है।

(घ) दस

श्री फ्रेंक एन्थनी: चित्तरंजन वर्कशाप द्वारा बनाये गये इन खराब बेलनों के परिणाम-स्वरूप सरकार की कितनी हानि हुई ?

श्री अलगेशन: मैं बिना सूचना के वैसे ही हानि की परिमात्रा नहीं बता सकता, परन्तु सदन से मैं निवेदन करूं कि जहां तक आयात किये गये बेलनों के लिए क्षतिपूर्ति दिये जाने के प्रश्न का सम्बन्ध है वह विचाराधीन है ।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या मैं इन दरार पड़े बेलनों का मूल्य ज्ञात कर सकती हूं ?

श्री नम्बियार: क्षेप्य मूल्य ।

श्री अलगेशन: उन बेलनों को सुधार लिया गया है और उन से फिर काम लिया जाने लगा है और वह इंजन अब काम कर रहे हैं।

श्री पुन्नूस: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह खराबी प्रतिरूप के मूल आयोजन के कारण उत्पन्न हुई थी अथवा कार्यकरण की किसी त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई थी ?

श्री अलगेशन: वह मूल प्रतिरूप की ही एक खराबी के कारण हुई थी।

श्री विट्ठल राव: मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि क्या चित्तरंजन में बेलन निर्माण की क्षमता उस अवस्था अथवा स्तर तक पहुंच गई है जिस से कि हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी ?

श्री अलगेशन: यह तो मैं कह नहीं सकता कि हम ने अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति योग्य क्षमता स्थापित कर ली है, परन्तु इस समय हम सिलिन्डर (बेलन) बना रहे हैं।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं दरार पड़े बेलनों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं और क्या सरकार ने कारणों के सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

श्री अलगेशन: इस मामले की जांच की गई थी और केन्द्रीय प्रमाप संस्था द्वारा प्रतिरूप में सुधार किया गया था। तीस इंजनों को वापस लेना पड़ा था, इन में से ग्यारह की मरम्मत हो चुकी है और उन को वापस काम पर भेज दिया गया है। शेष की मरम्मत हो रही है ।

श्री बी० बी० गांधी: क्या मैं कार्य कर रहे इंजनों की संख्या के मुक़ाबिले में इन खराब हुए इंजनों का अनुपात ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री अलगेशन: काम कर रहे इंजनों की संख्या हजारों में है। जैसा कि मैं ने निवेदन किया, अभी तक केवल ३० को वापस लेना पड़ा है ।

श्री बी० बी० गांधी: मेरा आशय चित्तरंजन में बनाये गये इंजनों से है ।

श्री अलगेशन: जहां तक कि दरार पड़े बेलनों का सम्बन्ध है, उन में से कुछ आयात किये हुए थे और कुछ चित्तरंजन में बनाये गये थे। क्योंकि वह भी मूल प्रतिरूप के अनुसार बनाये गये थे, इसलिये उन में भी दरारें पड़ गईं ।

रेलवे स्कूलों में योग्यता प्राप्त स्काउट मास्टर

*११९३. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के कुछ रेलवे स्कूलों में स्काउटिंग सम्बन्धी प्रबन्ध पहले से ही विद्यमान हैं;

(ख) क्या सरकार सभी रेलवे स्कूलों में इसे चालू करने की प्रस्थापना करती है;

(ग) क्या स्काउटिंग तथा कबिंग संबंधी उच्च प्रशिक्षण प्राप्त स्काउट मास्टरों को व्यायाम शिक्षकों तथा प्रशिक्षित अध्यापकों के समान समझा जाता है; तथा

(घ) यदि नहीं, तो इस के कारण ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां।

(ख) यह तो राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों की नीति पर निर्भर है क्यों कि रेलवे स्कूलों को उन्हीं सरकारों के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का पालन करना होता है।

(ग) और (घ). कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या राज्य सरकारों के पाठ्यक्रमों का कड़ाई के साथ अनुसरण किया जाता है अथवा रेलवे प्रशासन कुछ उस में अपनी ओर से जोड़ देता है ?

श्री शाहनवाज खां: उन का कड़ाई से अनुसरण किया जाता है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह तथ्य है, श्रीमान्, कि स्काउट मास्टरों को व्यायाम शिक्षकों के समान ही समझे जाने के सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय को आवेदन पत्र भेजे गये है तथा क्या उन आवेदन पत्रों को राज्य सरकारों को पुनः प्रेषित कर दिया गया है अथवा उन के सम्बन्ध में उन से परामर्श किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां: जी हां, श्रीमान्। जिन विद्यार्थियों अथवा अध्यापकों ने इस विषय में विशेष रुचि ली थी उन को शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था।

श्री राधा रमण: रेलवे के कितने स्कूलों में यह सुविधा दी गई है ?

श्री शाहनवाज खां: १५२ में से दस स्कूलों में।

श्री ए० एम० टामस: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह स्काउट दल अखिल-भारतीय संगठन से सम्बद्ध है ?

श्री शाहनवाज खां: जी हां।

श्री पुन्नूस: यह कहा गया था कि रेलवे स्काउटिंग को प्रोत्साहन देती है। मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किस रूप में प्रोत्साहन दिया गया है ?

श्री शाहनवाज खां: जिस प्रकार सामान्यतः प्रोत्साहन दिया जाता है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या रेल मंत्रालय इस स्काउटिंग प्रणाली को हतोत्साहित करने का विचार करती है क्योंकि वह स्काउट मास्टरों को व्यायाम शिक्षकों के पद पर नियुक्त कर सकने में असमर्थ है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): सामान्यतः स्काउटिंग को हमारे तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो प्रथा प्रचलित है उस का मुझे वास्तव में ज्ञान नहीं है। परन्तु मेरा विचार है कि जो व्यक्ति स्काउटिंग में प्रवीण हैं तथा अन्य प्रकार से भी योग्य हैं, उन की नियुक्ति के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

वेद सन्दूर में तम्बाकू अनुसंधान केन्द्र

*११९४. **श्री मुनिस्वामी:** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डिंडीगुल तालुका (मद्रास राज्य) के वेद संदूर स्थान पर स्थित तम्बाकू अनुसन्धान केन्द्र ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी प्रगति की है ?

(ख) इस केन्द्र में क्या प्रयोग किये जा रहे हैं और उनका परिणाम क्या निकला है ?

(ग) क्या उक्त केन्द्र में सभी अपेक्षित वस्तुओं की व्यवस्था की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) और (ख). एक टिप्पणी सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३**]

(ग) जी नहीं।

श्री मुनिस्वामी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस केन्द्र को कब स्थापित किया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : १२ जुलाई, १९४८ को ।

श्री मुनिस्वामी : विवरण में यह कहा गया है कि धनाभाव के कारण यह केन्द्र पूर्ण-रूप से विकसित नहीं हो सका है । क्या सरकार ने इस संस्था के लिए कुछ अतिरिक्त धन-राशि स्वीकृत करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, इस केन्द्र की गतिविधियों का विस्तार करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं इस केन्द्र में तम्बाकू सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य कर रहे अनुसन्धान कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री हेडा : विशेष रूप से उन सिफारिशों के सम्बन्ध में, जो कि कृषकों के आर्थिक हितों के विरुद्ध जाती हैं, सरकार उन कार्य-वाहियों को, जो कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय उत्पादन के हित में हैं, लोकप्रिय बनाने के लिये क्या प्रयत्न करने की प्रस्थापना करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : राष्ट्रीय उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा प्रत्येक संभव कार्यवाही की जा रही है ।

श्री दाभी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस केन्द्र में तम्बाकू के चूरे से निकोटीन बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रयोग किया जा रहा है, यदि ऐसा है, तो इसका परिणाम क्या निकला है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना अपेक्षित है ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रयोग किये जा रहे हैं उन से यह मालूम हुआ है कि तम्बाकू पीने से सेहत को नुक्सान होता है या फ़ायदा ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस स्टेशन में इस बात पर रिसर्च नहीं हो रही है ।

श्री मुनिस्वामी : विवरण में यह दिया गया है कि वह केवल आंकड़े एकत्रित करते रहे हैं । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कोई वास्त-विक अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ किया गया है अथवा नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : स्वयं विवरण में ही यह बताया गया है कि उसे स्थापित कर दिया गया है और प्रति एकड़ कम पौधे बोने से अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे, इत्यादि । यह सब कुछ विवरण में दिया गया है । इसके अतिरिक्त, यदि माननीय सदस्य की इच्छा हो, तो मैं इस केन्द्र में किये जाने वाले कार्यों की सम्पूर्ण सूची दे सकता हूं ।

श्री पुनूस : जब से यह केन्द्र स्थापित किया गया है मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कोई व्यवहारिक परिणाम इस के द्वारा प्राप्त किये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा विचार है कि समष्टि रूप से कार्य सन्तोषजनक रीति से हुआ है, तथापि इस का प्रसार आवश्यक है ।

कडुल में ताड़ गुड़ प्रशिक्षण विद्यालय

***११९५. श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास राज्य में कडुलौर में स्थित ताड़ गुड़ प्रशिक्षण विद्यालय में कोई अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

(ग) क्या कडुलौर के विद्यालय में सभी प्रविधिक आवश्यकताओं की व्यवस्था की गई है, यदि हां, तो कैसे ?

(घ) कडुलौर स्थित ताड़ गुड़ प्रशिक्षण विद्यालय अन्य राज्यों में स्थित इसी प्रकार के विद्यालयों की तुलना में कैसा है ?

(ङ) क्या इस विद्यालय में गुड़ देने वाली ताड़ वृक्ष की चारों किस्मों के सम्बन्ध में कार्य किया जाता है ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :

(क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ग) एक छोटी सी अनुसन्धान प्रयोगशाला उस में कार्य करने वाले थोड़े से व्यक्तियों सहित इस विद्यालय से सम्बद्ध की गई है ।

(घ) अन्य राज्यों में कोई ताड़ गुड़ प्रशिक्षण विद्यालय नहीं है ।

(ङ) इस विद्यालय में ताड़ की तीन किस्मों अर्थात खजूर, नारियल तथा ताड़ पर अनुसन्धान कार्य होता है, यह कडुलौर में ही उपलब्ध हैं तथा सागूदाना ताड़ के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक ज्ञान दिया जाता है ।

श्री मुनिस्वामी : विवरण में यह कहा गया है कि वहां राब तथा चीनी के क्यूब इत्यादि बनाये जाते हैं । क्या उन को बाजार में भेजा जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो मैं बता नहीं सकता । मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना अपेक्षित होगी ।

श्री एन० एल० जोशी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि यह विद्यालय कब स्थापित किया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सन् १९४८ से कार्य कर रहा है ।

श्री इलयापेरुमल : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिये कितनी रकम आवंटित की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो मैं बता नहीं सकता कि इस कार्य विशेष के लिये कितनी धन राशि व्यय की जा रही है, परन्तु वैसे इस ताड़ गुड़ के विकास के लिये कोई छः लाख रुपये व्यय कर रहे हैं ।

श्री इलयापेरुमल : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस विद्यालय को राज्य सरकार की ओर से क्या वित्तीय सहायता दी गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो उनको विदित नहीं है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री मुनिस्वामी खड़े हुए –

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री मुनिस्वामी : यह कडुलौर के सम्बन्ध में है । वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है । मुझे इसके सम्बन्ध में एक दो प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय । बहुत कठिनाई से मैं ने इस प्रश्न को उठाया है और मुझे ही दो तीन अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा । जब कभी कोई माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछता है तो उस ने उसके सम्बन्ध में पहले से सोचा हुआ होता है और उत्तर के आधार जो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन को भी सोचा हुआ होता है । इसीलिये मैं सर्व प्रथम उन्हीं की ओर देख कर उन्हें यथासंभव अवसर देता हूं । इसके पश्चात् मैं दूसरे सदस्यों की ओर देखता हूं । और अन्त में फिर उसी सदस्य पर आ जाता हूं । यह कहने से कि यह उनका

निर्वाचन-क्षेत्र है कोई लाभ नही है । प्रत्येक सदस्य का कोई न कोई निर्वाचन क्षेत्र होता है ।

अच्छा, वह अपना प्रश्न पूछें ।

श्री मुनिस्वामी : धन्यवाद श्रीमान्, विवरण में यह दिया गया है कि एक साधन जिसे 'वायु रज्जुपथ' कहते हैं चालू किया गया है । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करने के लिये क्या ताड़ी निकालने वालों को कोई अतिरिक्त रकम दी जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो मैं बता नहीं सकता हूं । मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

आसाम में उद्यान कर्म

*११९६. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरदार लाल सिंह ने, जिन्होंने आसाम में उद्यान कर्म की स्थिति तथा संभावनाओं की जांच करने के सम्बन्ध में हाल ही में आसाम राज्य का दौरा किया था, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५]**

श्री के० पी० त्रिपाठी : इस तथ्य को देखते हुए कि खासी कि पहाड़ियों के फल उगाने वालों की अवस्था शोचनीय हो रही है क्या माननीय मंत्री हमें यह बतायेंगे कि किन सिफारिशों को वह आपाती समझते हैं और उन को अत्यधिक प्राथमिकता देना चाहते हैं ?

डा० पी० स० देशमुख : इस दल के आसाम जाने से भी पूर्व तीन व्यक्तियों के एक दल ने आसाम जाकर इसी समस्या के सम्बन्ध में जांच की थी, और कुछ सिफारिशें दोनों की समान हैं । उन सभी सिफारिशों को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा रहा है । जिन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है उन का ब्यौरा देने में मुझे काफी समय लगेगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं सारा ब्यौरा नहीं चाहता हूं । मैं केवल उन सिफारिशों को ज्ञात करना चाहता हूं जिन को कि सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है ।

डा० पी० एस० देशमुख : रेलवे पर्षद् के सम्बन्ध में, माल डब्बों की उपलब्धता तथा भाड़े में कमी---इन मामलों के सम्बन्ध में सम्बद्ध मंत्रालयों से बातचीत की जा रही है । यातायात सुविधाओं के बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना के अनुरूप योजना बनाने के लिये राज्य सरकार से कहा गया है । उस के पश्चात आती हैं सड़कें, रज्जुपथ इत्यादि ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या खासी की पहाड़ियों में कोई रेलवे लाइन है ? यदि कोई रेलवे लाइन नहीं है, तब तो माल डब्बों का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ने केवल खासी की पहाड़ियों की ओर ही निर्देश नहीं किया था । मैंने तो सामान्य सिफारिशों की ओर निर्देश किया था और जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है यह सिफारिशें की गई हैं । मैं ने विशिष्ट रूप से यह नहीं देखा था कि मेरे माननीय मित्र का प्रश्न केवल खासी की पहाड़ियों के सम्बन्ध में ही था ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने कई प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दे दी है । अगला प्रश्न । वह चार प्रश्न पूछ चुके हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : केवल दो प्रश्न और श्रीमान् । दो तीन तो स्पष्टीकरण मात्र ही थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, एक प्रश्न और ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या डब्बों में बन्द करने तथा रस निकालने की फैक्ट्रियां स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश है, और यदि है, तो क्या इन फैक्टरियों के शीघ्र ही स्थापित किये जाने के लिये सरकार कोई रकम ऋण के रूप में देने का विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह रिपोर्ट हमें १३ अगस्त को मिली थी । माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि उस में एक यह सिफारिश भी है कि घटिया किस्म के फलों को कुचलकर उन से रसपेय आदि बनायें जायें । इस सिफारिश पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

श्री ए० एम० टामस : वहां जा कर जांच करने के लिये सरदार लाल सिंह की क्या योग्यतायें हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह तो यहां सभी को भली भांति मालूम हैं ।

उड़ीसा में खानों की दशा

*११९७. **श्री संगण्णा :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में खान निरीक्षकों ने उड़ीसा की खानों (जिन के ऊपर भारत सरकार का निरीक्षणिक नियन्त्रण है) का कितनी बार दौरा किया ?

(ख) वहां के खान श्रमिकों की अवस्था सुधारने के सम्बन्ध में उनके द्वारा क्या सिफारिशें, यदि कोई, की गई हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ९८.

(ख) खान निरीक्षकों के दौरे खान अधिनियम, १९५२ को, तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों, नियमों तथा उपनियमों को, जो कि खान के भीतर काम करने की अवस्थाओं को विनियमित करने के लिये बनाये गये हैं, लागू करने के उद्देश्य से किये गये थे । अतः उनकी सिफारशें सामान्यतः इसी मामले के सम्बन्ध में हैं । परन्तु तो भी, इन दौरों के अवसर पर खनिकों तथा उन के परिवारों की गृह व्यवस्था, चिकित्सकीय तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं इत्यादि के सम्बन्ध में भी जांच की जाती है । उड़ीसा की इन खानों के सम्बन्ध में निरीक्षक ने खान मालिकों पर उन के श्रमिकों को अधिक समुचित प्रकार की जीवन सम्बन्धी सुविधायें दिये जाने की वांछनीयता को स्पष्ट कर दिया है । परिणाम भी असन्तोषजनक नहीं रहे हैं, और विशेष रूप से इस कारण क्योंकि खान मालिकों का अनुविहित दायित्व बहुत ही सीमित है ।

श्री संगण्णा : क्या सरकार को मालूम है कि कागजों में जो राशि लिखी होती है उस के अनुसार मज़दूरी नहीं दी जाती क्योंकि मज़दूर अशिक्षित होते हैं, और यदि उत्तर "हां" हो, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या संरक्षण रखे हैं जिस से मज़दूरों को उचित मज़दूरी मिले ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे विचार में काफी संरक्षण हैं । सामान्यतया, मजदूरी नियमित रूप से तथा ठीक ठीक ही दी जाती है । परन्तु, यदि इस मामले में कोई गड़बड़ी

हो तो माननीय सदस्य मुझे निश्चित सूचना दे सकते हैं तथा मैं उस की छानबीन करूंगा ।

श्री नानादास : क्या खान निरीक्षकों का खान क्षेत्रों में रहना अनिवार्य है ?

श्री वी० वी० गिरि : अनिवार्य नहीं है । जब कभी भी कहीं से शिकायत आती है वे वहां जाकर उसकी जांच करते हैं ।

श्री विट्ठल राव : क्या यह सत्य है कि इन खानों में रोशनी तथा हवा के आने जाने का प्रबन्ध बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है ?

श्री वी० वी० गिरि : हो सकता है यह ठीक है । बड़ी बड़ी खानों में रोशनी और हवा का संतोषजनक प्रबन्ध है । हो सकता है कुछ असंगठित तथा छोटी खानों में प्रबन्ध संतोषजनक न हो ।

श्री सारंगधर दास : जब खान निरीक्षण की सिफारिशों को संतोषजनक रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो सरकार आगे क्या कार्यवाही करती है ?

श्री वी० वी० गिरि : यदि खान निरीक्षकोंकी हिदायतों को कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो मालिकों के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है तथा चलाया जायेगा ।

श्री पुन्नूस : क्या कोई ऐसा भी उदाहरण है जिस में निरीक्षकों ने इन खानों को देख कर यह सिफारिश की हो कि सम्भावी खतरे से प्राण रक्षा करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाये, और यदि ऐसी रिपोर्ट आई है तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री वी० वी० गिरि : सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है तथा उचित प्रबन्ध कर दिया जाता है ।

डाक कर्मचारियों की भरती

*११९८. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि डाक तथा तार विभाग में क्लर्कों के ५० प्रतिशत पद विभागीय कर्मचारियों के लिये, जिसमें चौथी श्रेणी के भी कर्मचारी शामिल हैं, सुरीक्षत कर दिये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो यह सुरक्षण कब से लागू है ?

(ग) क्या यह सुरक्षित पद आज कल विभागीय उम्मीदवारों से भरे जा रहे हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) १९४३ से १९४६ की अवधि को छोड़ कर जब कि यह घटा कर २० प्रतिशत कर दिया गया था, सुरक्षण १९३७ से लागू है ।

(ग) जी हां, जितन योग्य सिद्ध हों ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या डाक कर्मचारियों की पदोन्नति किसी अन्य पद पर की जाती है, क्या कोई विभागीय परीक्षा होती है या उन की पदोन्नति वैसे ही साधारण तरीके से कर दी जाती है ?

श्री जगजीवन राम : सारे प्रश्न का सम्बन्ध विभागीय परीक्षा से है । जब डाकियों की पदोन्नति क्लर्कों के पद पर की जाती है तो उन्हें स्पर्द्धी परीक्षा में बैठना होता है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सत्य है कि अखिल-भारतीय डाक संघ के अध्यक्ष ने सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है और यदि किया है तो परिणाम क्या हुआ तथा किन किन बातों के सम्बन्ध में चर्चा हुई ?

श्री जगजीवन राम : किसी संघ द्वारा अभ्यावेदन किये जाने के अतिरिक्त हम स्वयं परीक्षा के परिणामों की जांच करते हैं तथा हम ने देखा है कि परीक्षा बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं होती । डाकिये तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारी परीक्षा में सफल

नहीं हो पाते हैं तथा इस प्रकार उन के लिये सुरक्षित पद खाली पड़े रहते हैं । क्योंकि अब हम क्लर्कों के पदों के लिये भर्ती परीक्षा हटा रहे हैं इस लिये डाकियों द्वारा उस में भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु क्लर्कों के पदों में डाकियों की पदोन्नति करने के हेतु हम डाकियों को कार्यपटुता ज्ञात करने के लिये अंग्रेजी, भूगोल तथा पोस्टल गाइड में सरल परीक्षा रखने की व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सत्य नहीं है कि कड़े प्रश्न पत्र होने के कारण १० या २० प्रतिशत डाकियों को भी परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं होती ?

श्री जगजीवन राम : हो सकता है ऐसा हो । परिणामों को देखने से पता लगता है कि यदि प्रश्न पत्र कड़े भी न हों या उच्च स्तर के भी न हों तो भी डाकियों के लिये उस सीमा तक सफलता प्राप्त करना सम्भव नहीं है जिस सीमा तक उन के लिये पद सुरक्षित रहते हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या गैर-विभागीय सेवाओं के कर्मचारियों का उस समय कोई ख्याल रखा गया था जब उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया था तथा डाकघरों को विभागीय सेवा में ले लिया गया था ?

श्री जगजीवन राम : यदि उन के पास न्यूनतम अपेक्षित अर्हताएं होती हैं तो सामान्यतः उनका ख्याल रखा जाता है । वे स्पर्द्धी परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं । उन के सम्बन्ध में हम ने उच्चतम आयु सीमा में ढिलाई कर दी है ।

श्री नानादास : विभागीय उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित पदों में से अनुसूचित जातियों के लिये कितने प्रतिशत पद सुरक्षित हैं ?

श्री जगजीवन राम : मेरे विचार में इन सुरक्षित पदों में अनुसूचित जातियों के लिये कोई पद सुरक्षित नहीं हैं । परन्तु सीधी भर्ती में, १२·६ प्रतिशत सामान्य सुरक्षण की व्यवस्था है ।

श्री दामोदर मेनन : परीक्षाओं द्वारा क्लर्कों को भर्ती करने के नियमों के सम्बन्ध में क्या कोई ढिलाई की जा रही है ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं, हम भर्ती परीक्षा हटा रहे हैं । अतएव, डाकियों के लिये हमें किसी सरल परीक्षा की व्यवस्था करनी होगी जिस-से उस में सफल होने पर उन की पदोन्नति क्लर्कों की पदों में की जा सके ।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं यह समझ लूं कि अब से आगे क्लर्कों की भर्ती करने के लिये परीक्षा नहीं हुआ करेगी ?

श्री जगजीवन राम : भर्ती के लिये कोई परीक्षा नहीं होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : लिखित परीक्षा नहीं होगी किन्तु किसी प्रकार की ऐसी ही परीक्षा होगी । माननीय मंत्री का यही कहना है ।

श्री मुनिस्वामी : माननीय मंत्री ने बतलाया कि डाकियों तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ५० प्रतिशत पद सुरक्षित होते हैं । यदि वे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते तो शेष सुरक्षित पदों का क्या होता है ? उन पदों पर व्यक्तियों को कैसे नियुक्त किया जाता है ?

श्री जगजीवन राम : उन पर बाहर से भर्ती करके व्यक्तियों को नियुक्त किया जाती है ।

श्री हेडा : अब तक कितने पोस्टमैन इस प्रकार क्लेरीकल जाब्स के लिये रक्रूट हुए हैं और उन का प्रतिशत कितना पड़ता है, यानि ५० परसेन्ट से कितना कम पड़ता है ?

श्री जगजीवन राम : सभी सालों की तादाद तो मेरे पास नहीं है लेकिन १९५१-५२ में जो इम्तिहान हुआ था उस के नतीजे मेरे सामने हैं। कुछ संख्या मैं आप को बता दूं उसी से आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह पस्सेन्टेज कितना कम रहा है। बम्बई सरकिल में इन के लिये ६५४ जगहें थीं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : कितने सरकिल हैं ?

श्री जगजीवन राम : सरकिल तो आठ नौ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है।

श्री जगजीवन राम : प्रतिशत बहुत ही कम रहा है।

श्री गणपति राम : क्या यह बात सत्य है कि शिड्यूल्ड कास्ट के कुछ सरवेंट जो कि अपर ग्रेड में थे उन को लोअर ग्रेड में लाया जा रहा है ?

श्री जगजीवन राम : जब तक आनरेबल सदस्य यह नहीं बतलायेंगे कि यह किस वजह से किया जा रहा है तब तक मेरे लिये जवाब देना असम्भव है। हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो। अगर उस के लिये कायदे में गुंजाइश होगी तो ऐसा किया जाता होगा।

असैनिक कर्मचारियों का संघ

*१२००. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि असैनिक कर्मचारियों के संघ को कौन कौन से कृत्य करने के अधिकार दिये गये हैं ?

(ख) सेवा संघ तथा मजदूर संघ में क्या अन्तर है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). सदन पटल पर एक एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६]**

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण में बतलाया गया है कि इस सम्बन्ध में कुछ संदेह है कि असैनिक कर्मचारियों के संघ मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध भी किये जा सकते हैं अथवा नहीं जब वर्तमान मजदूर संघ अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट नहीं होता कि गैर औद्योगिक कर्मचारी संघों को मजदूर संघ के रूप में पंजीबद्ध किया भी जा सकता है अथवा नहीं फिर सरकार ने उनको मजदूर संघ बनाने के अधिकार देने से क्यों इन्कार कर दिया है ?

श्री वी० वी० गिरि : माननीय सदस्या का यह कहना ठीक है कि इस सम्बन्ध में कुछ सन्देह है और इस लिये असैनिक सेवा संघों को भी अपने आपको मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध कराने का अधिकार प्राप्त है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं एक बात और जानना चाहूंगी। यदि एक ही उद्योग में औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक कर्मचारी काम करते हों तो क्या मजदूर संघ अधिनियम उन पर लागू होता है ? क्या उन्हें मजदूर संघ के रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां, यह उन पर लागू होता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब एक ही संघ में औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक कर्मचारियों को रखा जाता है तो उस पर मजदूर संघ अधिनियम लागू नहीं होता ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे विचार में यह ठीक नहीं है। यदि वे अपने आप को अभिज्ञात नहीं कराना चाहते हैं तो यह उनकी मर्जी है, पर मेरे विचार में उन्हें इस का अधिकार प्राप्त है।

श्री नम्बियार : विवरण में बतलाया गया है कि प्राशासन अधिकारियों को कुछ संघों को अभिज्ञात करने के अधिकार दिये जाते हैं। प्रशासन प्राधिकारी किस आधार पर कुछ संघों को अभिज्ञात करते हैं तथा कुछ को नहीं ?

श्री वी० वी० गिरि : चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह बात प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दी जाती है कि वे अमुक संघ को अभिज्ञात करें अथवा नहीं।

श्री नम्बियार : सेवा संघों के अभिज्ञात किये जाने के सम्बन्ध में क्या गृह मंत्रालय ने कोई हिदायतें जारी की हैं ? यदि हां तो उन की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : यह सूचना मेरे पास नहीं है किन्तु यदि माननीय सदस्य एक दूसरे प्रश्न की पूर्व सूचना गृह मंत्रालय को को दें तो हो सकता है वह उत्तर दे सकें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण में बतलाया गया है कि वे, जो लोग सेवा संघों में हैं उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि वे मध्यस्थ निर्णय या समझौते आदि के तरीकों को नहीं अपनायेंगे । जो बातें कर्मचारियों की इच्छा के अनुसार पूरी नहीं हो पातीं उनके सम्बन्ध में विभाग की मर्जी पर निर्भर रहने के अलावा और किया ही क्या जा सकता है ।

श्री वी० वी० गिरि : साधारणत: इन लोगों से सम्बन्ध रखने वाले समस्त प्रश्न हल हो जाने चाहिए क्योंकि उनकी नौकरी काफी सुरक्षित होती है, उन्हें काफी संरक्षण प्राप्त होता है और यदि वे अपने प्राधिकारियों के सम्पर्क में आते हैं तो सब बातें ठीक हो जायेंगी । इस मामले में हमारा यही यही दृष्टिकोण है ।

श्री नम्बियार : इन संघों का प्रतिनिधित्व केवल अभिज्ञान देने के लिये विचार में रखा जाता है या और किसी कार्य के लिये भी ?

श्री वी० वी० गिरि : इन संघों द्वारा प्रतिनिधित्व करने का इतना प्रश्न नहीं है जितना कि विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत उन्हें संरक्षण देने का है ।

श्री नम्बियार : विशेष परिस्थितियां क्या हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को और आगे नहीं बढ़ने दे सकता । सूचना ज्ञात करने के लिये केवल कुछ प्रश्न और पूछे जा सकते हैं ।

श्री दामोदर मेनन : स्वाधीनता प्राप्त होने के पश्चात् असैनिक सेवा संघों के नियमों में कोई परिवर्तन किया गया है या वे जैसे थे वैसे ही हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे विचार में उनमें परिवर्तन किया गया है । फिर भी मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कह सकता हूं ।

श्री के० के० बसु : नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों तथा सम्बद्ध कर्मचारियों के बीच मतभेद होने पर क्या कर्मचारी मध्यस्थानिर्णय या अन्य किसी तरीके की शरण ले सकते हैं जिससे झगड़े को किसी ऐसे प्राधिकारी के पास भेजा जा सके जिसने उन्हें नियुक्त न किया हो ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे विचार में ऐसा नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री नम्बियार : सदन पटल पर जो विवरण रखा गया है उस में दो वर्ग दिये हुए हैं एक.....

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक प्रश्न हो सकते हैं। इस विवरण से अनेक बातें उठ खड़ी हो सकती हैं। मैं इतने अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री पुन्नूस : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री नम्बियार : यह प्रश्न तो विवरण से ही उत्पन्न होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं।

श्री नम्बियार : भाग 'ख' राज्यों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विवरण का अध्ययन कर सकते हैं तथा बाद में और प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अगला प्रश्न।

भारतीय वायुयान कम्पनियों के कर्मचारी

*१२०१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) क्या **सचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय वायुयान कम्पनियों के कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी मान लिया गया है ?

(ख) क्या वायुयान कम्पनियों के कर्मचारी संघ को श्रमिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक संघ मान लिया गया है ?

(ग) क्या विभाग द्वारा किसी वायुयान कम्पनी कर्मचारी संघ को मान्यता दी गई है ?

(घ) यदि ऐसा है, तो वे कौन से संघ हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) सरकार द्वारा कर्मचारियों के किसी वर्ग को "औद्योगिक कर्मचारी" मानने का कोई प्रश्न नहीं है। वायुयान कम्पनियों के कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा २ (क) में उल्लिखित "कर्मचारी" की परिभाषा में आ जाते हैं।

(ख) चूंकि भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६, के अन्तर्गत सरकार कर्मचारियों के संघों को मान्यता नहीं प्रदान करती है इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). गैर सरकारी कर्मचारियों के संघों को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : राज्य तथा कर्मचारियों के बीच उचित सम्बन्ध रखने के प्रयत्न में, क्या सरकार का इन कर्मचारियों के संघों को, जो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मान्यता देने का विचार है जिस से कि ये सम्बन्ध और अच्छे हो सकें ?

श्री जगजीवन राम : आप ने एक बहुत अच्छा आदर्श रखा है किन्तु यह मान्यता तो पहिले मालिकों द्वारा ही दी जानी होती है और इस मामले में मालिक भारतीय वायुयान कम्पनी निगम है। अतः सरकार द्वारा दूसरे मालिक के कर्मचारियों को मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आज समाचार पत्रों में मैं ने देखा कि नये निगम के अन्तर्गत एक समिति स्थापित की गई है जो कि औद्योगिक सम्बन्धों की देख भाल करेगी। उस में सरकार का भी प्रतिनिधित्व है। हम जान सकते हैं कि उस में सरकार के प्रतिनिधि का क्या रवैया होगा ?

श्री जगजीवन राम : वह भारतीय वायुयान कम्पनी निगम के सदस्य की हैसियत से उस बोर्ड के एक सदस्य के रूप में कार्य करेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जी नहीं। आप ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इस विशेष प्रश्न पर उस का क्या रवैय्या होगा ?

श्री जगजीवन राम : यह रवैय्या तो सदस्य के समक्ष प्रस्तुत प्रश्न के अनुसार निश्चित किया जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उसी मंत्रालय के अन्तर्गत, डाक तथा तार कर्मचारी संघों को मान्यता प्रदान की गई है । वही दृष्टिकोण असैनिक नभश्चरण विभाग के कर्मचारियों के मामले में क्यों नहीं अपनाया जा सकता ?

श्री जगजीवन राम : यह प्रश्न तो भारतीय वायुयान कम्पनी निगम के कर्मचारियों का है । भारतीय वायुयान कम्पनी निगम के मामले में सरकार नहीं अपितु भारतीय वायुयान कम्पनी निगम मालिक है । डाक तथा तार विभाग तो सीधे ही सरकार के अधीन है । इन संघों को मान्यता दी जाये या न दी जाय, इस प्रश्न का सम्बन्ध सरकार से है और हम न उन्हें मान्यता प्रदान कर दी है । जहां तक असैनिक नभश्चरण का सम्बन्ध है, कर्मचारी संघ को सरकारी कर्मचारी संघ के रूप में मान्यता दे दी गई है ।

श्री एम० एन० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि हवाई कम्पनियों जैसी महत्वपूर्ण सेवा के काम में राजनीति तथा राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री जगजीवन राम : यह प्रश्न तो श्रम मंत्री से पूछा जा सकता है, किन्तु मैं यह बता दूं कि देश के श्रम संघ आन्दोलन में राजनीति का समावेश कर देने से उस की प्रगति में बहुत बाधा पड़ी है ।

श्री थानू पिल्ले : मैं जान सकता हूं कि क्या इन वायुयान कम्पनियों के कर्मचारी संघों को, विभाग द्वारा डाक तथा तार कर्मचारी संघों को मान्यता देने के मामले में प्राप्त अनुभव के आधार पर, मान्यता नहीं प्रदान की जा रही है ?

श्री जगजीवन राम : मैं इस प्रश्न को समझ नहीं सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न को सुन नहीं सके । माननीय सदस्य एक उत्तर का सुझाव दे रहे हैं । आप कह रहे हैं कि "क्या ऐसा इस बात के कारण है कि यह या वह नहीं किया गया है ?" श्री बसु ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने दोनों निगमों के अध्यक्षों तथा सरकार के नामनिर्दिष्ट सदस्य को इन संघों को मान्यता दिये जाने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के अनुदेश दिये हैं ?

श्री जगजीवन राम : यदि इन दोनों निगमों में कर्मचारियों के संघ होंगे, तो निगमों में सुचारु रूप से कार्य किये जाने की दृष्टि से निगमों के अध्यक्ष स्वयं ही कर्मचारियों के संघों को मान्यता प्रदान करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे ।

श्री केलप्पन : चूंकि सरकार ने इन वायुयान कम्पनियों को अपने अधिकार में ले लिया है, क्या सरकार उन श्रम संघों के बारे में उसी दृष्टिकोण और उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करेगी जैसा कि उस ने डाक तथा तार कर्मचारी संघों के मामले में अपनाये थे ?

श्री जगजीवन राम : मैं ने पहिले ही बताया कि डाक तथा तार विभाग सीधे ही सरकार के अधीन हैं । निगमों के कर्मचारियों के मामले में निगम ही मालिक हैं । अतः सर्वप्रथम निगमों को ही कर्मचारियों के संघों को मान्यता देनी होगी ।

श्री केलप्पन : मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या सरकार का वही दृष्टिकोण होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ऐसा नहीं करेगी । यही तो उन्होंने बताया ।

श्री सारंगधर दास : मैं समझता हूं कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैं इसे दुहराना चाहता हूं । क्या सरकार ने इस मामले में दोनों निगमों के अध्यक्षों द्वारा अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण के सम्बन्ध में कोई अनुदेश दिये थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने पहिले ही बता दिया है कि समिति या बोर्ड के सदस्य यह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या ऐसा करने से निगम के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कलकालीघट--धरमनगर रेलवे लाइन

*११९९. **श्री दशरथ देव :** (क) रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने कलकालीघाट रेलवे स्टेशन (कचार) से धरमनगर शहर (त्रिपुरा) तक, जिन के बीच लगभग १७ मील की दूरी है, एक रेलवे लाइन खोलने का निश्चय किया है ?

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने इस योजना को छोड़ दिया है ?

(ग) यदि ऐसा है तो इस योजना को छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या सरकार को यह मालूम है कि आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार के मामले में धरमनगर तथा शेष त्रिपुरा के साथ कोई संयोजक कड़ी नहीं है ?

(ङ) क्या भारत सरकार कलकालीघाट (कचार) रेलवे स्टेशन से धरमनगर शहर (त्रिपुरा) तक प्रस्तावित रेलवे लाइन को आरम्भ करने के प्रश्न पर फिर से विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). पूर्वनिरीक्षण सम्बन्धी इंजीनियरिंग कार्य तथा यातायात सम्बन्धी परिमाप १९५० में किये गये थे, किन्तु चूंकि यातायात की सम्भावना बहुत कम थी इसलिये इस के बनाने के मामले में कोई निश्चय नहीं किया गया था ।

(घ) ऐसी आशा की जाती है कि आसाम-अगरताला सड़क बन जाने से अपेक्षित सम्पर्क स्थापित हो जायेगा ।

(ङ) जी नहीं ।

मुख्य क्रय निर्देशक

*१२०२. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य क्रय निर्देशक के कार्य क्या हैं ?

(ख) वह अपने अधिकार से कितना क्रय कर सकते हैं ?

(ग) विदेशों से क्रय करने के लिये कौन से अभिकरण हैं ?

(घ) वस्तु विनिमय के मामले में कौन कौन से अन्य मंत्रालयों से परामर्श लिया जाता है ?

(ङ) क्या इन कामों के लिये किसी अवस्था पर टेंडर मांगे जाते हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). एक विवरण, जिस में मुख्य क्रय निर्देशक के कार्य तथा क्रय के सम्बन्ध में उस के अधिकार दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७]**

(ग) क्रय करने के हेतु मुख्य क्रय निर्देशक का विदेशों में कोई अभिकरण नहीं है ।

(घ) वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर कोई क्रय नहीं किये जाते ।

(ङ) क्रय के लिये टेंडर खुले टेंडरों के रूप में मांगे जाते हैं । स्वामित्व वाली वस्तुएं सीमित टेंडर या एकल टेंडर द्वारा खरीदी जाती हैं ।

रेल के डिब्बे

*१२०३. **श्री विट्ठल राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयर क्रैफ्ट फैक्टरी तथा स्विट्ज़रलैण्ड के फर्म को अपनी फैक्टरियों में प्रत्येक डिब्बे के बनाने पर क्रमशः ५००० रुपये तथा २२,५०० रुपये लाभ के रूप में दिये जाते हैं;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) हिन्दुस्तान एयरक्रफ्ट फैक्टरी में बनाये गये डिब्बों के दाम निर्धारित करने के सम्बन्ध में व्यय लेखा परीक्षा रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को कब प्राप्त हुई थी; तथा

(घ) उस रिपोर्ट की जांच की कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) रेल मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के बीच आपस के समझौते के अनुसार हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट लिमिटिड को प्रति डिब्बे पर ५,००० रुपये लाभ के रूप में दिये जाते हैं । स्विट्ज़रलैण्ड के फर्म के साथ किये गये समझौते के अनुसार ५० डिब्बों की, जिन में अन्दर का सामान नहीं लगाया गया है, असली लागत पर, जिस की कि लेखा परीक्षा की गई है, १० प्रतिशत का लाभ तथा पहिले ५० डिब्बों पर, जिन में प्रत्येक में अन्दर का सामान लगा हो, ५,००० स्विस फ्रैंक लाभ के रूप में दिये गये हैं ।

ऐसे ५० डिब्बों, जिन में प्रत्येक में अन्दर का सामान लगा हो, के लिये फर्म को दूसरा तथा तीसरा व्यादेश निर्धारित मूल्य पर दे दिये गये हैं ।

(ग) नवम्बर, १९५२ ।

(घ) रेल मंत्रालय ने तो इसे स्वीकार कर लिया है किन्तु अभी इस पर रक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।

विन्ध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइन

*१२०४. **श्री बो० डी० शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विन्ध्य प्रदेश में रेल की नई लाइनें निकालने की स्कीम पर कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) क्या निकट भविष्य में सतना से रीवा तक रेलवे लाइन निकालने की कोई योजना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) पंच वर्षीय योजना में इस प्रकार की कोई स्कीम सम्मिलित नहीं की गई है किन्तु द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल के सम्बन्ध में विन्ध्य प्रदेश से सम्बन्धित कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) जी नहीं ।

खुरदा-दसपल्ला लाइन पर डाक-व्यवस्था

*१२०५. **पंडित लिंगराज मिश्र** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि अभी हाल के एक समझौते के अनुसार खुरदा-दसपल्ला लाइन की समस्त डाक चौबीस घंटे तक खुरदा पर रोक ली जाती है जिस के परिणाम स्वरूप पुरी जिले के नयागढ़ तथा खुर्दा सब-डिवीजनों को असुविधा होती है ?

(ख) क्या यह असुविधा अधिकारियों के ध्यान में लाई गई है ?

(ग) यदि हां, तो क्या पूर्व-व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । कुछ चीजों के बारे में खुरदा पर विलम्ब हो जाता है ।

(ख) जी हां । इस बात को उठाने के लिए मैं माननीय सदस्य का अनुग्रहीत हूं ।

(ग) विलम्ब को दूर करने की कार्यवाही अब बहुत शीघ्र ही की जायेगी ।

रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रसार

*१२०६. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतवर्ष का पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र १९४७ से अब तक कितना बढ़ चुका है ?

कृषि मंत्री (डा० पो० एस० देशमुख) : कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

मद्रास (ऐगमोर) से बराबर सलेम तक जाने वाली रेलगाड़ी

*१२०७. **श्री सो० आर० नर्रासिहन** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जलारपेट के दक्षिणी भाग की जनता ने, जहां पर कि पुरानी उत्तर भारत रेलवे की लाइन जाती है, यह अभिवेदन किये हैं कि मद्रास और बंगलोर के मध्य चलने वाली ऐक्सप्रेस गाड़ियों के साथ पेसिंजर गाड़ियां जोड़ने की पहले की व्यवस्था चालू कर दी जाए ?

(ख) मद्रास (ऐगमोर) तथा सलेम के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान तक बराबर जाने वाली गाड़ियां चलाने के सुझाव पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां जलारपेट तथा सलेम के मध्य १-१०-५३ से, जलारपेट को मद्रास-बंगलोर एक्सप्रेस गाड़ियों से मिलाने वाली एक-एक गाड़ी दोनों ओर से चालू करने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) मद्रास (ऐगमोर) तथा सलेम टाउन के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान तक बराबर जाने वाली गाड़ियां चलाने के संबंध में कोई सुझाव हाल में नहीं प्राप्त हुए हैं । किन्तु मद्रास (ऐगमोर) और सलेम जंकशन के बीच एक स्थान से दूसरे तक बराबर जाने वाले डिब्बों का प्रबन्ध करने के विषय में एक सुझाव प्राप्त हुआ था । इस बात पर विचार किया गया किन्तु वहां यातायात बहुत कम होने के कारण ऐसे डिब्बे चलाने का विचार उचित नहीं समझा गया ।

'पोस्ट सर्किल आफिस' का बेकारी से स्थानान्तरण

*१२०८. **श्री गौडलिंगन गौड़** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पोस्टल सर्किल के बेलारी से मैसूर राज्य में किसी अन्य स्थान को ले जाने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो क्या 'पोस्टल सर्किल यूनिअन्स' तथा अन्य संस्थाओं से इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ है ?

(ग) सरकार ने इन अभिवेदनों पर क्या कार्यवाही की है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कूरनूल डिवीज़न बन जाने के परिणामस्वरूप, बेलारी डिवीज़न के प्रधान कार्यालय को बेलारी से शिमोगा ले जाने का आदेश दे दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

कोयला-खदान कमकर संघ की मांगें

*१२०९. **श्री विट्ठल राव** : क्या श्रम मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :

(क) कोयला-खदान कमकर संघ की वेतन बढ़ाने की मांगों को सरकार द्वारा पहले की तरह समझौता बोर्ड को न सौंप कर औद्योगिक अधिकरण को सौंपने के कारण; और

(ख) अधिकरण द्वारा किन मांगों पर न्याय निर्णयन किया जाएगा ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) अनेक कमकर संगठनों ने कोयला-खदानों के कमकरों का वेतन बढ़ाने की मांग की है । जब विभिन्न कोयला क्षेत्रों की १,००० से अधिक खदानों पर इस का प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसी हालत में समझौते द्वारा ऐसे निर्णय पर पहुंचना अत्यन्त दुष्कर हो जो सब के लिये बाध्य हो तथा लागू किया जा सके । यह कार्य केवल न्यायनिर्णयन से ही किया जा सकता है । जब कि गत समझौता बोर्ड की स्थापना की गई थी उस समय अनिवार्य न्याय-निर्णयन का उपबन्ध करने वाला 'औद्योगिक विवाद अधिनियम', १९४७ लागू नहीं हुआ था । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को भी विचारगत करते हुए कि समझौता बोर्ड द्वारा कोई समझौता न करा सकने पर विलम्ब होने की सम्भावना है, सरकार ने यह निर्णय किया कि बोर्ड के समझौते की अपेक्षा न्याय-निर्णयन श्रयस्कर होगा ।

(ख) अधिकरण द्वारा न्याय-निर्णीत की जाने वाली मुख्य मांगें वेतन, ग्रेड, लोड तथा लिफ्ट का भुगतान, वापसी रेल का किराया, अनिवार्य बेकारी का मुआवज़ा, त्योहारों की सवेतन छुट्टी तथा खाद्यान्न कंसेशनों से सम्बन्धित हैं ।

खाद्यान्नों पर से राशन तथा कंट्रोल का हटाया जाना

*१२१०. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार खाद्यान्नों के सम्बन्ध में एक नई नीति अपनाने वाली है जिस के परिणामस्वरूप गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों पर से राशन तथा कंट्रोल हट जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की रूपरेखा;

(ग) क्या चावल के वितरण तथा मूल्य पर नियंत्रण रहेगा; और

(घ) यदि हां, तो कितने समय तक ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (घ). समस्त मामला विचाराधीन है और इस समय कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता ।

धेमोमेन कोयला-खान में दुर्घटना

*१२११. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि २३ अगस्त, १९५३ को धेमोमेन कोयला खान में एक स्तम्भ के गिर जाने के परिणामस्वरूप ६ खान मजदूरों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) खान के अन्दर मजदूरों के जाने से पूर्व क्या काम के स्थान की सुपरवाइज़रों द्वारा समुचित रूप से जांच कर ली गई थी, जैसा कि 'कोयला खान (रक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२' के अन्तर्गत अपेक्षित है ;

(ग) क्या सम्बन्धित विभाग द्वारा इस मामले की जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण बतलाये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) खानों के चीफ इंस्पेक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि एक बड़े क्षेत्र पर तेज झटके के कारण छत के गिर जाने से यह दुर्घटना हुई । झटका, स्तम्भ हटाए गये क्षेत्र में गिराव के कारण लगा जिस से कि तहों की चटटानों में दरारें हो गई । दुर्घटना के के स्थान की छत को काफी सहारा था तथा दुर्घटना दैविक स्वरूप की ही थी ।

चीनाकुटी कोयला खान में दुर्घटना

*१२१२. **श्री पी० सी० बोस** : (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलानें की कृपा करेंगे कि सरकार को विदित है कि चीनाकुटी खान में बाढ़ का पानी घुस आने से २४ अगस्त, १९५३ को अनेक मजदूरों की मृत्यु हो गई थी ?

(ख) कितने मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और कितनों की मृत्यु हो गई ?

(ग) बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से मजदूरों को बचाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये ?

(घ) क्या सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इस की उपपत्तियां ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना के समय १३ मजदूर जमीन के नीचे थे जिनमें से ६ की मृत्यु हो गई और दो को गम्भीर चोटें आईं ।

(ग) दुर्घटना की सूचना मिलते ही मजदूरों को बचाने की कार्यवाही की गई । तेरह मजदूर में से छः बिना सहायता के खान से बहार आ गये और गम्भीर रूप से आहत व्यक्तियों में से एक को बचाया गया । शेष छः की डूबने से तत्काल ही मृत्यु हो गई ।

(घ) जी हां, ख्याल किया जाता है कि यह दुर्घटना ९५ फीट गहरे शेफ़्ट के तले के पास वाली प्राकृतिक तह में कमजोरी आ जाने के परिमाणस्वरूप हुई जिसका पता पहले नहीं लग सका । इसके परिणाम-स्वरूप शेफ्ट की तह में इस्पात तथा कंकरीट के बने हुए एक ढांचे पर हाईड्रोलिक दबाव पड़ा जिस से, बाढ़ग्रस्त दामोदर नदी का पानी शेफ्ट में भर जाने पर, ढांचा बैठ गया ।

चाय बागान मज़दूरों की हड़ताल

*१२१३. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि आसाम के योरूपीय स्वामित्व प्राप्त लगभग ३० चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां ।

(ख) विवाद आसाम राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है । आसाम सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बागान मालिकों के इस बात पर तैयार हो जाने पर कि लाभप्रद बागानों के मजदूरों को, बागानों में काम न होने के काल में, मज़ूरी का ५० प्रतिशत मुआवजा दिया जायेगा तथा पत्ती तोड़ने की दरों में भी वृद्धि की जायेगी ।

बाल मृत्यु-दर

*१२१४. **श्री अच्युतन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:

(क) गत पांच वर्षों में भारत के विभिन्न राज्यों में बाल मृत्यु-दर का प्रतिशत ; और

(ख) भारत में ऊंची शिशु मृत्यु-दर के कारण तथा भारत सरकार का इस मामले में क्या लघु-कालीन कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८]**

वायु-मार्ग

*१२१५. **श्री अच्युतन**: क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में कोई नये वायुमार्ग खोलने का विचार रखती है; तथा

(ख) दो हवाई निगमों में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) इंडियन एयर लाइन्ज कारपोरेशन की एक टैक्नीकल समिति हाल ही में दूसरी बातों के साथ साथ इस बात पर भी विचार करने के लिये नियुक्त की गई है कि वायु सेवाओं को चालू करने के लिये मार्ग का एक उचित नमूना तैयार किया जाये। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही निगम नये मार्ग खोलने के प्रश्न पर विचार करेगा।

(ख) दोनों हवाई निगमों में कुल कर्मचारियों की संख्या ९२१४ है।

अन्तर्देशीय जल यातायात

*१२१६. **श्री अच्युतन** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि योजना के अनुसार दक्षिण भारत में अन्तर्देशीय जल यातायात के विकास कार्यों में क्या कुछ प्रगति हुई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): दक्षिण भारत में जो जल यातायात बोर्ड स्थापित किया जायेगा, उसे केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ६ लाख रुपया दिया जायेगा। सम्बन्धित राज्य सरकारों से इस प्रकार का बोर्ड स्थापित करने के बारे में बात चीत शुरू की गई है।

पूर्वोत्तर रेलवे की कुछ शाखाओं पर भीड़

६१६. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी १९५३ से लेकर १ जून १९५३ तक पूर्वोत्तर रेलवे की दरभंगा-जैनगर तथा दरभंगा–निर्माली शाखाओं पर औसत में कितने यात्रियों ने प्रतिदिन यात्रा की है ?

(ख) दोनों शाखाओं पर 'अप' तथा 'डाउन' गाड़ियों में यात्री डिब्बों की दैनिक औसत गुंजाइश क्या थी ?

(ग) क्या यात्रियों को लेजाने के लिये डिब्बे काफी थे ?

(घ) यदि नहीं थे ; तो सरकार इस भीड़ को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

पंजाब में चलते फिरते डाकखाने

६१९. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के किन किन नगरों में

चलते फिरते डाकखाने खोलने की व्यवस्था की गई है ;

(ख) इन डाकखानों की संख्या क्या है;

(ग) १९५३-५४ में पंजाब में कितने और नये चलते फिरते डाकखाने खोले जायेंगे?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नये चलते फिरते डाकखाने इस समय केवल ऐसे नगरों में खोले जा रहे हैं जो कि रात्रि हवाई डाक सेवा से सम्बद्ध हैं। पंजाब क्या कोई भी नगर रात्रि हवाई डाक सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं है।

(ख) नगर चलते फिरते डाकखाने इस समय भारत में चार स्थानों पर चल रहे हैं जिनके नाम यह हैं:— नागपुर, दिल्ली, मद्रास, तथा कानपुर। ऐसे डाकखानों की संख्या ५ है।

(ग) कोई भी नहीं।

पंजाब में डाकखाने

६२०. **प्रो० डी० सो० शर्मा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ में पंजाब में कितने डाकखाने जिलेवार खोले गये हैं ;

(ख) पंजाब में प्रत्येक डाकखाना कुल कितनी जनसंख्या के लिये रखा गया है ;

(ग) पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में डाक के लिये क्या विशेष व्यवस्था की गई है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९**]

(ख) ६१६२ व्यक्ति।

(ग) १९५२-५३ में पंजाब के पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाने के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की गई :

(१) आलमपुर, लम्बरगांव (कांगड़ा जिले) के बीच बसों द्वारा डाक पहुंचाने की व्यवस्था की गई।

(२) १३ स्थानों पर डाक वितरण की वारम्वारता बढ़ा दी गई।

(३) वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिये दो अतिरिक्त ग्राम डाकिये नियुक्त किये गये।

(४) १७ अतिरिक्त लेटर बक्स लगा दिये गये।

(५) ९६३ ऐसे ग्रामों में जहां कि डाक नहीं पहुंचाई जाती थी, डाक वितरण की व्यवस्था की गई है।

गौशाला कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग

६२१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न राज्यों के गौशाला कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिये कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि की गई है तो यह प्रशिक्षण केन्द्र कहां कहां हैं;

(ग) इस समय तक, राज्य-वार कितने कार्य-कर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है; और

(घ) क्या भारत में कोई गैर-सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र भी हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) इस समय एक ऐसा केन्द्र है जो कि पिपडी (वर्धा) में स्थित है।

(ग) १५ कार्यकर्ताओं का पहला दल दिसम्बर १९५३ में अपनी ट्रेनिंग पूरी करेगा, कार्यकर्ता निम्नलिखित राज्यों से आये हैं:—

(१) बिहार	९
(२) राजस्थान	२

(३) मध्य प्रदेश	१
(४) अजमेर	२
(५) मध्य भारत	१
	——
कुल	१५

(घ) पिपडी केन्द्र एक गैर-सरकारी ट्रेनिंग केन्द्र है। सरकार को किसी अन्य गैर-सरकारी केन्द्र के बारे में कोई जानकारी नहीं।

समाचार पत्रों की प्रदर्शनी

६२२. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में मार्च १९५३ में जो रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी लगी थी क्या उस के अहाते में समाचार-पत्रों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ था ?

(ख) यदि हुआ था, तो किन किन देशों ने इस में भाग लिया था ?

(ग) कितने समाचारपत्रों को प्रदर्शित किया गया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) 'पब्लिक रिलेशन्स कौंसल आफ इंडिया' नाम के एक सार्थ ने भारतीय रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी के अहाते में कुछ समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं को प्रदर्शित करने के लिए थोड़ी सी जगह के लिए [illegible] की थी तथा इसे यह दी गई।

(ख) तथा (ग) चूंकि इन समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं का प्रदर्शन एक प्रदर्शन-कर्ता द्वारा किया गया था, इसलिए मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं। बिक्री की अनुमति नहीं दी गई थी।

श्रमसंगठन कार्यकर्ता

६२३. **श्री राधा रमण** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या श्रमसंगठन कार्यकर्ताओं के अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने कलकत्ता में श्रम संगठन के सम्बन्ध शिक्षा देने के लिए एक कालिज खोला है

(ख) यदि खोला है, तो इसे खोलने के लिए भारत सरकार से क्या सुविधाएं मांगी गईं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां।

(ख) स्वतन्त्र मज़दूर संगठनों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने भारत सरकार से कोई सुविधाएं नहीं मांगीं।

गौ सदन

६२४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय तक राज्य-वार कितने गौ सदन मंजूर किये गए हैं तथा कितने चल रहे हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): एक विवरण जिस में कि अपेक्षित सूचना दी गई है, सम्बद्ध है।

विवरण

राज्य का नाम	मंजूर हुए गोसदनों की संख्या	चालू गौ-सदनों की संख्या
(१) बिहार	३	२
(२) मध्य प्रदेश	७	
(३) उड़ीसा	१	
(४) उत्तर प्रदेश	२	
(५) पेप्सु	१	
(६) भोपाल	१	१
(७) कच्छ	१	
(८) त्रिपुरा	१	१
(९) विन्ध्य प्रदेश	१	१
	——	——
कुल	१८ कुल	५

हाथी

६२५. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अंडमान के जंगलात विभाग द्वारा कितने हाथियों को पाला जा रहा है ?

(ख) उन में से कितने काम करने के अयोग्य हो गए हैं ?

(ग) इन हाथियों को पालने के लिए इस विभाग को प्रति मास औसत में कितना खर्च करना पड़ता है ?

(घ) इन में से कितने खरीदे गए थे तथा किस दाम पर खरीदे गए थे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथा-समय सदन-पटल पर रख दिया जायगा।

केन्द्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र, कटक

६२६. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय चावल अनुसन्धान केन्द्र, कटक की वार्षिक औसत आय क्या है तथा व्यय क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : १९४८–४९ से लेकर १९५२–५३ तक औसत वार्षिक व्यय (जिस में कि पूंजी व्यय भी शामिल है) ३·८५ लाख रुपये रहा है। इसी काल में औसत वार्षिक आय, २०,००० रुपये रही है।

कोयला खानों के मजदूर

३२७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत सरकार के अधीन कोयला खानों में ३१ मार्च, १९५२ तथा ३१ मार्च, १९५३ को क्रमशः कुल कितने (१) पुरुष तथा (२) स्त्री कमकर, राज्य-वार काम कर रहे थे;

(ख) १९५१–५२ तथा १९५२–५३ के वर्षों में सरकारी तथा प्राइवेट खानों से कुल कितना कोयला निकाला गया; तथा

(ग) १९५१–५२ तथा १९५२–५३ के वर्षों में सरकारी खानों में श्रमिकों को कितनी धनराशि दी गई ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में कि अपेक्षित सूचना दी गई है सदन-पटल पर रख दिया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०]**। चूंकि प्रत्येक मास के अन्तिम दिन को सेवायुक्त श्रमिकों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित नहीं किये जाते हैं, इसलिए विवरण में जो आंकड़े दिये गये हैं वह मार्च १९५२ तथा मार्च १९५३ के महीनों में सेवायुक्त कमकरों की औसत दैनिक संख्या से सम्बन्ध रखते हैं।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा ज्योंही यह उपलब्ध होगी, इसे सदन-पटल पर रख दिया जायगा।

काजू का उत्पादन

६२८ **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत में काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

(ख) भारत में सन् १९४७ और १९५२ में कुल कितनी कितनी भूमि में काजू उत्पन्न किया गया तथा कुल उत्पादन कितना कितना हुआ ?

(ग) क्या काजू का भारत में आयात भी किया जाता है ?

(घ) यदि हां, तो आयात किन किन देशों से और १९४७ से १९५२ तक प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में किया गया ?

(ङ) भारत में ऐसे कितने कारखाने हैं जो काजू साफ़ करते हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां; भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् मद्रास, बम्बई तथा त्रावनकोर-कोचीन राज्यों में काजू सम्बन्धी अनुसन्धान की योजनाओं के लिये वित्त दे रही है। मद्रास की योजना का उद्देश्य यह है कि काजू नये क्षेत्रों में भी उत्पन्न किया जाये तथा वर्तमान काजू-रोपण की उपज बढ़ाई जाये। बम्बई तथा त्रावनकोर-कोचीन की योजनाएं खेती के नये तरीकों के अध्ययन तथा प्रयोग के सम्बन्ध में हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्य नहीं है कि १९४७ म काजू कितने क्षेत्र में उत्पन्न किया गया तथा कुल कितना उत्पादन हुआ। वर्ष १९४८–४९ से पहले के आंकड़े प्राप्य नहीं हैं; १९४८–४९ में काजू १५९·७ हजार एकड़ भूमि में उत्पन्न किया गया तथा कुल उत्पादन ५०·९ हजार टन हुआ। १९५१–५२ के तत्संबन्धी आंकड़े क्रमश: १६२·४ हजार एकड़ तथा ५४·९ हजार टन हैं।

(ग) जी हां।

(घ) यह जानकारी तो इस समय प्राप्य नहीं है कि भारत में काजू का आयात किस किस देश से किया जाता है, परन्तु यह कहा जा सकता है कि कुल आयात का अधिकांश भाग पूर्वी अफ्रीका से आता है। पूर्वी अफ्रीका ही काजू उत्पन्न करने वाला एकमात्र दूसरा देश है। सदन-पटल पर एक विस्तृत विवरण रखा जाता है जिस में यह बतलाया गया है कि १९४७ से १९५२ तक के वर्षों में प्रत्येक वर्ष भारत में कुल कितने काजू का आयात किया गया। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ङ) भारत में १४० कारखाने काजू साफ़ करते हैं।

गायों तथा भैंसों का बुकिंग

६२९. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना, जगरांव, फ़रीदकोट, जिंद, भटिंडा, रोहतक, हिसार, ग़ाज़ियाबाद, आगरा, पटना तथा बनारस से हावड़ा, बम्बई तथा दिल्ली स्टेशनों को १९४७, १९४८, १९४९, १९५०, १९५१ तथा १९५२ में क्रमश: कितनी गाय भैंस बुक की गईं ?

(ख) १९४७, १९४८, १९४९, १९५०, १९५१ तथा १९५२ में क्रमश: कितनी गाय-भैंस हावड़ा, बम्बई तथा दिल्ली स्टेशनों पर बाहर से आईं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). रेलवे के पास जो कुछ भी जानकारी है, वह इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

डाक के टिकट

६३०. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने का कृपा करेंगे कि क्या किसी संस्कृत कवि या विद्वान (जैसे बाल्मीकि, व्यास या कालीदास) का चित्र डाक के टिकटों पर प्रकाशित किया गया है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी नहीं।

दुर्ग रेलवे स्टेशन

६३९. **श्री किरोलिकर** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर दुर्ग रेलवे स्टेशन से बाहर भेजे जाने वाले, नाज को ले जाने वाले गाड़ी वालों को माल गोदाम तक पहुंचने के लिये रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेलवे लाइन के ऊपर एक पुल बनाने का है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) द्रुग रेलवे स्टेशन के यार्ड में एक लेविल क्रासिंग मौजूद है जहां से एक सड़क माल उतारने-चढ़ाने के प्लैटफ़ार्म तथा मालगोदाम को जाती है। लेविल क्रासिंग से मालगोदाम की दूरी कोई १७०० फुट है।

(ख) इस समय नहीं।

रवनवाड़ कोयला खान में मजदूरों की छटनी

६३२. **श्री विट्ठल राव**: क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के छिदवाड़ा जिले में रवनवाड़ा कोयला खान के ७५ प्रतिशत मज़दूर अगस्त १९५३ में छटनी में निकाल दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अनिच्छा बेकारी के लिय कोई राहत दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इस का हिसाब किस प्रकार लगाया गया है;

(ङ) क्या छटनी करने से पूर्व इस की सूचना मध्य प्रदेश के कोयला खान मज़दूर संघ को दी गई थी; तथा

(च) वार्षिक उत्पादन तथा मज़दूरों का संख्याबल कितना है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (च). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

इंस्पैक्टरों की परीक्षा

६३३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी**: क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डाकखाने तथा रेलव डाक सेवा के लिये इंस्पैक्टर चुनने के लिये प्रति वर्ष परीक्षा की जाती है; तथा

(ख) यदि हां तो क्या उक्त परीक्षा इस वर्ष हुई थी ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इरादा तो यही रहा है।

(ख) क्योंकि गत परीक्षा के परिणाम अभी गत जून में ही घोषित हुए थे, अतः इस वर्ष कोई परीक्षा नहीं हो रही है। हां, कुछ सर्किलों के लिये नवम्बर में एक विशेष परीक्षा आयोजित करने का विचार है। समस्त सर्किलों के लिये आगामी परीक्षा के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

स्टीमरों के आने जाने का समय

६३४. **पंडित एस० सी० मिश्र**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार रेलवे टाइम टेबुल में पूर्व रेलवे सैक्शन पर मुंगेर और मुंगेर घाट के बीच स्टीमरों के आने जाने का समय भी प्रकाशित करने का है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जी नहीं, क्योंकि ये स्टीमर जो कि एक असरकारी अभिकरण द्वारा चलाये जाते हैं, रेलवे से सम्बद्ध एक सहयोजित सेवा के रूप में नहीं चलते।

आसाम और उत्तर भारत के बीच सड़क सम्पर्क

६३५. **पंडित एस० सी० मिश्र**: क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम को शेष उत्तर भारत से मिलाने वाली प्रस्तावित सड़क के निर्माण

का प्रश्न अभी विचाराधीन है या यह इरादा छोड़ दिया गया है;

(ख) क्या पूर्निया जिले में कढ़गोला तक किसी प्रकार की सड़क मौजूद है जिस पर अन्य प्रकार की मोटर गाड़ी नहीं तो कम से कम जीप तो चल सके;

(ग) क्या मुंगेर घाट तथा कढ़गोला के बीच पूर्ण रूप से सम्पर्क मौजूद नहीं है;

(घ) क्या इस सैक्शन में कोई परिमाप कार्य किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या नकशा विस्तृत रूप से तैयार है;

(च) क्या सैनिक गाड़ियां रेलवे का उपयोग किये बिना, लखनऊ या रांची से आसाम पहुंच सकती हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार नकशे में दिखलाई गई रेखा पर निकट भविष्य में किसी प्रकार की सड़क बनाने का है; तथा

(ज) यदि नहीं है, तो कब ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं। निर्दिष्ट सड़क पर सुधार कार्य चालू हैं।

(ख) राष्ट्रीय राज-पथ के आसाम से कढ़गोला (गंगा के उत्तर में) तक के स्थायी रास्ते पर इस समय एक मोटर की सड़क मौजूद है। मोटर की एक और सड़क भी है जो राष्ट्रीय राज-पथ २ (कलकत्ता-दिल्ली सड़क) पर कौलगोंग घाट (गंगा के दक्षिण में कढ़गोला के सामने) को डुमरी से मिलाती है।

(ग) जी हां। यह उस कड़ी का एक भाग है जो राष्ट्रीय राज-पथ के स्थायी रास्ते पर बरुनी (मुकामा घाट के सामने) और कढ़गोला के बीच इस समय मौजूद नहीं है।

(घ) जी हां। परिमाप कार्य अभी चालू है।

(ङ) रास्ते के सम्बन्ध में विस्तृत बातें परिमाप के समाप्त होने पर तय की जायेंगी।

(च) जी हां।

(छ) तथा (ज). जी हां। वस्तुतः आसाम को शेष भारत से दो मार्गों द्वारा मिलाया जा रहा है—इन में से एक तो वह मार्ग है जिस की ओर माननीय सदस्य ने निर्देश किया और दूसरा वह है जो कलकत्ता से बहरामपुर, धुलियां और रायगंज होता हुआ सीलीगुरी जाता है। विचार यह है कि गंगा के उत्तर में इस कड़ी के, जो कि इस समय नहीं है, निर्माण का कार्य इस प्रकार किया जाय कि वह गंगा पर प्रस्तावित मुकामा पुल के बनने के साथ साथ पूरा हो जाये क्योंकि जब तक यह पुल नहीं बनता तब तक सड़क से वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा जिस के लिये यह बनाई जा रही है।

बज बज स्टेशन पर रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

६३६. **श्री वाघमारे** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के बज बज स्टेशन पर रेल कर्मचारियों के लिये एल/७७, टी/७६ और एल/७५ प्रकार के छोटे क्वार्टरों का निर्माण यद्यपि १९४९ में प्रारम्भ हो गया था, परन्तु वहां अभी तक पानी के नलों, नालियों तथा बिजली आदि की व्यवस्था पूरी नहीं हो पायी है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; तथा

(ग) क्या यह सच है कि ये क्वार्टर, जो अभी तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए हैं, कर्मचारियों को दे दिये गये हैं और उन के वेतनों में से उन का किराया काटा जा रहा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). ये क्वार्टर

२९ नवम्बर, १९५१ को बन कर तैयार हुए थे और रहने के लिये दिये गये थे। क्योंकि ये क्वार्टर एक निचले स्थान पर बने हुए हैं, अतः वहां काफ़ी मट्टी डाली गई थी। क्वार्टरों से १०० फुट की दूरी पर दो इंच चौड़े नल वाला एक नल-कूप बना दिया गया है। पानी के नल लगाने की व्यवस्था उस सामान के आ जाने पर की जायेगी जो कि मंगाया गया है। उस समय की नीति के अनुसार इन क्वार्टरों में बिजली नहीं लगाई गई थी। अब इन में बिजली लगाने का काम एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा जो कि वर्ष प्रति वर्ष धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

(ग) क्योंकि उक्त क्वार्टर निधारित प्रकारों के हैं, अतः किराया चालू नियमों के अनुसार वसूल किया जाता है।

बम्बई में मोहम्मदअली रोड़ पर टेलीफोन एक्सचेंज

६३७. **श्री गिडवानी**: (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई में मोहम्मद अली रोड पर एक प्लौट में एक नये टेलीफोन एक्सचेंज के लिये एक नई इमारत बनाने का निश्चय किया था ?

(ख) क्या यह सच है कि गत वर्ष, इस प्रयोजन से, उस प्लौट पर से अनधिकार बसे लोगों को हटाया गया था और ज़मीन साफ़ की गई थी ?

(ग) क्या यह सच है कि इस समय इस जमीन का उपयोग पुराने सामान के विक्रेताओं द्वारा तथा टूटे फूटे बेकार सामान के रखने के लिये किया जा रहा है क्योंकि इमारत का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है ?

(घ) सरकार का विचार उक्त प्लौट पर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करने का है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां।

(ख) जी हां। बम्बई नगरपालिका ने, जिसका कि यह प्लौट था, इसे डाक तथा तार विभाग को पट्टे पर देने से पहले उन व्यक्तियों को निकाल दिया था जो वहां बसे हुए थे।

(ग) कुछ अनधिकृत व्यक्तियों ने प्लौटों पर फर्नीचर तथा अन्य बेकार सामान जमा कर रखा है और जगह को साफ़ करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(घ) निर्माण कार्य १९५४ के अन्त के लगभग प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की दक्षिणी प्रादेशिक समिति

६३८. **श्री मुनिस्वामी**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री वे महत्वपूर्ण विषय बताने की कृपा करेंगे जिन पर भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की दक्षिणी प्रादेशिक समिति की हैदराबाद में अगस्त, १९५३ के तीसरे सप्ताह में हुई वार्षिक बैठक में चर्चा हुई थी ?

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की दक्षिणी प्रादेशिक समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

(ग) क्या योजना के अधीन संकर-प्रजनन के कुछ क्षेत्र चुने गए हैं और यदि हां, तो कौन-कौन से ?

(घ) क्या कृत्रिम-गर्भाधान केन्द्र खोलने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

(ङ) यदि हां, तो यह केन्द्र कहां पर स्थित होगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ग) पशुओं के संकर-प्रजनन का अनुसंधान शुरू करने के लिए अनुमोदित क्षेत्र देश के (१) पहाड़ी क्षेत्र और (२) भारी वर्षा वाले मैदान हैं।

(घ) अभी नहीं। इस समिति ने प्रस्ताव मान लिया है, पर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अन्तिम निश्चय से पूर्व परामर्शदाता बोर्ड और परिषद् के प्रशासक-निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

(ङ) अभी इस केन्द्र को बंगलौर में स्थित करने का प्रस्ताव है।

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
१० सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १० सितम्बर १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९.१५ म० पू०

सदन की कार्यवाही

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : क्या हम जान सकते हैं कि सदन का प्रस्तुत सत्र कब तक समाप्त होगा ? कहा जाता है कि यह सत्र दिनांक २४ सितम्बर तक बढ़ा दिया जायगा। यह १८ सितम्बर को समाप्त हो जायगा अथवा २४ सितम्बर तक रहेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मुझे ज्ञात है सदन के माननीय नेता अथवा सरकार ने सदन को अठारह सितम्बर के पश्चात् बढ़ाने के लिये कोई प्रार्थना नहीं की है। हम अनुसूची के अनुसार कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सदन की बैठक १८ सितम्बर को समाप्त हो जायगी और थोड़े अवकाश के पश्चात् यह फिर प्रारम्भ होगी।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

अन्तराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सम्मिलित भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : जून, १९५३ में जेनेवा में दूर अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन के भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति मैं सदन पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या ४ आर० ओ० (१७५)]

सम्पदा शुल्क विधेयक—क्रमशः

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : आगे चर्चा करने के पूर्व मैं प्रार्थना करता हूं कि कल सदन की कार्यवाही में जो अनियमितता आ गई थी आप उस पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस विषय में पहले सचिव का ध्यान आकर्षित करना चाहिये और हम इस पर विचार करेंगे। मैं इस विषय को देखूंगा।

श्री एस० सी० सामान्त : उक्त प्रश्न पर आप को अपना निर्णय देना था।

उपाध्यक्ष महोदय : वह क्या है।

श्री एस० सी० सामन्त : कार्यवाही के पृष्ठ ७६३२ पर आपने व्यक्त किया था :

[श्री एस० सी० सामन्त]

" अतः यह संशोधन रखा जायेगा। ७५,००० रुपये से १ लाख रुपये तक दर बढ़ाने से असम्बद्ध दूसरे संशोधनों का जहां तक सम्बन्ध है मैं उन्हें सदन में जानने के लिये रखूंगा।"

यहां प्रकट है कि संशोधन संख्या १३७, २७९, १३५, २८० और ३४६ संशोधन भी सदन में मत के लिये रखे गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उस में क्या आपत्ति है ?

श्री एस० सी० सामन्त : वे भी ७५,००० रुपये से १,२५,००० रुपये अथवा १,५०,००० रुपये की दर बढ़ाने के आशय से हैं। निर्णय देने के पूर्व उन्हें कैसे लिया जा सकता था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय सदस्य कार्यवाही की असंशोधित प्रति से पढ़ रहे हैं और इसलिये उसे संशोधन करने की आवश्यकता है।

अब सदन विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा जिसमें प्रवर समिति के अनुसार सम्पदा शुल्क के आरोपण और संग्रह करने की व्यवस्था है।

श्री गिडवानी (थाना) : कुछ समाचार पत्रों में गलत समाचार छपा है कि अ-हिन्दू परिवारों के विषय में छूट की सीमा लगभग १ लाख रुपये है। मेरी इच्छा है कि इसे ठीक कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि समाचार पत्र इसे छापते हैं तो माननीय सदस्य उन पत्रों पर निर्भर क्यों करते हैं। सदस्य स्वयं ही नियम के जन्मदाता हैं।

श्री गिडवानी : मेरा अभिप्राय साधारण जनता से है जिससे इस तरह के भ्रामक समाचार पढ़ने को मिलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने खण्ड ३८ से खण्ड ४२ तक पहले ही निबटा दिये हैं। मैं अब उन्हें एक साथ सदन में मत जानने के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४३ से ४६ इस विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४३ से ४६ तक विधेयक के अंग बना लिये गये।

खण्ड ४७.—(सेवा के भत्ते आदि)

श्री तुलसीदास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २४ पर

खण्ड ४७ के स्थान पर निविष्ट कीजिये :

" ४७. आदान प्रदान न करने वाले देशों में सेवा के लिये देय भत्ता—जब मृत व्यक्ति की मृत्यु पर मिली हुई सम्पत्ति किसी आदान प्रदान न करने वाले देश में अवस्थित है और नियंत्रक इस तथ्य से संतुष्ट है कि उक्त मृत्यु के परिणामस्वरूप उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में शुल्क देय है वह उक्त सम्पत्ति पर भारतीय सम्पदा शुल्क में से भारतीय शुल्क अथवा विदेशी शुल्क जो भी कम हो उतना अपकर्ष कर देंगे।

व्याख्या : इस धारा में 'आदान प्रदान न करने वाले देश' का अर्थ है भारत के अतिरिक्त कोई भी ऐसा देश जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आदान प्रदान करने वाला देश घोषित नहीं किया गया है।"

खण्ड ४७ आदान प्रदान न करने वाले देशों में सेवा के लिये भत्तों से सम्बन्धित है, और इस प्रकार है :

" जब मृत व्यक्ति की मृत्यु पर मिली हुई सम्पत्ति आदान प्रदान न करने वाले देश में अवस्थित है और नियंत्रक इस तथ्य से संतुष्ट है कि उक्त मृत्यु के परिणामस्वरूप उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में शुल्क देय है, इस दिशा में बोर्ड द्वारा जो भी नियम बनाये गये हैं उन के अन्तर्गत, वह सम्पत्ति के मूल्य से शुल्क की पूरी अथवा अंशिक रकम को घटा सकता है । "

मेरा तो यह कहना है कि चाहे कुछ भी वह शुल्क हो जो कि विदेश में दे दिया गया है उसे यहां से मुक्त कर देना चाहिये । आयकर अधिनियम में जो अभी संशोधित हुआ है, उसके अनुसार वह कर जो विदेश म दिया गया है उसे उस व्यक्ति की सम्पूर्ण आय पर यहां लगने वाले मुक्त कर में से निकाल दिया जाता है अर्थात् कुल आय पर कुल कर जो लगेगा उस कुल कर में से विदेश में दिये गये कर को निकाल कर शेष कर उससे यहां ले लिया जायेगा। अतएव यह अच्छा है कि वह शुल्क जो विदेश में दे दिया गया है उसे यहां के कुल दिये जाने वाले शुल्क में से निकाल देना चाहिये । इस प्रकार उस की सारी सम्पत्ति एक मानी जायेगी । आयकर अधिनियम का सिद्धान्त ही मैं इस मामले में लागू कर रहा हूं । मेरी समझ में यह नहीं आता कि नियंत्रक की स्वेच्छा पर ही यह क्यों छोड़ा गया है कि जो कुछ वह आवश्यक समझता है वही वह कम कर दें । यह तो एक प्रकार से असंगत तथा अनुचित है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को कुछ मिथ्याबोध है । नियंत्रक तो यह निर्धारित करता है कि जिस भाग पर कर नहीं लगता। किन्तु बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उसके कार्य नियमित होंगे । अतएव जहां कि नियंत्रक द्वारा मात्रा निश्चित होती है, उसके निश्चय के विरुद्ध उपायों को ध्यान में रखते हुए, दुहरा शुल्क बचाव के नियम नियंत्रक द्वारा नहीं बनाये जाते अपितु बोर्ड द्वारा बनाये जाते हैं । अब हमारी स्थिति यह है कि इस विधेयक के पारित हो जाने के उपरांत हम इस योग्य होंगे कि दूसरे देशों से दुहरे सम्पदा शुल्क से बचाव के हेतु समझौते कर सकें । यदि हम देखते हैं कि यह संभव नहीं है तो हम एक पक्षीय सहायता के प्रश्न पर विचार करेंगे, तब हम इस सम्बन्ध में नियम बनायेंगे जो कि सदन को प्रस्तुत किये जायेंगे । यदि हम देखते ह कि यह न्याय के अनुसार है तो इन नियमों को भूतलक्षीय दृष्टि से कार्यन्वित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं मानेंगे । इस आश्वासन के आधार पर मैं तो नहीं समझता कि यह आवश्यक है कि माननीय सदस्य इस संशोधन के बारे में अधिक दबाव डालें ।

श्री तुलसीदास : मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है मैं इसे अप्रस्तुत समझूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

खंड ४७ विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ४७ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड.–४८ (सम्पदा शुल्क आदि से मक्ति)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्तुत करता हूं कि :

[श्री सी० डी० देशमुख]

पृष्ठ २५ में

पंक्ति ५ तथा ६ के स्थान पर निम्न आदिष्ट किया जाय :

"Provided that the total amount of such reduction shall in no case exceed that amount which would have been paid by way of court-fees if the rates under the law in force on the 1st day of September, 1953, in the relevant State had been applicable to the grant of probate, letters of administration or succession certificate, as the case may be."

(" परन्तु ऐसी कमी की कुल मात्रा किसी भी देश में उस मात्रा से अधिक नहीं होगी जो न्यायालय शुल्क के रूप में दी गयी होगी यदि १ सितम्बर, १९५३, को प्रचलित विधि के अधीन दरें सम्बन्धित राज्य में, यथा-स्थिति मृत्युलेख प्रमाण, शासनाधिकार पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के दिये जाने पर लागू थीं । ")

श्री तुलसीदास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १५ में

पंक्ति ५ तथा ६ को हटा दिया जाय

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा संशोधन बहुत छोटा है ।

खंड ६८ के वर्तमान परन्तुक के अनुसार दिये जाने वाले सम्पदा शुल्क का कुल १/३ भाग छट के लिये निश्चित है । यह कहा गया है कि यह एक मन-माना प्रसंग है । किन्तु हम कुछ सीमाओं का निर्दिष्टीकरण करेंगे क्योंकि यह हमारा अनुभव है कि राज्यों में न्यायालय शुल्क में काफी परिवर्तन होता रहता है । अतएव यह प्रश्न उठता है कि वह सीमा जिसका चुनाव हम ने किया है क्या वह ठीक है अथवा नहीं ? यह कहागया है कि १/६ भाग बहुत थोड़ी छट है । हमारा उद्देश्य यह है कि समस्त न्यायालय शुल्क में कुछ कमी की जाय किन्तु उसे बढ़ाया न जाय । निर्दिष्ट तिथि तक जिसको कि हम ने १ सितम्बर १९५३ निश्चय किया है हम लागू होने वाली वस्तुओं पर दरें निश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । अतएव हम आशा करते हैं कि राज्य अपने यहां शुल्क को इतना अधिक नहीं बढ़ायेंगे कि वे सम्पदाओं पर देय सम्पदा शुल्क को अधिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से अपने में सम्मिलित कर ले । हमारा विचार है कि इस संशोधन द्वारा हम इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल न्यायालय शुल्क ही नहीं अपितु उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, मृत लेख प्रमाणपत्र पर स्टाम्प शुल्क भी लिया जाता है । इन सब मामलों में न्यायालय शुल्क बहुत कम है अर्थात एक रुपया । किन्तु यह स्टाम्प शुल्क मृत लेख प्रमाण पत्र पर देना होता है । क्या यह स्टाम्प शुल्क न्यायालय के शुल्क के अन्तर्गत आता है ?

श्री के० के० बसु : यह न्यायालय शुल्क अधिनियम के अधीन है ।

श्री राघवाचारी : यह न्यायालय शुल्क है ।

श्री सी० डी० देशमुख : हमारा विचार यह है कि यह एक समावेशक शब्द हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायालय शुल्क में स्टाम्प शुल्क नहीं आता ।

श्री सी० डी० देशमुख : न्यायालय शुल्क अधिनियम के उपरांत हम इस पर विचार करेंगे। मेरी इस समय यह इच्छा है कि हम इस समय इसे बृहत रूप में प्रयुक्त करें :

श्री सिहांसन सिंह (ज़िला गोरखपुर-दक्षिण) : मृत लेख प्रमाण पत्र पाने की प्रार्थना पर प्रार्थी को केवल न्यायालय शुल्क ही नहीं देना पड़ता अपितु उसे कुछ और भी देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसे और भी खर्चे जैसे वकील आदि का महनताना आदि भी देना पड़ता है। अतएव इसमें १/६ की छट देनी भी काफ़ी महत्व का है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि सभी आवश्यक वैधानिक खर्च जो कि मृत लेख प्रमाण पत्र के बाद के समय होते हैं उन सब से विमुक्ति मिल जानी चाहिये।

पं० ठाकुर दास भार्गव (गुड़गाव) : मृतलेख प्रमाणपत्र तथा शासनाधिकार पत्र के लिये दिये गये प्रार्थनापत्र में जितनी धन-राशी दी गई है उस के मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि स्टाम्प शुल्क आदि को भी इस में सम्मलित कर लिया जाय। वैधानिक खर्चे भी इसमें सम्मलित होने चाहियें।

श्री एन० सामन्त (कुर्ग) : मेरे विचार से जो कुछ भी खर्चा हुआ है वह सभी समाप्त कर देना चाहिये। सभी खर्चा जो वध प्रतिनिधि अथवा मृतक के उत्तराधिकारी ने किया है वह सब न्याय के विचार से छोड़ना चाहिये। अतएव मेरा निवेदन है कि यह परन्तुक निकाल देना चाहिये और यह धारा ज्यों की त्यों रहे।

श्री तुलसीदास : मृतलेख प्रमाणपत्र शुल्क तथा उत्तराधिकार शुल्क राज्य सरकारों द्वारा भी लगाये जाते हैं और यह शुल्क भी राज्य सरकार को जायेगा अतएव फिर यह सीमा क्यों निश्चित की जा रही है ? जो कुछ भी शुल्क लगाया गया है उसे अलग कर देना चाहिये। फिर यह १-६ भाग की तथा १ सितम्बर १९५३ की अवधि क्यों निश्चित की गई है ? राज्य सरकारें भी शुल्क लगा रही हैं तो फिर यह दुहरा शुल्क किस बात का ?

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : देय शुल्क को बढ़ाने के लिये न्यायालय शुल्क अधिनियम अथवा स्टाम्प शुल्क अधियिनयम में संशोधन करना होगा। अतएव यह निश्चित है कि मरने वाले व्यक्ति की सम्पदा पर शुल्क लगेगा। आप कितना शुल्क लगायेंगे। इस के लिये हमें एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर लें। यदि राज्य सरकारों द्वारा शुल्क में वृद्धि की जाती है अथवा न्यायालय शुल्क बढ़ाया जाता है तो यह बात उत्तराधिकारियों एवं विधि प्रतिनिधियों के लिये हितकर नहीं है। अतएव इस प्रतिबन्ध को हटा देना चाहिये।

श्री राघवाचारी : मैं देखता हूं कि प्रवर समिति की प्रत्येक सिफारिश प्रस्तावित संशोधनों द्वारा परिवर्तित एवं परिवर्द्धित कर दी गई है। जब प्रवर समिति के सदस्यों द्वारा ही उस समिति की सिफारिशों को परिवर्तित कर दिया जाता है तो उस समिति का मूल्य क्या रहा ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रवर समिति सरकार की नहीं हुआ करती अपितु वह तो समस्त सदन की होती है। प्रवर समिति के सदस्यों को यह अवसर मिलता है जब कि वे अपने विचारों का प्रतिपादन वहां कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य प्रवर समिति के विचारों से सहमत नहीं होता तो वह सदन को विमति टिप्पणी द्वारा सूचना दे सकता है। यह सुविधा न केवल प्रवर समिति के सदस्यों तक ही सीमति है अपितु मंत्रियों को भी मिली है। किन्तु उसे अपने

[उपाध्यक्ष महोदय]

मत का प्रतिपादन करते हुए सदन को सन्तुष्ट करना होगा कि वह प्रवर समिति के समक्ष इस बात पर दबाव क्यों नहीं डाल सका। मेरा तो साधारण रूप से यह कहना है कि यह मामला सदन के सम्मुख नहीं रखना चाहिये। यह कोई निर्णय नहीं है अपितु यह तो एक प्रथा है जिसका पालन प्रवर समिति के सभी सदस्यों को करना चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं कुछ बातें आप के समक्ष रखना चाहता हूं :—एक तो यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन को रखे हुए तथा इस विधेयक के प्रस्तुत करने में कुछ समय बीत गया है। और इस बीच में नाना प्रकार के अभ्यावेदन सरकार के पास बहु-संख्या में आये हैं। यें सभी मामले हमारे सामने नहीं थे। सभी प्रकार के व्यक्तियों एवं संघों से अभ्यावेदन आये जिनमें वाणिज्य मंडल, स्टाक एक्सचेंज सभी प्रकार की संस्थायें आदि आदि थीं। अगर हम कहें कि हम ने इन सभी बातों पर सोचा होता और तब अपनी विमति टिप्पणी दी होती तो हम कह सकते थे कि इतने महत्वपूर्ण मामले के विचार में हम रोड़ा अटका रहे हैं।

दूसरे, सदन के पिछले सत्र में यह कहा गया था कि जिन्होंने संशोधनों की सूचना दी हैं उन से मिलूं ताकि वादविवाद की स्थिति को कम किया जा सके। तदोपरांत मैं इसी आशा से यहां से लौटा कि इस में अध्यक्ष तथा अन्य माननीय सदस्यों की स्वीकृति है। माननीय संदस्यों से इस सम्बन्ध में बार बार भेंट की तथा हमने स्पष्ट रूप से सभी बातों पर वादविवाद किया। इस का अभिप्राय कभी भी यह नहीं था कि हम प्रवर समिति का असम्मान करना चाहतें हैं। वह भी इस विचार से कि सदन में इस विधेयक पर अनुकुल रूप से विचार हो सके और मेरा विचार है कि उस समय के वादविवाद बहुत ही महत्व के हैं। और जैसा कि आपने इस विधेयक के समय के वादविवाद के दृष्टिकोण को देखते हुए अनुमान लगा लिया होगा कि कितनी गम्भीरता के साथ इस विधेयक पर विचार हुआ एवं सभी सदस्यों ने बड़ी गम्भीरता के साथ अपने अपने संशोधन भी रखे। साधारण वाद विवाद के समय कुछ सदस्यों की विचारधारा का मैं ने उचित उत्तर भी दिया है।

इस निर्णय का प्रभाव यह होगा कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के उपरांत मुझे अपनी एक धारणा बना लेनी होगी और उस में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। मेरा विचार है कि ऐसा करना सर्वसाधारण के लिये हितकर नहीं होगा — मेरा तो अपना ऐसा मत है मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं समझता हूं कि मुझ पर यह आरोप लगाया जायगा कि ऐसे महत्वपूर्ण वैधानिक मामलों में भी मैं अपनी बात पर अड़ने वाला व्यक्ति हूं।

श्री राघवाचारी : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस प्रथा के अनुसार कि प्रवर समिति के सदस्य समिति की सिफारिशों का अनुसरण करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, हम में से बहुत से लोग इन सिफारिशों को बदलने के लिये संशोधन नहीं प्रस्तुत कर सके।

दूसरी बात यह है कि अभ्यावेदनों के आने पर विधेयक को पुनः प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर देना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस से सहमत हूं। माननीय सदस्यों या सरकार या वाणिज्य मंडल या संस्थाओं को मंत्री के पास अभ्यावेदन करने के काफ़ी अवसर मिले थे। यदि यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है,

जिसे प्रवर समिति में नहीं उठाया जा सका था, तो उन में से कोई भी संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है। किन्तु मेरे विचार में पुनः प्रवर समिति के पास भेजने का कोई लाभ नहीं है।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि कोई सुविधा देने का इरादा है, तो मैं अपने संशोधन को वापस लेने और अन्य सब संशोधनों का विरोध करने के लिये तैयार हूं।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : आप ने साधारण स्थिति का वर्णन किया है किन्तु माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि कई परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, जो कि प्रवर समिति की बैठक के समय नहीं बल्कि बाद में उत्पन्न हुई हों। अतः अपवाद के रूप में आप सरकार को संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकते हैं।

श्री एस० एस० मोरे : प्रवर समिति को जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, वे सदस्यों में परिचालित किये जाने चाहियें थे, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि वित्त मंत्री किन बातों को इतनी जल्दी मान रहें हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : केवल निहित स्वार्थ वाले ही अभ्यावेदन नहीं करते। यह कहना ठीक नहीं है कि वित्त मंत्री निहित स्थार्थों की मांगें स्वीकार करते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ज्ञापनों के परिचालन के बारे में, मुझे किसी माननीय सदस्य से प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई। यदि किसी ने इच्छा प्रकट की होती तो मैं इन चीज़ों को परिचालित करवा देता।

जहां तक दूसरे विषय का सम्बन्ध है, मैं श्री गाडगिल से सहमत हूं। यह कोई सामान्य नियम नहीं है कि प्रवर समिति की रिपोर्टों के बाद कुछ भी प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो सकती हैं जिन्हें प्रवर समिति के समय नहीं सोचा जा सकता था। अतः इसे बाधित नहीं समझना चाहिये। और मैं इस सम्बन्ध में कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं कर रहा हूं। मैं केवल प्रवर समिति के सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि उन संशोधनों के सम्बन्ध में, जो कि सदन के अन्दर या बाहर प्रस्तुत ऐसे विषयों के सम्बन्ध में आवश्यक हों, जिन का कि पहले सरलता से पूर्वाभास नहीं हो सका पक्षपात किये बिना इस प्रथा को स्वीकार कर लिया जाये। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जब कभी प्रवर समिति का कोई सदस्य कोई विशेष संशोधन करे, तो उसे सदा उसको अपवाद स्वरूप समझना चाहिये। किन्तु जहां तक संभव हो, प्रवर समिति के सदस्यों को, यदि वे सदन में किसी बात पर वादविवाद करवाना नहीं चाहते, तो यदि वह चीज़ अचानक न उपस्थित हो गई हो, तो अपने भिन्न सम्मति में लिख देना चाहिये। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह ऐसे किसी भी उचित अभ्यावेदन पर विचार कर सकती है, जो कि प्रवर समिति में प्रस्तुत न किया गया हो।

श्री धुलेकर : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रवर समिति के सदस्यों को जिन्हें बहुत अवसर मिल चुके हैं, संशोधन प्रस्तुत करने और सदन में बोलने का कोई अवसर नहीं देना चाहिये। उन के स्थान पर आंध्र सदस्यों को, जो कि प्रवर समिति के सदस्य नहीं थे, संशोधन प्रस्तुत करने और सदन में बोलने का अवसर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने प्रक्रिया को ठीक तरह से नहीं समझा। प्रक्रिया यह है कि उन सदस्यों को जिन्हें प्रवर समिति में लिया जाता है, कोई अवसर नहीं दिया गया। वे अन्य सदस्यों के

[उपाध्यक्ष महोदय]

अधिक से अधिक भाषण सुनने के लिये तैयार होते हैं। प्रवर समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, हम समिति के सदस्यों को यह अवसर देते हैं कि जब उन की आलोचना की जाय, तो वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जो कुछ उन्होंने प्रवर समिति में किया, उन्हें उसका समर्थन करना होता है अन्य सदस्यों को भी जिन्होंने विमति टिप्पण लिखा है, सदन को संतुष्ट करने का अवसर अवश्य देना चाहिये। जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है, हम इस बात का ख़याल किये गये बिना कि ये प्रवर समिति से आये हैं या नहीं इन पर विचार करते हैं। मेरे विचार में एक प्रथा प्रचलित कर देनी चाहिये कि प्रवर समिति के सदस्य साधारण प्रकार के ऐसे प्रश्न न उठायें, जिन्हें प्रवर समिति के समक्ष नहीं रखा गया। अन्य सदस्य प्रवर समिति की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं और संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह सिद्धान्त ध्यान में रखें। इस के अतिरिक्त मैं कोई कठोर नियम नहीं निर्धारित करना चाहता।

श्री सी० डी० देशमुख : इस खंड के मुख्य भाग में न्यायालय शुल्कों का उल्लेख किया गया है।

श्री रघुरामय्या (तेनोलि) : स्वाभाविकतया न्यायालय-शुल्क सम्बन्धी विधि में न्यायालय शुल्क और मुद्रांक शुल्क में भेद किया गया है। अतः "मुद्राक-शुल्क" शब्दों को रखना आवश्यक है, जिससे कि इस विषय में कोई सन्देह नहीं रहे कि इस में मुद्रांक शुल्क भी सम्मिलित है।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : सामान्य प्रथा यह है कि प्रार्थी सम्पत्ति का मूल्य आंक लेता है औरनियत तिथि पर राशि जमा करवा देता है। जब प्रशासन पत्र या मृत लेख प्रमाण दिये जाते हैं तो जमा धन में से मुद्रांक ख़रीद लिया जाता है और मृतलेख प्रमाण का प्रशासन पत्र दे दिया जाता है।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : शुल्क चुका देने के बाद इस का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। अतः मैं समझता हूं कि 'न्यायालय शुल्क' इस शब्द से काम चल जायेगा।

श्री सी० डी० देशमुख : परन्तु बात यह है कि इस में हम वकीलों की फ़ीस को सम्मिलित करना नहीं चाहते।

प० ठाकुर दास भार्गव : "न्यायालय शुल्क तथा अन्य विधि सम्बन्धी व्यय" क्योंकि विधि के अन्तर्गत निर्णय के बाद सदाही एक औपचारिक आदेश जारी किया जाता है। इसे यहां क्यों न जोड़ दिया जाये ?

श्री रघुरामय्या : हम न्यायालय शुल्क के रूप में दिये गये शुल्क की छूट की सीमा को घटा कर १/६ कर देने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह बहुत अन्यायपूर्ण है। यदि विधेयक में से दूसरा उपबन्ध हटा लिया गया तो यह १ सितम्बर को देय दर तक सीमित कर दिया जायेगा। अतः न्यायालय शुल्क बढ़ाने पर इस की दर भी बढ़ जायेगी। वास्तव में इस संशोधन पर बल न दे कर मूल संशोधन को निकाल देना ही अच्छा रहेगा। इसके लिये सरकार को एक स्वतंत्र संशोधन प्रस्तुत करना पड़ेगा।

श्री सी० डी० देशमुख : न्यायालय शुल्क तथा सम्पदा शुल्क की आप राज्य को मिलेगी। न्यायालय शुल्क तो सीधा राज्य को मिल जाता है किन्तु सम्पदा शुल्क के वितरण की दर अभी संसद् के अधिनियम द्वारा निश्चित की जायेगी। अतः हम किसी राज्य विशेष के हानि लाभ का ठीक ठीक पता नहीं लगा सकते।

हम यह समझते हैं कि १/६ बहुत अधिक होगा और इस से अधिक कटौती की जा सकती है। यदि हम यह देखेंगे कि न्यायालय शुल्क बढ़ गया है या वितरण के किसी ढंग से किसी राज्य से अन्याय होता है, तो हम इस धारा में संशोधन कर देंगे। अतः मुझे तुलसीदास के संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ २५ में से पंक्ति ५ और ६ निकाल दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री का संशोधन बाधित है।

प्रश्न यह है कि "खंड ४६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खड ४८ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ४९—शुल्क वसूल करने का तरीका

श्री तुलसीदास : मैं अपना संशोधन (संख्या १६२) प्रस्तुत करता हूं।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : मैं अपना संशोधन (संख्या ५६३) प्रस्तुत करता हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी अचल सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क सम्पत्ति के रूप में देना चाहे तो बोर्ड को, यदि वह ठीक समझे, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। यदि ऐसी सम्पत्ति के बारे में बोर्ड और सम्बन्धित व्यक्ति में समझौता हो जाये तो बोर्ड को शुल्क के रूप में उस सम्पत्ति को ले लेने का अधिकार होना चाहिये।

यह एक बड़ा असाधारण खंड है और इससे कर देने वालों में बड़ा डर पैदा हो गया है। खंड में व्यापक रूप से कहा गया है कि सम्पदा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी भी साधन व प्रणाली से वसूल किया जा सकता है। वास्तव में शुल्क लेने के सारे तरीक़े को बोर्ड पर छोड़ कर उसे बहुत कड़ा अधिकार दे दिया गया है।

आप जानते हैं कि इस क़ानून का मध्य वर्ग के बहुत से परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा। उन मामलों में जहां कि रिहायशी मकान एक ही हो और नक़द पैसा कुछ नहीं वहां लोगों को मजबूर हो कर अपनी सम्पत्ति बेचनी होगी, जो उनके सर्वनाश का कारण होगा। इसी-लिये मैं कह रहा हूं कि सम्पत्ति के रूप में शुल्क देने की अनुमति होनी चाहिये। इग्लैंड के क़ानून में यह उपबन्ध मौजूद है। वहां लोग सारा शुल्क या उसका कुछ भाग ऐसी सम्पत्ति को दे कर चुका सकते हैं जिसके करों में कमिश्नरों तथा सम्बन्धित व्यक्ति में समझोता हो गया हो। इसके द्वारा सम्पत्ति के अधिक मूल्य आंकेजाने पर भी रोक लगाई जा सकती है। इस में सरकार को भी नुक़सान नहीं हो सकता क्योंकि आन्तिम फैसला बोर्ड के हाथ में होगा। यदि बोर्ड ठीक समझेगा तो ही वह सम्पत्ति को स्वीकार करेगा वरना नहीं। इग्लैंड में इस उपबन्ध के द्वारा करदाताओं व सरकार दोनों को ही फ़ायदा पहुंचा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री एस० एस० मोरे : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। वर्त्तमान विधेयक का उद्देश्य यह है कि राज्य सरकारों के पास पंच वर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक रूपया आ जाये। हमें बहुत पैसे की ज़रूरत है और इस क़ानून के द्वारा हमें वह प्राप्त हो

[श्री एस० एस० मोरे]

सकता है । इस के द्वारा राज्य सरकारों के हाथ में ताल निधि आ जायेगी जिससे वे विभिन्न योजनाओं की अर्थ-व्यवस्था कर सकेंगी । अब यदि हम इस संशोधन को पारित कर देते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि जिन लोगों के पास बेकार सम्पत्ति होगी वे उसे निकालने का प्रयत्न करेंगे । वे इसी फ़िक्र में रहेंगे कि किसी प्रकार टूटे टाटे मकानों से उनका पिंड छूटे । इन सम्पत्तियों पर सरकार को अपनी तरफ़ से ख़र्चा और करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बुरी हालत में होंगी । राज्य सरकारों का बहुत सा पैसा इन की मरम्मत आदि में चला जायेगा । यदि हम इस संशोधन को मान लेते हैं तो किस उद्देश्य के लिये यह शुल्क लगाया जारहा है, वह पूरा नहीं हो सकेगा । फिर, ऐसा हो सकता है नियंत्रक इन सम्पत्तियों का मूल्य वसूल भाव से ज्यादा आंक लें । इसका नतीजा यह होगा कि सरकार उस सम्पत्ति का मूल्य अधिक दे देगी जिसका कि वास्तव में बाज़ार में मूल्य कम हो । इसके अलावा ज्यों ज्यों सम्पत्ति के दाम गिरते जायेंगे सरकार को भी उतना ही नुकसान होता चला जायेगा । मेरा निवेदन है कि सरकार अपने ऊपर इन बेकार की सम्पत्तियों का भार क्यों ले जिसमें उसे सिवाय नुक़सान के और कुछ नहीं हो सकता । मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक कि इस अमैंडमैंट का ताल्लुक़ है, यह अमैंडमैंट ख़ासी माडैस्ट है और यह अमैंडमैंट अख्तियार देती है बोर्ड को कि जिन सूरतों में बोर्ड की मरज़ी हो, बोर्ड मुनासिब समझे, तो ऐसा करना दुरुस्त होगा । उन सूरतों में बोर्ड अगर चाहे तो ऐसी प्रापर्टीज़ को ले । मगर मोरे साहब का जो ख्याल है वह एक हद तक तो दुरुस्त है कि अगर कंट्रोलर ऐसा करप्ट हुआ कि उसने ओवरवैल्युएशन काफ़ी कर दिया . . . .

श्री एस० एस० मोरे : भ्रष्ट उद्देश्य से नहीं लेकिन वास्तव में गलती हो जाने के कारण ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर बोनाफाइड मिस्टेक है तो मिस्टेक का फ़ायदा सबजैक्ट को मिलना चाहिये । अगर फ़िलवाक़ै कोई मिस्टेक हुई है, अगर मेरे पास जायदाद है ५० हज़ार की, जिस की क़ीमत कंट्रोलर ने एक लाख लगा दी है और उस पर टैक्स लेना चाहता है तो यह बिल्कुल फ़ैयर है कि मैं यह अर्ज़ कर सकूं कि जिस क़ीमत पर आप ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया है, उस पर आप उस जायदाद को ले लीजिये । अगर इन्साफ़ की निगाह से देखा जाये तो मिस्टर चैटर्जी की अमैंडमैंट ओवर माडैस्ट है, क्योंकि यह तो सिर्फ़ बोर्ड को अख्तियार देती है । अगर इन्साफ़ के तक़ाज़े से देखा जाय तो हर एक शख्स जिस पर टैक्स लगे, उस को यह हक़ होना चाहिये कि अगर वह चाहे तो गवर्नमैंट से यह कहे कि जो क़ीमत आप ने लगाई है मुझे तो वह मंजूर नहीं है, लेकिन चूंकि आप के एक हाकिम ने, गवर्नमैंट के शख्स ने लगाई है, तो मैं यह अर्ज़ करता हूं कि आप इस को इसी क़ीमत पर ले लीजिये । यह बिल्कुल जस्ट होती अगर अमैंडमैंट यह होती कि जो कुछ असैसी के ऊपर क़ीमत लगी है, उस क़ीमत पर गवर्नमैंट मजबूर होती कि उस जायदाद को ऐकसैप्ट करे । यह बिल्कुल जायज़ बात होती ।

लेकिन इसके अन्दर चन्द दिक्क़तें हैं जो हाउस को मजबूर करती हैं । इसलिये हाउस को कम से कम इस अमैंडमैंट को जो

इस माडैस्ट फ़ार्म में आई है, मंजूर करना चाहिये । यह हो सकता है कि ऐसी सूरत में गवर्नमैंट के पास बहुत सारी जायदादें आ जायें । मुमकिन है कि गवर्नमैंट को एक ऐसा डिपार्टमेंट खोलना पड़े जिस में बहुत सी जायदादें आवें और वह जायदादें ख़रीदे और बेचे । मगर जो दिक्क़त मोरे साहब ने बतलाई उसी ख्याल से चटर्जी साहब ने जो अमैंडमैंट रखी है उस में महज़ बोर्ड को अख्तियार दे दिया गया है । असल सेकशन के अल्फ़ाज़ यह हैं :

सम्पदा शुल्क बोर्ड ऐसे साधनों के द्वारा तथा ऐसे ढंग से वसूल किया जा सकता है, जो बोर्ड विहित करे । इसके अन्दर यह नहीं है कि हर सूरत में बोर्ड को यही तरीक़ा अख्तियार करना पड़ेगा और वह कोई दूसरा तरीक़ा बरत नहीं सकेगा कि जिस की रू से वह जायदाद हासिल कर ले । अगर किसी के पास सिवाय मकान के कुछ नहीं है और वह उस मकान को देना चाहता है तो सरकार मकान को ले ले, तो शायद वही वैस्ट तरीका हो कि सरकार मकान को लें ले फिर चाहे जो क़ीमत भी उसकी लगे और चाहे जिस क़ीमत पर वह उठे, लेकिन जो क़ीमत लगाई गई है उस पर सरकार को लेना उस का फ़र्ज़ होगा, चाहे उस में नफ़ा ही या नुक़सान ।

यह क़ानून जो हम बनाने जा रहे हैं और जो अब तक हम ने पास किया है वह यह है कि सारा अख्तियार बोर्ड आफ़ रेवेन्यू को है, हर एसेसी इन दी होलो आफ़ दी हैंड आफ़ दी बोर्ड है, और उसके अन्दर हम ने जुडीश्यल ट्रिबयुनल का कोई प्राविज़न नहीं रक्खा है। अगर उसमें कोई जुडिश्यल ट्रिबयुनल जैसी इंडिपेंडेंट बाडी होती तो वह कह सकती थी कि यह टैक्स ठीक लगाया गया या नहीं लगाया गया । जहां तक वैल्युऐशन का ताल्लुक़ है, यह हमको तजुर्बा बतलायेगा कि वैल्युएशन कहां तक इंडिपेंडेंट होता है या नहीं होता है । मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि एक सब से बड़ी शिकायत और डर जो ऐसेसीज़ के दिल में है कि कहीं सरकार हमारी इममूवेबुल जायदादों की जितनी क़ीमत लगाये बेचने पर उसके उतने दाम भी न निकलें और इस तरह पबलिक कौनफ़िडेंस सरकार में से जाता रहेगा । मसलन, एक जायदाद जिसकी वैल्यु एक लाख रुपया लगायी गयी, और ओपन मार्केट में वह कुल बीस हज़ार में बिकती है, तो लोग सरकार मे कौनफ़िडेंस लूज़ कर देंगे और ओपन मार्केट में उस जायदाद की केवल एक चौथाई या १/५ क़ीमत ही वसूल होगी और इस तरह यह पबलिक स्कैन्डल हो जायगा। यह बहुत ज़रूरी है कि लोगों का गवर्नमेंट के ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्रति कौनफ़िडेंस हो और इसके लिये यह ज़रूरी है कि इस क़िस्म का इसमें कोई प्राविज़न किया जाय जिसकी रू से हर एक आदमी यह महसूस कर सके कि उसको फ़ेयर डील मिली है, जो सास गाडर के वास्ते होना चाहिये, वही सास गूज़ के वास्ते भी होना चाहिये । एसेसी को यह महसूस कराना चाहिये कि उसके साथ इंसाफ़ बर्त्ता जायगा और उसकी जायदाद की जो मुनसिब क़ीमत होगी, वही आंकी जायगी, और ऐसा होना भी चाहिये । मान लीजिये कि एक मकान के अन्दर चार, पांच हिस्सेदार होगें, उन में से अगर एक भी एसेसी है तब शायद उनको इतनी हार्डशिप नहीं होगी, लेकिन उस हालत में जहां चन्द ऐसे एसेसी होंगे, किसी मकान में चार, पांच खानदान हैं, वह वैल्युएशन मानने को तैयार हैं, उन में से एक आदमी टैक्स देना चाहे और दूसरा टैक्स न देना चाहे, तब वह मकान नीलाम किया जायगा और उस हालत में यह डर हमेशा बना रहेगा कि उस मकान की पूरी क़ीमत हरगिज़

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वसूल नहीं हो सकेगी । मेरी राय में प्रापर केसेज़ में अगर बोर्ड उस मकान को उसी कीमत पर मान ले कि जो क़ीमत कंट्रोलर ने उस की लगायी है, तो यह निहायत मुनासिब होगा । बहुत सारे केसेज़ के अन्दर ऐसी शक्ल बन जायगी कि गवर्नमेंट एक प्रापरटी ओनिंग बाडी होज़ायगी । गवर्नमेंट सबसे बड़ी प्रापरटी ओनिंग जमाअत है, इस में कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट की प्रापरटीज़ बहुत ज्यादा हैं । और इस में हर्ज भी क्या है, अगर इस तरह बड़े २ शहरों मसलन कलकत्ता, बम्बई वग़ैरह में जायदादें सरकार को मिल जायें, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, आपकी हाउसिंग प्राबलम बहुत हद तक साल्व और ईज़ी हो जायेंगी । लेकिन ज्यादा डर मुझे मुफ़स्सिल का है, कंट्रोलर की कीमत हर सूरत में उससे बहुत ज्यादा होगी जो ओपन मार्केट में होगी और मैं इस वजह से चाहता हूं यह पबलिक और एसेसी दोनों के इंटरेस्ट में है कि उसका ओवर वैल्युएशन न हो सके ।

इस वास्ते मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि कम से कम इस माडेस्ट अमेंडमेंट को तो ज़रूर मंजूर करें और इसके मंजूर करने से बड़ा सैल्यूटरी एफ़ेक्ट होगा ।

श्री पाटस्कर : खंड ४९ में कहा गया है कि सम्पदा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी भी साधन व प्रणाली द्वारा कबूल किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि इस खंड का क्षेत्र बहुत विस्तृत बना दिया गया है । अपने संशोधन के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि शब्द ' बोर्ड ' के स्थान पर ' सरकार ' शब्द रख दिया जाय । आप कहेंगे कि अखिर बोर्ड भी तो सरकार के ही आधीन होगा : परन्तु मैं समझता हूं कि इससे काफ़ी अन्तर पड़ेगा । यदि नियम सरकार द्वारा बनाये जायेंगे तो सरकार को उन्हें संसद् से मंजूर करवाना होगा क्योंकि सरकार संसद् के प्रति उत्तर-दायी है । यदि सरकार नियम बनाने या क़ानून बनाने या अधिकार किसी दूसरे विभाग को या निकाय को दे देती है तो इस सदन का उस पर इतना नियंत्रण नहीं हो सकता । इसलिये यह एक महत्वपूर्ण, प्रश्न है कि यह क़ानून या नियम बनाने का अधिकार बोर्ड को , भले ही वह अनुविहित निकाय होने, दिया जाये या नहीं । यह सच है कि इंग्लैंड में इस किस्म की व्यवस्था है परन्तु वहां भी इस दिशा में कई बार प्रयत्न किये गये और यह अनुभव किया गया कि यह व्यवस्था उचित नहीं है । वहां इसे इसलिये रखा गया क्योंकि पार्लियामेंट हरेक विषय पर सोच-विचार नहीं कर सकती और कुछ मामले शासन पर छोड़ने ही होते हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों का ख़याल है कि यह विधेयक सम्पत्ति के बराबर बंटवारे के उद्देश्य से लाया गया है और कुछ लोगों का विचार है कि यह एक ऐसे वर्ग को ख़त्म कर देने के लिये जिसका न होना ही अच्छा है । मेरा विचार है कि यह कहना उचित नहीं कि हम उन लोगों को किसी प्रकार से कष्ट पहुंचायेंगे । जहां तक बराबर बटने का का प्रश्न है, यह तो ठीक है परन्तु, किसी विशेष वर्ग को ख़त्म करने की बात करना उचित नहीं । यदि आप सम्पत्ति लेना चाहते हैं तो एक दम ले डालिये; परन्तु जिन लोगों के पास सम्पत्ति है उनके साथ अन्याय करना बहुत अनुचित होगा ।

मेरा निवेदन है कि बोर्ड को इतने अधिक अधिकार देना ग़लत है । विधेयक पर सामान्य चर्चा होते समय भी मैं ने यह प्रश्न उठाया था और उस समय मुझे बताया गया था कि इंग्लैंड में यह चीज़ मौजूद है । मैं वित्त

मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इस मामले में अपने विभाग को तथा विधि विभाग से जांच पड़ताल करवायें। इग्लैंड में इस व्यवस्था को बुरा समझा गया था और इस सम्बन्ध में वहां १९४६ में एक क़ानून भी बनाया गया था। सारे मामले पर जांच होने के बाद वहां इस नतीजे पर पहुंचा गया था कि यह सारे अधिकार सरकार को दिये जा सकते हैं, किसी बाहरी निकाय को नहीं, जो ऐसे नियम बनाये जिन पर संसद् का कोई नियंत्रण न हो। इंग्लैंड में यह इसलिये किया गया था कि वहां कुछ ऐसी प्रथा चल पड़ी थी जिसके अनुसार सारे विभागों को नियम आदि बनाने के अधिकार दे दिये गये थे। परन्तु फिर वहां इस बात की मांग की गई कि सरकार को ही इन नियमों के लिये उत्तरदायी होना चाहिये। अन्य किसी विभाग या निकाय को नहीं। इसीलिये वहां के क़ानून में इस बात की व्यवस्था की गई।

बहुत से माननीय मित्र कहेंगे कि जब यह बोर्ड सरकार का है तो फिर क्या अन्तर पड़ेगा। परन्तु अन्तर अवश्य होगा। यदि बोर्ड को नियम बनाने के अधिकार होंगे तो संसद् का उन पर उचित रूप से नियंत्रण नहीं हो सकता परन्तु जब यह अधिकार केवल सरकार के पास होंगे तो इस सदन का उन पर पूरी तरह निरीक्षण व नियंत्रण होगा।

माननीय श्री चटर्जी ने जो संशोधन रखा है उसके सिद्धान्त से मैं पूर्णतः सहमत हूं। इंग्लैंड के क़ानून में भी ऐसी व्यवस्था है और उनके यहां एक संस्था है जो नेशनल ट्रस्ट ऐसोसियेशन कहलाता है। जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति में से शुल्क नहीं दे सकता वह अपनी सारी सम्पत्ति इस ऐसोसियेशन के सुपुर्द कर देता है और फिर राशि छोटी छोटी किश्तों में दे दी जाती है। इसमें उद्देश्य यह है कि सम्पत्ति बनी रहे, नष्ट न हो।

मुख्य उद्देश्य तो यह है कि कोई व्यक्ति कर देने से बच न सके। जो भी व्यक्ति कर से बचना चाहता हो, हमें उसका विरोध करना चाहिये। परन्तु देश की वर्त्तमान आर्थिक परिस्थितियों में, जब कि अधिकतर लोग ग़रीब ह, सम्पत्ति रखने वाले लोगों के प्रति सामान्य रूप से कुछ विरोधात्मक भावना है। मैं माननीय सदस्यों से तथा वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि विधेयक को उचित दृष्टिकोण से ही देखा जाये। अपनी सिंचाई तथा विकास परियोजनाओं के लिये हमें पैसा चाहिये और पैसा हमें धनी और रईस लोगों से ही मिल सकता है। अतः इस वर्ग के प्रति ईर्ष्या रखना या अनुचित व्यवहार करना ठीक नहीं है।

एक बात और है जिसे मैं निर्दिष्ट करना चाहता हूं। खंड ७१ में हमने यह उपबन्ध किया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी शुल्क या जुर्माने को उसी तरह से वसूल किया जायेगा जिस तरह किसी राज्य के कलक्टर द्वारा मालगुज़ारी की बकाया वसूली की जाती है। जहां तक माल-गुज़ारी वसूल करने का प्रश्न है, सब जानते हैं कि इसके लिये अधिकतम अधिकार दिये गये हैं। आयकर की बकाया के बारे में भी यह उपबन्ध है। जब हमने खंड ७१ में यह बात रख दी है तो फिर यहां खंड ४९ में इतने व्यापार अधिकार देने की क्या आवश्यकता है कि सम्पदा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी भी साधन व प्रणाली द्वारा वसूल किया जा सकता है। इस में साधन व प्रणाली की कोई सीमा नहीं रखी गई है। यह अधिकार बहुत अधिक व्यापक है और इसकी कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस खंड के अन्तर्गत उत्तराधिकारी की वैधानिक सम्पत्ति से भी कर वसूल किया जा सकता है। मान लीजिये किसी व्यक्ति के पास एक लाख रुपये की वैधानिक सम्पत्ति है और एक लाख की सम्पदा उसे उत्तराधिकार में मिली है। अब मान लीजिये कि इस सम्पदा पर उसे ५,००० रुपये शुल्क देना है परन्तु सम्पदा का मूल्य इतना कम हो गया है कि उससे ५,००० रुपये नहीं मिल सकते तो क्या इस खंड के अन्तर्गत उसकी वैयक्तिक सम्पत्ति से कर वसूल हो उकता है ?

श्री पाटस्कर : मालगुज़ारी के सम्बन्ध में भी सम्पत्ति को कुछ समय के लिये गिरवी रखा जा सकता है और रुपया पेशगी लिया जा सकता है। जैसा आपने कहा, यदि १ लाख रुपये की सम्पदा पर ६,००० रुपये शुल्क लिया जाना है और यदि कलक्टर देखता है कि इस सम्पदा में से रुपया वसूल नहीं हो सकता तो क़ानून के अन्दर उसे अधिकार है कि वह उस सम्पत्ति को २ या ३ वर्षों के लिये गिरवी रख दे और रुपया पेशगी ले कर कर की राशि वसूल कर ले। कलक्टरों को मालगुज़ारी की बकाया वसूल करने के लिये पूरे अधिकार दिये गये हैं। इसके अलावा कलक्टर आयकर विभाग का व्यक्ति होगा और ये लोग मालगुज़ारी या अन्य बक़ाया वसूल करने के क़ाम में बड़े होशियार होते हैं। इसके बाद खण्ड ४९ में सम्पदा शुल्क के एकत्र करने की प्रक्रिया को बोर्ड पर छोड़ दिया गया है। क्या जो व्यक्ति उक्त शुल्क को नहीं दे सकेगा, उसे कारावास में बन्द कर दिया जायगा ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार इस अधिकार को स्वयं ग्रहण करे तथा इसे प्रशासनीय विधि को न सौंपे। कम से कम इंगलेंन्ड में 'प्रशासनीय विधि' को बाद में 'अवैध विधि' समझा गया है। अतएव यदि किसी अदृश्य कठिनाई के विचार से अधिकार को लेना ही है तो वह स्वयं सरकार द्वारा ही लिया जाय तथा इसे बोर्ड को प्रदत्त न किया जाय।

श्री एस० एस० मोरे : आप उन किसानों के मामलों को लें जिन से सरकार ने तक़ावी ऋण वापस लेने हैं या उस व्यक्ति का मामला लें जिसे ६ लाख या ४ लाख अधिक पर आयकर लगाया गया है तथा जो इससे भुगतान के लिये अपनी सम्पत्ति के एक भाग को देने के लिये तैयार है। क्या इस बारे में भी धन को वसूल करने के लिये इसी सिद्धान्त को अपनाया जायगा ?

श्री पाटस्कर : जी हां : हमें ऐसे नियम तथा ढ़ंग अपनाने चाहियें जो सभी के लिये न्यायपूर्ण हों। मैं धनियों का समर्थक नहीं हूं, मैं न्याय का समर्थक हूं। बहुत पहिले मैं ने बम्बई विधान परिषद् में इसी रियायत को भू-राजस्व के बारे में भी दिये जाने का समर्थन किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री टेक चन्द खण्ड ५० सम्बन्धी अपने संशोधन पर बोलेंगे जिसके बाद दोनों खण्डों पर एक साथ सदन का मत लिया जायगा।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधन से कुछ अधिक विस्तृत है, अन्यथा दोनों संशोधनों का सार तथा आशय एक ही है। मेरा कहना है कि ये संशोधन सक्षम उपबन्ध है अर्थात् इससे 'कन्ट्रोलर' या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को अधिक अधिकार दिये गये हैं। इस संशोधन को प्रस्तुत करने में हमारे सामने उद्देश्य यह है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को कम से कम इतनी शक्ति अर्थात् अधिकार दिया जाय कि उचित मामलों में वे नगद धन तथा सम्पत्ति के लेने का फ़ैसला कर सकें।

हो सकता है कि लगे हाथ इससे नागरिक विशेष की आवश्यकता भी पूरी हो सके तथा मूल्य के ठीक निर्धारण में न्याय का कारण भी बन सके, क्योंकि अधिकारी शुल्क के वसूल करने के लिये जब सम्पत्ति को बेचेंगे तो उन्हें ठीक मूल्य का पता लग जायेगा।

श्रीमान, मेरा संशोधन इंग्लिश विधि की एक नकल है। किसी किसी स्थान पर मैं ने मामूली परिवर्तन किये हैं। 'आयुक्त' के स्थान पर मैं ने 'नियन्त्रक' का शब्द लिया है। अन्यथा मेरा संशोधन इंग्लिश विधि के सदृश ही है। उक्त विधि के अन्तर्गत आयुक्त के लिये सम्पत्ति का स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। न ही वह सम्पत्ति ही को स्वीकार करने का अनुरोध कर सकता है। नागरिक तथा आयुक्त दोनों की सहमति से तो ऐसा हो सकता है। परन्तु सरकार को अपने अस्पतालों, विद्यालयों आदि के लिये सम्पत्ति की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी आवश्यकता के होने पर उस सम्पत्ति के क्रय के लिये उसे बाज़ार के मूल्य से १५ प्रतिशत अधिक देने की व्यवस्था की गई है। परन्तु हमारे संशोधन को स्वीकार कर लेने से सरकार को भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत जो यह १५ प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ता है, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी।

इंगलैंड के वित्त अधिनियम में १९१० में अर्थात प्रारम्भ में यद्यपि सरकार ने सम्पदा शुल्क की वसूली के लिये सम्पत्ति को स्वीकार करने का अधिकार लिया था, परन्तु १९४६ में इस अधिकार की सीमा को विस्तृत बना दिया गया तथा आयुक्तों को उसी प्रकार की सम्पदा शुल्क या उत्तराधिकारी शुल्क आदि के बदले में उस सम्पत्ति को स्वीकार करने की शक्ति दी गई है। इस देश में व्यवहार कुछ भिन्न हैं। लोगों के पास नगद धन इतना नहीं है, परन्तु आप सम्पत्ति को स्वीकार करने से इन्कार करते हैं। माननीय वित्त मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह इस मामले पर अन्तिम फैसला करने से पहले इंगलैंड १९०९ के अधिनियम की धारा संख्या ५६ तथा १९४६ के अधिनियम की ४९–५० तथा ५१ धाराओं का विशेष ध्यान से अध्ययन करें।

इंगलैंड में एक राष्ट्रीय भू–न्यास निकाय भी मौजूद है। सम्पदा शुल्क या उत्तराधिकारी शुल्क आदि के सम्बन्ध में जो सम्पत्तियां ली जाती हैं, वे उक्त निकाय के हवाले कर दी जाती हैं जो इनका राष्ट्रीय हित में प्रयोग करता है। उनमें अजायब घर, चिड़या घर या वनस्पत्ति उद्यान खोले जा सकते हैं और राष्ट्रीय हित के अनेक काम आरम्भ किये जा सकते हैं। अतएव मेरा कहना है कि आप भी इस अधिकार को प्राप्त करें। इससे नागरिक को भी अपनी स्थिति के न्यायोचित सिद्ध करने का अवसर मिल जायेगा।

अब मैं खण्ड ४९ को लेता हूं। इसकी भाषा कुछ विचित्र सी है। इसके अनुसार

"सम्पदा शुल्क को ऐसे उपायों तथा उस रीति से एकत्र किया जा सकता है जैसी कि बोर्ड द्वारा निश्चित की जाय"।

इस भाषा से उस प्रवृत्ति का पता चलता है जिसका वर्णन लार्ड हयूवर्ट की पुस्तक 'न्यू डिस्पाटिजम' में किया गया है। यह प्रवृत्ति कार्यपालिका द्वारा एक ओर तो विधान-मंडलों के तथा दूसरी ओर न्यायपालिका के अधिकारों पर छापा मारने की है। अब उपायों तथा रीति के निश्चित करने का काम बोर्ड का है। यह क्षेत्रधिकार केवल बोर्ड का ही है। अधिकरण का सवाल उठने पर भी न्यायाधीश फिर यही बोर्ड ही होगा। खण्ड ४९ ठीक खतरा

[श्री टेक चन्द]

है जिसकी आशंए लार्ड हयूर्ट ने अपनी पुस्तक में पृकट की है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तथा इन अधिकारों को आप ले लें तो इससे आपके अधिकार बढ़ जायेंगे और समय समय पर आप उन अधिकारों का नागरिक तथा राज्य दोनों की भलाई के निमित प्रयोग कर सकेंगे।

वित्त मंत्री के सभा–सचिव (श्री बी० आर० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वाद–विवाद को अब समाप्त किया जाय"।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, दुर्भाग्य से आपने उन सदस्यों को बोलने का अवसर तो दिया है जिन्होंने कोई संशोधन प्रस्तुत किए हैं, परन्तु उन सदस्यों को बोलने के लिये नहीं कहा जो इसके विरोध में हैं। मेरा निवेदन है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चय ही मैं सदन की इच्छा होने पर कितने भी समय पर बैठने के लिये तैयार हूं। परन्तु मुझे इतना कहना है कि यदि दोनों पक्षों को अपना मत व्यक्त करने में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका हो तो मुझे सभायन प्रस्ताव को स्वीकार करना ही पड़ेगा।

एक संशोधन का अभिप्राय यह है कि नियमों को बनाने से पहले सरकार को अधिकार लेने चाहियें तथा बोर्ड को नहीं। दूसरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि नगद धन के स्थान पर सम्पत्ति को स्वीकार किया जाय। मैंने श्री टेक चन्द को बोलने के लिये इस लिये बुलाया था कि उन्होंने खण्ड ५० के सम्बन्ध में उसी प्रकार के संशोधन की सूचना दे रखी थी।

श्री बी० पी० नायर : यह वास्तव में एक बहुत खतरनाक उपबन्ध है तथा इसी कारण हम बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रवर समिति में भी थे।

श्री बी० पी० नायर : आपको अपने अनुभव से अच्छी प्रकार से मालूम है कि प्रवर समिति में सारी बातों को नहीं उठाया जा सकता। श्री एन० सी० चटर्जी तथा श्री टेक चन्द के संशोधनों का विरोध करने के मेरे कारण स्पष्ट हैं। श्री चटर्जी का कहना है कि उनके संशोधन से सम्पत्ति के सम्भव अधिक मूल्यांकन पर रोक लग सकेगी परन्तु ऐसी व्यवस्था दूसरे खण्ड में––६८ में––की जा चुकी है। उस में यह उपबन्धित है कि यदि सम्पदा शुल्क के आरोपण से कोई कठोरता अनुभव की जाय तो नियन्त्रक महोदय करदाता को कुछ समय दे सकते हैं। परन्तु बात इतनी ही नहीं। इस संशोधन में एक और खतरा है। सम्पत्ति सदैव (productive) लाभदायक नहीं हुआ करती। उदाहरण से आप त्रावणकोर व कोचीन के राजप्रमुख की सम्पत्ति को लीजिये। उनके महल पर सफेदी कराने का व्यय २५,००० रुपये आता है तथा किसी ढांचे को गिराने के लिये कम से कम १ लाख रुपये की आवश्यकता होगी। यदि ऐसे मामलों में सम्पत्ति को स्वीकार कर लिया गया तो सरकार को उसके बनाए रखने पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ेगा। जब सरकार को धन की आवश्यकता हो तो सरकार इन सम्पत्तियों पर यह व्यय कहां से करेगी तथा इन्हें किसके पास बेच सकेगी? एक खतरा यह भी है कि यह सम्पत्ति सरकार को बहुत अधिक मूल्य पर मिलेगी। मेरा निवेदन है कि अलाभदायक सम्पत्ति सरकार के गले मढ़ दी तथा मूल्य निर्धारण करने वाले सम्पत्ति वालों के साथ मिल जायेंगे जिससे सरकार को बहुत अधिक मूल्य देना पड़ जायेगा।

श्री तुलसीदास : श्रीमान् मेरे संशोधन का विस्तार श्री टेक चन्द तथा श्री एन० सी०

चटर्जी के संशोधनों के विस्तार से अधिक है। मैं कही गई सब बातों को पुनः न कहते हुए श्री वा० पी० नायर की एक बात का उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि सम्पत्ति को सरकार के गले मढ़ दिया जायगा, परन्तु सरकार को दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत सम्पत्ति के स्वीकार करने या न करने का काम सरकार का है। सरकार को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह किसी सम्पत्ति विशेष को स्वीकार करे या न करे। सरकार मूल्य के उचित या अनुचित होने का अनुमान भी कर सकती है। प्रत्येक अवस्था में यदि कोई व्यक्ति शुल्क नहीं दे सकता तो उसकी सम्पत्ति को या तो नीलाम करना होगा अथवा स्वयं लेना होगा। अतएव कोई कारण नहीं कि श्री चटर्जी के संशोधन को स्वीकार न किया जाय।

मेरा अपना संशोधन बहुत निश्चित प्रकार का है। मेरा संशोधन यह है कि जहां सम्पदा शुल्क का भुगतान (trustee) न्यासी प्रतिभूतियों के रूप में किया जाय, वहां पर उक्त प्रतिभूतियों को उन मूल्यों पर स्वीकार किया जायगा जो इस विशेष प्रयोजन से निश्चित किए जायेंगे। यह रहा मेरे संशोधन का एक भाग।

श्रीमान्, आप जानते हैं कि मूल्यांकन में विविध प्रकार की कार्यवाही को करना पड़ता है। सम्पदा शुल्क के लिये अधिकारी लोग सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यांकन करेंगे, परन्तु मृत–लेख प्रमाण के अभिप्राय से यह मूल्यांकन न्यायालय–शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत होगा। इस प्रकार से दो अधिकारी एक ही सम्पत्ति का मूल्यांकन करेंगे। मैं नहीं समझ सकता कि इस कठिनाई को कैसे दूर किया जायगा। माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह बतलायें कि इस कठिनाई को कैसे दूर किया जायगा। मेरे संशोधन में यही दो बातें रखी गई हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं पहले श्री पाटस्कर के संशोधन पर विचार प्रकट करूंगा। अब, यदि हम ने कर ऐसे खण्ड जो इस बोर्ड को नियम बनाने का अधिकार देते हैं, पहले पारित नहींकिये होते, तो शायद मैं श्री पाटस्कर द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के लिये प्रवृत्त होता। किन्तु मैं खण्ड १९ ए, जो एक नया खण्ड है और हमारे द्वारा आदिष्ट हुआ है तथा खण्ड २० (२) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इन दोनों में हमने उक्त बोर्ड को नियम बनाने का अधिकार दिया है। सहसा हम एक और खण्ड पर आ जाते हैं और यह प्रस्थापित करते हैं कि नियम बनाने का अधिकार सरकार के पास ही रहना चाहिये! मेरा विचार है कि इस से एक प्रकार की आपाधापी पैदा होगी, क्योंकि प्रस्तुत मामला इतने अधिक या विशेष महत्व का नहीं है।

और अब श्री पाटस्कर का कहना है कि मैं यह नहीं जानता कि इस विशेष खण्ड ४९ के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। श्रीमान्, माननीय सदस्य को इस प्रत्यायोजित विधान के सम्बन्ध में जो कठिनाई अनुभव हो रही है, उस के तात्विक रूप पर मैं विचार कर चुका हूं। यह एक ऐसा मामला है जिस से हम सभी को कई वर्षों से परेशान होना पड़ा है और, श्रीमान्, मेरे विचार में आप के ध्यान में भी यही बात है कि इस मामले को नियमित आधार पर ठहराने के लिये कोई कदम उठाया जाना चाहिये। मेरा यह भी विचार है कि प्रस्तुत प्रश्न ने आप का ध्यान आकर्षित किया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अध्यक्ष जी इस प्रत्यायोजित विधान पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने जा रहे हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा भी यही विचार था। और, इसीलिये, इस बात को विचार में रखते हुए कि यह एक परिनियत

[श्री सी० डी० देशमुख]

बोर्ड है, और हम कई अन्य क्षेत्रों में इसको अधिकार भी दे चुके हैं, मैं यह सुझाव देता हूं कि हम इस स्तर पर कोई भी परिवर्तन नहीं करते । किन्तु, जिन माननीय सदस्यों ने इस संशोधन का समर्थन किया है उनकी मांग को पूरा करने के लिये मैं तैयार हूं, और इसीलिये खण्ड ८१ पर अपना संशोधन संख्या ५९३ प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस के अनुसार उक्त बोर्ड के नियम बनाने के अधिकार विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में रहेंगे । मैं यह भी सुझाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से ही उक्त बोर्ड का काम होना चाहिये, और अब मेरा यह विचार है कि माननीय सदस्य इस बात से संतुष्ट होंगे । यदि उन को यह बात स्वीकार हो, तो मैं आशा करता हूं कि इस विशेष संशोधन पर जोर नहीं दिया जायेगा ।

मैं तो यह बताना चाहता हूं कि यह खण्ड ४९ इतना बेकार नहीं है जितना माननीय सदस्य इसे समझ रहे हैं । मेरे पास बोर्ड के बनाये हुए प्रारूप नियम हैं । ये तो प्रारूप नियम ही हैं, और मेरे पास मौजूद हैं ।

श्री पाटस्कर : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था ।

श्री सी० डी० देशमुख : ये सभी मामलों के सम्बन्ध में हैं : यानी शुल्क सम्बन्धी आगणन तथा समायोजन (नियम ११), वार्षिक भुगतान के सम्बन्ध में अदायगी (नियम १२), शुल्क की अतिरिक्त अदायगी (नियम १३), अदायगी की प्रणाली, क्या अनूसूचित बैंक को चैक दिया जाना चाहिये या एक बैंक ड्राफ्ट (हुण्डी) स्वीकार की जानी चाहिये, सरकार के नाम यह राशि कब और कैसे जमा की जानी चाहिये, आदि–आदि––इस में सभी प्रकार की बातों को सविस्तार समझाया गया है । इन नियमों से इन सभी बातों का पालन होगा ।

श्रीमान्, स्पष्ट पूछिये तो मेरी यह राय है कि अपील पर ही इन मामलों का निर्णय देने की रुचि रखते हुए भी उक्त बोर्ड इन बातों का ध्यान रख सकता है और इन की देखभाल कर सकता है । ये ही उस प्रकार की बातें हैं जिन पर वह विचार करेगा––इसीलिये मेरे विचार से माननीय सदस्यों ने इस विषय में अनुचित संदेह बना रखा है । किन्तु, जैसा मैं बतला भी चुका हूं, मैं एक संशोधन प्रस्थापित करने जा रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से ही ये नियम बनाये जायेंगे और, जैसा कि आप जानते हैं, वे नियम यहां दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे । हर नियम के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

अब, मैं उस अन्य महत्वपूर्ण मामले को लूंगा जो माननीय सदस्यों ने अन्य संशोधनों द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है । इस के विषय में भी मैं पुनः यही कहूंगा कि यदि हम श्री चटर्जी के संशोधन तक ही इस बात को सीमित रखते तो शायद इसके पक्ष में कुछ कहा भी जा सकता था । किन्तु इस संशोधन के समर्थन में तथा इस से पहले के संशोधनों के समर्थन में अनेक माननीय सदस्यों द्वारा जो भी तर्क प्रयोग में लाये गये हैं, उन से मुझे डर लग रहा है । अन्य शब्दों में उन का यह कहना है कि इस संशोधन को इसीलिये उचित समझा गया है क्योंकि इस से मूल्यन पर रोक लगी रहेगी । तो मैं उन की इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता । मेरा यह कहना है कि हम ने मूल्यन की एक प्रणाली, वह चाहे बुरी हो या भली, एक ही बार स्वीकार की है । अब हम उसे छोड़ कर इधर नहीं लौट सकते । मूल्य आंकने वाले बोर्ड द्वारा न्यायनिर्णयन तथा अपील, आदि के लिये उपबन्ध रखे गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संशोधन की ऐसी कोई भी बात मालूम नहीं देती ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इसीलिये कहता हूं कि वास्तव में यह एक प्रकार की घौंस है, और कोई भी व्यक्ति आसानी से इस बात का अन्दाजा नहीं लगा सकता कि शुल्क की अदायगी तथा निर्धारण में किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होगी। यह ठीक है कि इस बात को पूरी तरह से सरकार की इच्छा और उनके निर्णय पर छोड़ दिया गया है, और जब इस हद तक बात पहुंच जाती है तो इसका उपचार प्रभावहीन पड़ जाता है। मुझे इस का यह अर्थ मालूम देता है कि इस बात का निश्चय करने के लिये देश के सभी भागों से सरकार पर बहुत दबाव डाला जायगा कि सम्पत्तियों को सम्हाला गया है या नहीं। इसी प्रकार के एक छोटे से मामले में यानी आयकर अधिनियम (संशोधन) अधिनियम की धारा १५ बीं के अन्तर्गत कई नियुक्तियां दिये जाने के सम्बन्ध में हमें इस दबाव का थोड़ा सा अनुभव प्राप्त हुआ है। प्रति दिन हमारे पास इस बात के लिये प्रार्थना-पत्र आया करते थे कि अमुक संस्था को दिये गये दान पर छूट मिलनी चाहिये, और हम लक्ष्मण जी की जैसी मर्यादा-रेखा लगाने में असमर्थ रहे थे और विभाजन नहीं कर सके थे, जिसके परिणामस्वरूप हमें अन्ततः, इस अधिकार से मुक्त होने के लिये विवशतः संसद के समक्ष आना पड़ा। श्रीमान्, इस मामले के सम्बन्ध में भी मेरी वैसी ही आशंकाएं हैं।

श्री चटर्जी का संशोधन, जहां तक मैं इसे जान पाया हूं, बहुत ही प्रच्छन्न और संयमित है, किन्तु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में ग्रेट ब्रिटेन जैसी परिस्थिति नहीं है ; वहां तो सारा राजस्व राज्य को ही मिलता है। वह सम्पत्ति या राजस्व एक मकान के रूप में ही क्यों न हो, वह राज्य या राष्ट्रीय प्रन्यास को ही मिलेगा। और यहां हम जो कुछ भी एकत्र करेंगे वह राज्यों को दिया जायेगा। यही कारण है कि आपको ऐसा भी देखना पड़ेगा कि भारतीय लोहा कम्पनी के १,००० अंश पश्चिमी बंगाल सरकार को दिये जा रहे हैं, टाटा डेफर्ड के १,००० अंश बम्बई सरकार को मिलने वाले हैं, पर राजस्थान में स्थित बनी–ठनी सजावट को कोई कोठी राजस्थान सरकार को मिलने वाली है।

तो, माननीय सदस्य बतला भी चुके हैं कि योजना को कार्यान्वित करने के लिये हमें पैसा चाहिये, टाटा डेफर्ड, या भारतीय लोहा कम्पनी के अंश या कोई महल कोठी नहीं चाहिये।

एक माननीय सदस्य : इन को पैसे में बदलाया जा सकता है।

श्री सी० डी० देशमुख : चूंकि इनके बदले में पैसा प्राप्त नहीं हो सका, और निर्धार्य को यह कहना पड़ा : 'मैं देय शुल्क के बदले आप को यही देता हूं।' यदि ऐसी बात नहीं होती तो उसने शुल्क ही दिया होता। हम ने ऐसा उपबन्ध भी बना रखा है जिस से शुल्क देने की नीयत रखने वाला निर्धार्य यानी मृत व्यक्ति भी शुल्क दे सकता है, किन्तु दुर्भाग्यवश यह सब बातें उसके मरने के बाद ही होंगी। वह, निश्चय ही, इन बातों में सावधान रह सकता है, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वह बीमा कर सकता है, पेशगी अदायगी कर सकता है। अतः एक इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह उन ही वर्गों पर लागू होगा जो इसके लाभ उठाने वाले हों, मेरा यह विचार है कि इस प्रकार की कोई छूट या रियायत देना आवश्यक नहीं है।

इस के बाद एक और बात आती है। खण्ड ५० पर संशोधन संख्या २८९ में, जो श्री टेकचन्द द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मुद्रांक-शुल्क की ओर निर्देश ह। मेरे विचार म यह अनियमित हैं। मैं नहीं समझता कि हम मुद्रांक-शुल्क के सम्बन्ध म किस प्रकार कानून बना सकते हैं। श्रीमान्, इंगलैंड में कोई भी मुद्रांक-

[श्री सी० डी० देशमुख]

शुल्क नहीं दिया जाता, और उन्होंने उसी अंग्रेजी अधिनियम का अनुकरण किया है, जो मैंने यहां रखा है और जिसके अध्ययन का उन्होंने मुझे सुझाव दिया है। मैं पूरी सावधानी से इसका अध्ययन कर चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत यदि सम्पत्ति स्वीकार की जाती है, तो इसे विशेष मूल्य से अधिक मूल्य पर लिखत में स्वीकार किया जाना चाहिये। मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत जब एक बार यह चीज़ लिखत में आ चुकी हो तो मुद्रांक-शुल्क अवश्य होना चाहिये। उन का यह कहना है कि यदि पहली बात स्वीकार की जाती है, तो कोई भी मुद्रांक-शुल्क देने की आवश्यकता नहीं। मुद्रांक शुल्क के सम्बन्ध में हमें प्रश्न नहीं उठाना चाहिये, क्योंकि माननीय मंत्री, जैसा कि उन के भाषण से मालूम दे रहा है, इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री सी० डी० देशमुख : यद्यपि हम इसे स्वीकार करें तो एक और आपत्ति होती है कि मुद्रांक-शुल्क देना पड़ेगा। हम केवल उस शुल्क का संचय करते रहेंगे . . . .

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हम राज्यों के लिये शुल्क का संचय करते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद को इस पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है।

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो एक भिन्न दलील है कि माननीय सदस्यों की स्थिति को किसी हद तक समझने के बावजूद भी मैं इस सुझाव को क्यों स्वीकार नहीं कर सकता। ग्रेट ब्रिटेन में यद्यपि यह चीज़ मौजूद है, फिर भी यह कोई आदर्श नहीं। यह तो केवल अपवाद के रूप में कहीं कहीं लागू होता है—यह तो सरकारी फायलों पर भी आ चुका है कि १९५२ में इस प्रकार सार्वजनिक अभिप्राय के लिये स्वीकृत मामलों की संख्या केवल तीन थी। श्रीमान्, अब यदि ऐसी आवश्यकता है भी और हम यह भी अनुभव करते हैं कि हमें राजस्थान में एक महल चाहिये, तो हम बातचीत कर के उसे खरीद सकते हैं, और उसके मूल्य को निर्धारित करना भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि पहले ही उसका मूल्यांकन हो चुका होगा। अतः एव इन कारणों से मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री तुलसीदास : मेरी पूछी हुई बात का क्या हुआ ?

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक न्यासधारी धर्मार्थ का प्रश्न है, हमारा ऐसा विचार है कि अन्य व्यक्तियों को इन में नहीं रखना चाहिये; हमें सरकारी प्रतिभूतियों तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिये, और उन के लिये हम नियम भी बना लेंगे।

श्री तुलसीदास : राज्य पदाधिकारियों और सम्पदा शुल्क पदाधिकारियों द्वारा किये मूल्यांकन के बीच जो अन्तर होगा, उस के सम्बन्ध में आप का क्या विचार है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मूल्यांकन करने वाले भिन्न भिन्न अधिकारियों की विभिन्नता या विषमता को रोका नहीं जा सकता। कदाचित्, करारोपण अधिकारियों के बीच किसी प्रकार की बातचीत द्वारा उनके अनुभव के प्रकाश में इन मामलों की जांच पड़ताल करानी पड़ेगी।

श्री टेकचन्द : श्रीमान्, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं; माननीय सदस्य प्रवर समिति में थे। मैं श्री तुलसीदास के संशोधन पर मत लूंगा।

श्री तुलसीदास : श्रीमान् , श्री चटर्जी का संशोधन प्रस्तुत किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड ४९ पर संशोधन संख्या ३२६ जो श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है, मत के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पाटस्कर का संशोधन संख्या ५६३ मत के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या १६२ पर मत लूंगा ।

एक माननीय सदस्य : वह इसे वापिस लेना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस संशोधन को वापिस लेने के लिये माननीय सदस्य को सदन की अनुमति प्राप्त हुई है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन अनुमति से वापिस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि--

"खण्ड ४९ विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४९ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ५०--(शुल्क की अदायगी आदि)

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ५० पर संशोधन निषिद्ध हैं ।

प्रश्न यह है कि --

"खण्ड ५० विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५० विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ५१--(लेखार्थ वचनीय व्यक्ति, आदि)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि--

(१) पृष्ठ २५ पर, २५वीं और २६वीं पंक्तियों में "or which, but for his own neglect or default, he might have received " (" या जो, अपनी भूल या त्रुटि न होने से, उसे प्राप्त हुआ होता") शब्दों का लोप कीजिये, और (२) पृष्ठ २५ पर, ३६वीं पंक्ति में--अन्त पर "The expenses incurred in recovery shall be allowed to be deducted from the property so recovered. " ("सम्पत्ति को प्राप्त करने में लगे व्यय को उसी प्राप्त की गई सम्पत्ति से घटाया जायेगा।") शब्द जोड़ दीजिये ।

श्री दाभी (कैरा--उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि --

पृष्ठ २५ पर, ४१वीं पंक्ति के बाद

"provided that no person shall be required to deliver such account to the controller if the value of the property in respect of which estate duty is payable does not exceed rupees one lakh and fifty thousand." ["बशर्ते किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाय कि वह इस प्रकार का लेखा नियन्त्रक को दे , यदि उस सम्पत्ति का, जिस के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क देय हो, मूल्य डेढ़ लाख रुपये से अधिक नहीं हो । "]

वाक्य आदिष्ट किया जाय ।

श्री तुलसीदास ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो अस्वीकृत हुआ ।

श्री दाभी न अपना संशोधन जो खण्ड ५१ के उपखण्ड (३) से निर्दिष्ट था, बाद में वापिस ले लिया । उन्होंने यह भी कहा : आप देख लेंगे कि सम्पदा शुल्क के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को नियन्त्रक के पूछे

[उपाध्यक्ष महोदय]

बिना ही अपनी सभी सम्पत्ति का लेख देना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आयकर के संबंध में भी ऐसी ही बात नहीं है ? जब भी अधि-सूचना दी जाती है, उस में माननीय सदस्यों से यह कहा जाता है कि वे प्राप्ति का लेखा भेज दें।

श्री दाभी : मैं समझता हूं कि इससे उन लोगों को कष्ट होगा जिनकी सम्पत्ति नियत सीमा के बिल्कुल आस-पास होगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यह समझे कि उसे उत्तराधिकार में मिली हुई सम्पत्ति एक लाख रुपये से अधिक की नहीं है और इसलिये वह उसकी सूचना नियन्त्रक को न दे। किन्तु बाद में नियन्त्रक यह समझे कि उसकी सम्पत्ति एक लाख रुपये से अधिक की है, तो उसे सम्पदा शुल्क के साथ-साथ अर्थ-दण्ड भी देना पड़ेगा। अतः मेरा निवेदन यह है कि ऐसे मामलों में जिन लोगों ने लेखा प्रस्तुत न किया हो उनके लिये यह अनिवार्य नहीं होना चाहिये। जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति एक लाख रुपये से अधिक न समझता हो उसे दण्ड नहीं मिलना चाहिये। जिनकी सम्पत्ति डेढ़ लाख रुपये से अधिक हो उन्हें तो उसका लेखा प्रस्तुत करना ही चाहिए। किन्तु मेरा निवेदन यह है कि खंड ५३ के अधीन नियन्त्रक किसी से भी उसकी सम्पत्ति का लेखा मांग सकता है, अतः ऐसे छोटे व्यक्तियों के लिये जिनकी सम्पत्ति डेढ़ लाख रुपये से अधिक न हो लेखा देना अनिवार्य नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन पर किसी को आपत्ति नहीं होगी।

अन्त में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। खण्ड ५१ के उपखण्ड (३) में लिखा है कि उसे एक लेखा देना पड़ेगा। मैं "लेखा" शब्द का अर्थ जानना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस खण्ड में "लेखा" शब्द का अर्थ सम्पत्ति का ब्यौरा है या उसे सम्पत्ति का मूल्य भी बताना पड़ेगा। लेखा शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से यह नहीं होता कि उसे अपनी सम्पत्ति का मूल्य भी बताना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मन्त्री मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला मथुरा—पश्चिम): खण्ड ५१ में लिखा है कि श्रेणी (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों से मृतक की मृत्यु पर उसे मिलने वाली सम्पत्ति पर सम्पूर्ण सम्पदा शुल्क लिया जायेगा, परन्तु यह उसे वस्तुतः मिली हुई या जो सम्पत्ति उसे उसके उपेक्षा या गलती न करने पर मिल जाती ऐसी मृतक की सम्पत्ति से अतिरिक्त सम्पत्ति पर उससे कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

मेरा संशोधन यह है कि "या जो उसे उसके उपेक्षा या गलती न करने पर मिल जाती" ये शब्द निकाल दिये जायें। इसका यह अर्थ है कि जो व्यक्ति वस्तुतः किसी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बने और वस्तुतः जिसे सम्पत्ति मिले उससे कर लिया जा सकता है, किन्तु जिस व्यक्ति को वस्तुतः सम्पत्ति न मिली हो, चाहे ऐसा उसकी अपनी गलती से ही हुआ हो, उससे कर न लिया जाये। यदि उस व्यक्ति से उस सम्पत्ति को प्राप्त करने में कोई भूल हुई है, तो वह सम्पत्ति अवश्य किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में होगी। उस अवस्था में उस अन्य व्यक्ति से, जिसे कि वह सम्पत्ति मिली हो, कर लिया जा सकता है।

मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि किसी सरकारी नौकर की भूल से, जो अपने घर से बहुत दूर रहता है, उसके हाथ से कोई सम्पत्ति निकल जाये। तो खण्ड के अनुसार उसे सम्पदा शुल्क देना पड़ेगा। अतः इन शब्दों के इस खण्ड में रहने से घर से दूर

रहने वाले बेचारे निर्धन व्यक्तियों को ही कष्ट होगा।

खण्ड ५१ के एक और उपबन्ध में यह लिखा है कि यदि कोई वैध उत्तराधिकारी नियन्त्रक के समक्ष यह सिद्ध कर दे कि मृतक की किसी सम्पत्ति पर किसी ने अवैध रूप से अधिकार किया हुआ है, तो उससे उस सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क नहीं लिया जायेगा। मेरा एक संशोधन है कि "परन्तु शर्त यह है कि यदि वह बाद में उस सम्पत्ति को प्राप्त कर लेगा, तो उसे उस पर उतना ही शुल्क देना पड़ेगा।" इन शब्दों के पश्चात् "प्राप्त करने में किया गया व्यय इस प्रकार प्राप्त की गई सम्पत्ति में से काट लेने दिया जायेगा" ये शब्द जोड़ दिये जायें। क्योंकि वास्तव में तो उसे उस सम्पत्ति को प्राप्त करने में किये गये व्यय को निकाल कर जो सम्पत्ति बचेगी वही मिलेगी। अतः उसे प्राप्त सम्पत्ति में से सम्पत्ति को प्राप्त करने में किये गये व्यय को काट लेने देना युक्तिसंगत ही होगा।

श्री तुलसीदास : इस खण्ड में उन व्यक्तियों का उल्लेख है जिन्हें कि सम्पदा शुल्क देना पड़ेगा, शुल्क देने वाले व्यक्तियों को कितना शुल्क देना पड़ेगा और उनका दायित्व क्या होगा। इसमें एक भयंकर त्रुटि यह है कि यद्यपि कर्त्ता, प्रन्यासी या प्रशासक को शुल्क देने के लिये उत्तरदायी तो ठहराया गया है, किन्तु इस बात की व्यवस्था नहीं की गई कि वह कर्त्ता, प्रन्यासी या प्रशासक उन लोगों से शुल्क प्राप्त कैसे करेगा जिन्हें कि सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिलेगी। मेरे खण्ड ५१ (६) के संशोधन में इस बात का उपबन्ध किया गया है कि सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिया जाने वाला सम्पदा शुल्क कर्त्ता, प्रन्यासी या प्रशासक द्वारा, यदि मृतक ने अपने इच्छा-पत्र में अपनी सम्पत्ति को किसी भिन्न प्रकार से न बांटा होगा तो, लाभ उठाने वालों में उन के हित के मूल्य के अनुपात से बांट दिया जायेगा।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

मेरा यह सुझाव है कि जहां कहीं मृतक की सम्पदा का कोई कर्त्ता, प्रन्यासी या प्रशासक न हो वहां सम्पदा पर दिया जाने वाला शुल्क सम्पदा या उसके किसी अंश को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को देना पड़ेगा और यह उसी अनुपात से दिया जायेगा जिस अनुपात से कि उसे वह सम्पत्ति मिली होगी। मैंने खण्ड ५१ (६) २ में इसी उद्देश्य से संशोधन रखा है।

इसके अतिरिक्त यह भी नहीं दिया हुआ है कि किसी सम्पत्ति में जिन व्यक्तियों का संयुक्त हित होगा वे शुल्क कैसे देंगे। मैंने खण्ड ५१ (६) ३ में इसी दृष्टि से संशोधन रखा है कि संयुक्त सम्पत्ति पर सभी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से और अलग अलग शुल्क लिया जायेगा। माननीय वित्त मंत्री ने एक संशोधन परिचालित किया था, परन्तु उसे अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। मुझे आशा है कि क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अतः माननीय वित्त मंत्री इस संशोधन को स्वीकार कर के स्थिति को स्पष्ट कर देंगे।

श्री गाडगील : इस अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं होना चाहिये। यह तो सामान्य विधि के अन्तर्गत आ जाता है।

पंडित के० सी० शर्मा : विधेयक में स्पष्ट रूप से यह उपबन्ध कर देने से कोई हानि तो नहीं होगी।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : खण्ड ५१ में "किन्तु जो सम्पत्ति उसके उपेक्षा या गलती न करने पर उसे मिल जाती" ये शब्द तो एक प्रकार से उत्तराधिकारी को उसकी उपेक्षा या गलती का दण्ड देने के लिये

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

रखे हुये प्रतीत होते हैं। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी को कृपा करके इस बात का ध्यान रखना चाहिय कि इस प्रकार की नकारात्मक स्थिति--किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी होने के लिये दण्ड देना--और उसके ऊपर एक बोझ नहीं लाद देना चाहिये। साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं हो सकता।

श्री दाभी : श्रीमान्, स्पष्टीकरण के हेतु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या धारा ५१ का यह अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उस पर सम्पदा शुल्क लगाना हो या नहीं, चाहे उसके पास छूट की सीमा से कम सम्पत्ति हो या अधिक, ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को भी सारे सम्पदा शुल्क के लिये लेखा देना पड़ेगा ? इस खण्ड में यह नहीं लिखा हुआ है कि केवल सम्पदा शुल्क लिये जाने वाले व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को ही अपना लेखा प्रस्तुत करना पड़ेगा।

मेरा निवेदन यह है कि नियंत्रक का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह इस बात का पता लगाये कि उत्तराधिकारियों को जो सम्पत्ति मिली है उस पर सम्पदा शुल्क लग सकता है या नहीं। नियन्त्रक जब एक बार निश्चय कर ले तो वह सम्पत्ति के उत्तराधिकारियों से लेखा मांग सकता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो सभी को अपना लेखा देना पड़ेगा और यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे दण्ड के भागी होंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस बात को स्पष्ट करवाना चाहता हूं।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं सब से पहिले अन्तिम बात को लेता हूं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसी व्यक्ति को सारी सम्पत्ति का लेखा नियन्त्रक को देना पड़ता है जिस पर कि इस धारा के उपबंधों के अधीन सम्पदा शुल्क लग सकता है; वह लेखा उस सारी सम्पत्ति के सम्बन्ध में होगा जिस पर सम्पदा शुल्क देय होगा। यदि कोई भिखारी मर जाता है और उसके पास कोई विशेष सम्पत्ति नहीं है, तो किसी को भी उस का लेखा नहीं देना पड़ेगा और न ही किसी को लेखा न देने के लिये किसी प्रकार का दण्ड मिलने का कोई भय होगा। उसके विषय में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसे लेखा देना पड़ेगा या नहीं या उसकी सम्पदा पर सम्पदा शुल्क लगेगा या नहीं। यह कहना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को पहिले स्वयं निश्चय करने का अवसर दिया जाता है। वह कुछ खतरा उठाता है। मैं यह कह सकता हूं कि यह बात केवल ऐसे मामलों में उत्पन्न होगी जिनकी सम्पत्ति नियत सीमा के लगभग होगी। यदि मेरे पास १०० रुपये की सम्पत्ति है तो मुझे कभी इसकी चिन्ता नहीं होगी, मेरे उत्तराधिकारियों को भी कभी इसकी चिन्ता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पक्का निश्चय होगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इसके विपरीत यदि कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास १,२५,००० रुपये या १,५०,००० रुपये से कुछ अधिक की सम्पत्ति हो, तो उसे यह निश्चय करना होगा कि उसकी सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क लग सकता है या नहीं। यदि वह इस परिणाम पर पहुंचेगा तो उसे लेखा देना पड़ेगा।

अब मैं प्रस्तुत संशोधनों के विषय में कुछ कहूंगा। पहिला संशोधन श्री कृष्णचन्द्र का है। यह किसी सम्मिश्रण के भय से बचने के लिए पुरःस्थापित किया गया है। हमें सदा ही इन दो बुराइयों के बीच का कोई रास्ता अपनाना होता है : एक तो किसी को तंग किये जाने की सम्भावना और दूसरी किसी बहुत बुद्धिमान् व्यक्ति द्वारा शुल्क से बचने की सम्भावना। अच्छा, तो यही शब्द ब्रिटेन के परिनियम में भी रखे हुए हैं और

इसमें सन्देह नहीं कि ये इस विषय में काफी अनुभव के पश्चात्—ये उस में १८९४ से हैं—रख गये होंगे। माननीय सदस्य के मन में केवल यही शंका है कि हम इस बात का निश्चय करने के लिये कि उपेक्षा हुई है या नहीं क्या कसौटी रखेंगे।

सभापति महोदय : यह केवल उपेक्षा ही नहीं, अपितु गलती का भी प्रश्न है।

श्री सी० डी० देशमुख : इसका अर्थ उपेक्षा या प्रयत्न करना है। हम उससे किस प्रकार का प्रयत्न करने की आशा करते हैं। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में यह सिद्ध करने के लिये बहुत से न्यायिक निर्णय हैं कि विधि के अनुसार किसी प्रन्यासी को अपने कार्य के सम्पादन में एक साधारण बुद्धि के व्यक्ति से जो कि अपने कार्यों की व्यवस्था स्वयं करता है अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। इन विषयों पर इन्हीं निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विचार करना पड़ेगा और मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर सके कि उसने उचित ध्यान दिया है या साधारण बुद्धि से काम लिया है, तो इस खण्ड में चाहे हम कुछ भी रखें इससे उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा।

इसके बाद मैं अगले संशोधन को लेता हूं। यह भी श्री कृष्णचन्द्र का है। किसी व्यक्ति ने किसी सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिये जान-बूझ कर कोई कार्यवाही नहीं की। उसे राज्य को हानि पहुंचा कर दानी नहीं बनना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र : परन्तु वह सम्पत्ति तो किसी और को मिल ही गई होगी—उससे क्यों न कर लिया जाये ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह सब तो सम्पत्ति के कुल मूल्य का प्रश्न है। कोई यह कह सकता है कि मैंने यह देखा कि किसी की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति दस अलग अलग व्यक्तियों के पास थी। एक के पास श्री रोहिणी कुमार चौधरी का एक मकान था "कई मकान" थे, एक की लागत १०,००० रुपये थी, दूसरे की लागत २०,००० रुपये थी इत्यादि। वह यह कह सकता है कि ये अलग अलग सम्पदायें हैं, एक सम्पदा का अंश नहीं हैं। तो इससे राज्य को अवश्य अन्तर पड़ता है, क्योंकि कुल मूल्य से ही दिये जाने वाले शुल्क की दर निश्चित की जाती है।

मुझे खेद है कि हम दूसरे संशोधन को भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कठिनाई उत्पन्न हो सकती है और लोग कर से बच सकते हैं। इस में भी वही बात है जिस पर कि हम पहिले बल दे चुके हैं और वह यह है कि शुल्क मत्यु पर सम्पत्ति के मूल्य पर लिया जाता है। अतः व्यय को पुनः प्राप्त करने का प्रश्न इस कारण उत्पन्न नहीं होता क्योंकि सदन इस सिद्धान्त को इसी आधार पर स्वीकार कर चुका है कि प्रशासन व्यय केवल उसी मामले में दिया जाना चाहिये जिसे कि हम अपवाद मान चुके हैं, क्योंकि विदेशों की सम्पत्ति के मूल्य को जानने में उसके प्रबन्ध या प्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय होता है। अतः इसी कारण म इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

इसके बाद मैं अगले संशोधन को लेता हूं। इसे, मेरे विचार में, कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। क्या लेखे का अर्थ मूल्य है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये सम्भवतः माननीय सदस्य के संशोधन का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। यदि लेखा देने का अर्थ केवल घर, अंश इत्यादि की सूची तैयार करना ह तो उनके मतानुसार भी यह परादिक लागू नहीं होगा।

यह कोई नहीं जानेगा कि वह उस परन्तुक को प्रवर्तित कर रहे हैं या नहीं। अतः लेखा में आवश्यक रूप से मूल्यांकन गर्भित होना चाहिये। इसलिए इस संशोधन के अनसार यह पता लगाना, कि क्या किसी व्यक्ति

[श्री सी० डी० देशमुख]

से लेखा देने के लिये कहना चाहिये या नहीं, नियंत्रक के ऊपर छोड़ दिया गया है । इस विभाग को काफी असुविधा रहेगी, एक तो उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगाने में और फिर सम्पदा शुल्क लगाने का कार्य आरम्भ करने से पूर्व लेखा प्राप्त करने में । यह एक ऐसा भार है जिसको नियंत्रक पर डालना हम ठीक नहीं समझते । इस विशेष खण्ड का केवल यही अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस समस्या पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और ईमानदारी से सम्पत्ति के मूल्य के सम्बन्ध में निर्णय लेना होगा । यदि वह इस परिणाम पर पहुंचता है कि वर्तमान नियमों और विधि के अधीन—और यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि जानता है—उस पर सम्पदा शुल्क लगाया जा सकता है, तो उसको एक लेखा देना पड़ता है ।

श्री दाभी : यदि एक व्यक्ति यह समझता है कि वह उत्तरदायी नहीं है और तब अगर नियंत्रक उसको दण्डित करता है, तो ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि उसकी सुनवाई होगी ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह सब काल्पनिक भय है । यदि, जैसा कि मैंने कहा, वास्तव में ऐसा हो कि सम्पत्ति एक लाख रुपये मूल्य की हो और अगर कोई यह कहे कि उसे उसका मूल्य नहीं मालूम है और कहे कि "मैंने समझा कि उसका मूल्य केवल २५,००० रुपये है, और इसीलिये मैंने लेखा नहीं दिया", तो ऐसी दशा में उस पर सम्पदा शुल्क लगना चाहिये । दूसरी तरफ, यदि एक गुंजाइश वाला मामला हो, एक थोड़ा अन्तर, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस मामले में कठोरतापूर्वक विधि का पालन नहीं किया जायेगा । माननीय सदस्यों के भयों के अनपेक्ष, इन सारे मामलों में मूल धारणा यह है, जो होनी भी चाहिये, कि विधि का पालन न्याय तथा निष्पक्षता के साथ होगा । और यदि कोई अन्य धारणा हो तो उन्हें इस विधि के अधिनियमन में अपनी स्वीकृति नहीं देनी चाहिये ।

श्री तुलसीदास द्वारा संशोधन संख्या ६८८ प्रस्तावित है । वह तो लगभग एक वकील बन गये हैं क्योंकि वह मेरे विरुद्ध 'एस्टॉपेल' (स्तम्भन) का प्रतिपादन कर रहे हैं । वह कहते हैं कि किसी अनौपचारिक परामर्श में मैंने सदस्यों को एक संशोधन परिचारित किया था । अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व मुझे भी अपनी कार्यवाही को बदलने का वैसा ही अधिकार है जैसा कि सम्भवतः उन्हें है । मुझे नहीं पता कि उसका प्रयोग उन्होंने कहां किया है । तथ्य तो यह है कि यह बात सच है कि एक समय हमने प्रयोगात्मक प्रारूप परिचारित किया था लेकिन हमने इस विषय पर फिर से विचार किया । आखिर, खुला दिमाग रखने का यह दण्ड है । एक खुला दिमाग केवल कुछ सूत्रों से प्राप्त होने वाले सुझावों के लिये ही नहीं खुला रह सकता । उसको विभाग सहित सभी सूत्रों से प्राप्त होने वाले सुझावों को लेना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में, कि सारे सम्पदा शुल्क के लिये कौन उत्तरदायी होगा, हमने विशेष रूप से खण्ड ५१ (१) के उपबन्धों पर विचार किया था और हम इस परिणाम पर पहुंचे थे कि यहां पर हम किसी ऐसी चीज़ का आत्मसमर्पण करने जा रहे थे जो शुल्क की वसूली में महत्वपूर्ण है । प्रत्येक द्वारा वस्तुतः प्राप्त सम्पदा की मात्रा के आधीन सारी सम्पदा शुल्क का उत्तरदायित्व प्रत्यक उत्तरदायी व्यक्ति पर आरोपित किया गया है । इस स्थिर उत्तरदायित्व में काट छांट करना खतरनाक होगा, लेकिन मझे विश्वास है कि व्यवहार में, सही और न्यायोचित प्रशासन के प्रश्न पर फिर से आते हुए, मैं यह बात नहीं सोच सकता कि साधारण

परिस्थितियों में नियंत्रक संशोधन के उपखंडों २ और ३ में उपबंधित ढंग के अतिरिक्त किसी अन्य ढंग से शुल्क प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। समुदाय के दावे को अग्रिमता मिलनी चाहिये और हम खण्ड ५१ (१) के स्थिर उपबन्ध की सहायता तभी लेते हैं जब हम उसे इस ढंग से प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। माननीय सदस्य के भय को दूर करने के लिये मैं केवल इतना कह सकता हूं कि व्यवहार तथा प्रशासन में हम, समुदाय के हितों को बिना खतरे में डाले, यथा सम्भव न्याय करने का प्रयत्न करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड ५१ विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५१ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ५२--(उत्तरदायी व्यक्ति आदि)

श्री तुलसीदास : यह खण्ड कुछ मामलों में न्यासधारियों को उत्तरदायी बना देता है। पहली बात तो यह है कि खण्ड ५१ (१) के अनुसार न्यासधारियों का उत्तरदायित्व उनके हाथ में जितनी आस्तियां हों उन्हीं तक सीमित रखना चाहिये। इसके अतिरिक्त सारा खण्ड एक और कारण से आपत्तिजनक है, क्योंकि यह न्यासधारियों को, जिनसे मृतक व्यक्ति अपरिचित हो सकता है बड़ी खराब स्थिति में रख देता है क्योंकि उन्हें ऐसे शुल्क की व्यवस्था करनी पड़ती है अथवा उसके लिय व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होना पड़ता है। यह अत्यन्त अन्यायपूर्ण है। उपखण्ड (२) में उन्हें छूट पाने के लिये जो प्रक्रिया उपबन्धित है वह भी अव्यवहारिक है। ब्रिटिश वित्त अधिनियम, १९५० के समान ही भारतीय अधिनियम में भी न्यासधारियों के लिए बचाव उपबन्धित किए जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि यहां पर न्यासधारियों पर उत्तरदायित्व तो अत्यधिक लाद दिये गये हैं पर उन के बचाव का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। इसीलिये मैंने उपखण्ड (१) के अन्त में एक पृथक् खण्ड जोड़े जाने का सुझाव दिया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री मेरे सुझाव को स्वीकार करेंगे।

इसके उपरांत उन्होंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य ने अपने संशोधन में 'उन्नति' और 'अखंडनीय रूप से अधिकृत' शब्दों को प्रयोग किया है। क्या वह इनके तात्पर्य स्पष्ट रूप से समझते हैं? विधि ज्ञाता लोगों का कहना है कि न तो इस प्रकार की उन्नति के और न अखंडनीय रूप से अधिकार के कोई मामले हैं। मेरी समझ से, इस खण्ड को केवल इसलिये रखना क्योंकि यह ब्रिटेन की विधि में है, उचित नहीं है। वहां की परिस्थितियां दूसरी हैं। बहुत देखने पर भी मैं "उन्नति" का तात्पर्य समझन में असमर्थ हूं। यदि इस समस्या पर सदन कोई प्रकाश डाल सके तो मैं इस पर विचार करने के लिये तैयार हूं।

सभापति महोदय : क्या इन परिस्थितियों में आप अपने संशोधन पर विचार किये जाने के लिये ज़ोर देंगे?

श्री तुलसीदास : जी हां।

इसके उपरांत श्री तुलसीदास का संशोधन अस्वीकृत हो गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५२ विधेयक का अंग बना लिया गया।

[सभापति महोदय]

खंड ५३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ५४—(न देने पर दण्ड)

श्री तुलसीदास : मेरे विचार से इस खण्ड में खण्ड ५१ और ५३ के आधीन होने वाली त्रुटियों के लिये जो दण्ड निश्चित किया गया है, वह बहुत अधिक और क्रूर है । यद्यपि नियंत्रक को उस दण्ड को कम करने का अधिकार भी दिया गया है, फिर भी मैं समझता हूं कि व्यवहार में ऐसा वह बहुत मुश्किल से ही करेगा । अतः खण्ड को इस प्रकार संशोधित करना चाहिये ताकि दण्ड एक हजार रुपये या सम्पदा शुल्क की राशि में जो भी कम हो, वह निश्चित किया जाये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के संशोधन से दण्ड पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री जी० एल० चौधरी : सभापति महोदय, चूंकि यह मेरे दोनों अमेंडमेंट एक ही क्लाज़ से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा से दोनों अमेंडमेंटस् को एक साथ रखना चाहता हूं । मैंने यह जो संशोधन इस धारा में किये हैं, उनकी बड़ी अहमियत है, देखने में ऐसा आया है कि यह क़ानून जिन लोगों के लिये बन रहा है, वह बड़े धनवान हैं, उन लोगों के दिलों में सदैव यह रहता है कि वह अपने पैसे के बूते पर दुनिया की हर एक शह को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं । जहां इनको ज़रा भी क़ानून में लचीलापन या ढीलापन मालूम होता है, तो यह सदैव उसका फ़ायदा उठाने का प्रयत्न किया करते हैं । उन लोगों का तो क्या कहना, ऐसा मालूम होता है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें थोड़ा सा लचीलापन कर दिया है, एक हज़ार रुपया की जो उसमें पैनालिटी रखी है, वह उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है । मैं तो सुझाव दूंगा कि इस एक हज़ार की पेनालिटी को उड़ा दीजिये और उसकी जगह जो डबल आफ़ दी स्टेट ड्यूटी है, वह जोड़ दी जाय, यह अपनी जगह पर खास अहमियत रखती है । देखने में आया है कि जितने भी क़ानून बने हैं, हमने इनकमटैक्स में देखा, कंट्रोल में देखा, आई० पी० सी० में और ऐसी बहुत सी जगह देखा कि जहां भी मुमकिन हुआ उन लोगों ने अपने रुपये के बूते पर अधिकारियों और ज़िम्मेदार लोगों को अपने वश में करने की कोशिश की । यह वास्तव में बड़े चालाक लोग हैं और अगर मैं उनके इतिहास पर जाऊं तो मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं मालूम होती कि यह जो धनवान बने हैं, वह इसलिये बने हैं कि या तो इन्होंने ग़रीबों का शोषण किया है, या उन बेचारे कंज्यूमर्स जो उपभोक्ता लोग हैं उनके साथ में ब्लैक मार्केट किया है, तब जाकर यह धनवान बने हैं । जब पहले से ही हमको इनकी दशा का ज्ञान है, तो हमें इस क़ानून को बड़ी सख्ती से बर्तना चाहिए और ज़रा भी अगर क़ानून में कहीं ढिलाई या लचकीलापन आया, तो ये धनवान लोग क़ानून का बेजा फ़ायदा उठाने का हमेशा की भाँति इस बार भी प्रयत्न करेंगे । इसलिए मैं फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि मेरे जो संशोधन इस धारा में हैं, उनको कृपया स्वीकार करें ।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : वास्तव में एक हज़ार रुपया हमेशा के लिए दंड नहीं रह सकता । बिना किसी उचित कारण के शुल्क न देने पर यह अर्थदंड देना होगा । अतएव वे इस सम्बन्ध में अपनी स्वेच्छा से काम लेते हैं । और यदि अर्थ दंड लगा दिया जाता है तो वे खंड ६१ के अनुसार इसकी अपील कर सकते हैं । अतएव सम्पदा शुल्क के उचित प्रशासन के लिए ये बातें अति आवश्यक हैं । प्रत्येक कर विधान के अनुसार

अर्थदंड की व्यवस्था है। आय-कर में भी इसकी व्यवस्था है। अतएव सम्पदा शुल्क में भी यह आवश्यक है।

श्री तुलसीदास : किन्तु यह तो बड़ा कठोर दंड है, अर्थात् देय सम्पदा शुल्क की दूनी धनराशि।

सभापति महोदय : एक हज़ार रुपया अथवा न दिये गये शुल्क की दुगनी मात्रा।

प्रश्न यह है कि :

"खंड ५४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ५५ (निष्पादक को निर्देश करना चाहिए)

श्री कृष्णचन्द्र :

पृष्ठ २७ में

(१) पंक्ति १५ में "मृतक" शब्द के उपरांत यह जोड़ देना चाहिये कि धारा ५१ के अनुसार लेखा देने में भूल हुई इस कारण से अथवा धारा ५८ अथवा धारा ६५ के अनुसार प्रमाण पत्र न देने के कारण इसमें देर नहीं होनी चाहिए।

(२) १६ से २७ तक की पंक्तियों को निकाल देना चाहिए।

मान लीजिये एक मृतक का समस्त धन बैंक में है और वह उस धन को अपने उत्तराधिकारियों को दिये बिना ही मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें उत्तराधिकार अथवा प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र नहीं मिल सकेगा ताकि वे बैंक से उस धन को लेने के सम्बन्ध में बातचीत कर सकें। और इस प्रकार वे उस मृतक की सम्पत्ति से बहुत दिनों तक वंचित रहेंगे। विधेयक के अनुसार मृतक की मृत्यु के उपरांत ६ महीने के भीतर लेखा देना होगा तब नियंत्रक द्वारा उस लेखे की जांच पड़ताल होगी तथा उस पर सम्पदा शुल्क लगेगा तब कहीं जाकर उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। सम्भव है कि इस सम्बन्ध में उसे एक वर्ष या कुछ और भी अधिक लग जावे। और जब तक कि नियन्त्रक द्वारा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता तब तक उत्तराधिकारियों को प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। अतएव यह एक ऐसी बात है जो कि जनता को बैंक में रुपया जमा करने के लिए हतोत्साहित करती है। अतएव वे लोग अच्छे रहेंगे जो अपना धन हीरे जवाहरात के रूप में अपने पास रखते हैं। उत्तराधिकारियों को इतनी सुविधा अवश्य दी गई है मृतक की अन्त्येष्टि क्रिया के लिए वे एक हज़ार रुपया ले सकते हैं। सम्पदा शुल्क की प्राप्ति के लिये विधेयक में बहुत सी सुविधायें हैं एक तो यह अर्थ दण्ड है, दूसरे शुल्क मृतक की उस समस्त सम्पत्ति पर लिया जायगा जो कि मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारियों को जाती है।

खंड में कहा गया है कि जब तक कि प्रमाण पत्र न मिले प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र नहीं स्वीकार किया जा सकता। मेरा संशोधन तो यह है कि जब एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है तो प्रमाण पत्र की अप्राप्ति के कारण उसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए। यह संशोधन उनके लिए हितकर है जिनके पास थोड़ी सम्पदा है और जिनका सारा धन बैंक में है।

श्री एम० सी० शाह : पहली बात तो यह है कि लेखा ६ महीने के भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिए। जो कि किया जा सकता है। प्रमाण पत्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सम्पदा शुल्क दे दिया जाय। यदि एक व्यक्ति इस बात की प्रतिभू दे देता है कि देय सम्पदा शुल्क उचित समय पर दे दिया जायगा तो उसे प्रमाण पत्र मिल जायगा ऐसी बात नहीं है कि जब तक कि उस सम्पदा शुल्क का नक़द

[श्री एम० सी० शाह]

भुगतान नहीं होगा तब तक उसे प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा । विवरण पत्र देने पर, और देय सम्पदा शुल्क का नकद भुगतान करने अथवा उसके स्थान पर प्रतिभू दे देने पर प्रमाण पत्र मिल जाता है। उसके उपरांत शुल्क अधिक लगने पर आप उस शुल्क को बाद को भी दे सकते हैं।

श्री कृष्णचन्द्र : मैं अपने प्रस्ताव के पक्ष में ज़ोर नहीं देता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ५५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५५ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ५७ (सम्पदा शुल्क आरोपण करने की कार्यवाहियों के आरम्भ करने के लिए सीमन)

श्री आर० के० चौधरी (गोहाटी) : मैं विनम्र प्रस्तुत करता हूं कि :

पृष्ठ २७ में

खंड ५७ के स्थान पर निम्न आदिष्ट किया जाय

"५७. सम्पदा शुल्क आरोपण करने की कार्यवाहियों के आरम्भ करने के लिये सीमन-- इस अधिनियम के अनुसार एक मृतक की उस सम्पत्ति पर जो कि सम्पदा शुल्क लगने योग्य है, उस मृतक की मृत्यु के दिन से तीन साल के भीतर सम्पदा शुल्क लगाने सम्बन्धी सभी कार्यवाहियां समाप्त हो जानी चाहियें अन्यथा तदोपरांत उस सम्पदा से किसी भी प्रकार का कोई सम्पदा शुल्क अथवा उस पर की कोई भी बकाया नहीं ली जायगी ।"

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २७, पंक्ति ४० में

"१२ वर्ष" में स्थान पर "६ वर्ष" आदिष्ट कर दिये जायं ।

श्री तुलसीदास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २७ पंक्ति ४० में

"१२ वर्ष" के स्थान पर "४ वर्ष" आदिष्ट कर दिये जायं ।

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २७ पंक्ति ४० में

"१२ वर्ष" के स्थान पर "२० वर्ष" आदिष्ट कर दिय जायं ।

श्री आर० के० चौधरी : मेरा संशोधन विधेयक के खण्ड ५७ के विपरीत है । इस खंड के अनुसार सरकार सम्पदा शुल्क को इकट्ठा करने की कार्यवाही १२ वें वर्ष तक करने का अधिकार अपने पास रखना चाहती है । मेरा उद्देश्य यह है कि सम्पदा शुल्क, चाहे कुछ भी वह देय क्यों न हो, उस को एकत्रित करने सम्बन्धी सभी कार्यवाहियां एवं उसे एकत्रित करने का कार्य तीन वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए । सभी कार्य इन तीन वर्षों में पूरे हो जाने चाहियें । वर्तमान खंड के अनुसार १२ वर्ष के अन्त तक सम्पदा शुल्क के एकत्रित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जायगी । यह बात शुल्कदाता तथा सरकार दोनों ही के हित में नहीं है । यदि इस में ढील दे दी जाती है तो इस शुल्क के एकत्रित करने में तीन वर्ष लग जायेंगे । और संभव है कि इस बीच में वह सम्पत्ति भी समाप्त हो जाय । और इस प्रकार सरकार को हानि उठानी होगी । फिर भला १२ वर्ष तक इस बात की प्रतीक्षा, कि कितना सम्पदा

शुल्क लगाया गया था तथा कितना शुल्क मिला है, करने से क्या लाभ ।

मांग की सूचना के दिन से ही शुल्क आरोपण प्रारम्भ हो जायगा । मृतक के विधि प्रतिनिधि द्वारा ६ महीने के भीतर लेखा देना होगा, और मांग की सूचना जारी हो जाने के उपरान्त कार्यवाही शुरू हो जायगी । अतएव मैं कहता हूं कि लेखा आने के बाद तुरन्त ही सूचना भेज दी जाय और कार्यवाही प्रारम्भ कर के उसे ३ वर्ष के भीतर समाप्त कर दिया जाय ताकि उत्तराधिकारियों को उन की स्थिति का ज्ञान हो जाय । एक सम्पत्ति जो सम्पदा शुल्क देने के योग्य है उसे हस्तान्तरित करने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए और न उस के साथ कुछ करना चाहिए । वर्तमान खंड के अनुसार व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चलता कि उस की सम्पदा पर भी शुल्क लगेगा । मान लीजिए कि उसे पता भी चल जाता है तो वह अपनी सम्पत्ति का कुछ उपयोग नहीं कर सकता । जिस सम्पत्ति से सम्मिलित कार्यवाही स्थगित रूप में है उस सम्पत्ति को भला कौन खरीदेगा । अतएव इस प्रकार जनता को काफ़ी हानि उठानी होगी । मैं समझता हूं कि ३ वर्ष के भीतर इन सारी कार्यवाहियों को समाप्त करने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होगी । एक बात यह भी तो है कि १२ वर्ष के भीतर एक दो और तीन चार मृत्यु भी तो हो सकती हैं अतएव इस सम्पदा पर और भी देयत्व का भार आ सकता है । अतएव सारी कार्यवाहियां शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

श्री तुलसीदास : खंड ५७ के अनुसार १२ वर्ष की समाप्ति के उपरांत कार्यवाही प्रारम्भ हो सकती है । मेरे विचार से १२ वर्ष का समय बहुत लम्बा समय है । सीमित सम्पत्तियों तथा छोटी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में काफ़ी कठिनाई होगी । आयकर विधेयक में भी ४ वर्ष से लेकर ६ वर्ष तक समय कार्यवाही के समाप्त करने के लिए रखा गया है । बड़ी बड़ी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं है । वे नियंत्रक के पास प्रमाण-पत्र के लिए जा सकती हैं और शीघ्र ही कार्यवाही का काम प्रारम्भ हो जाता है । जैसा कि आयकर विधान में ६ वर्ष का समय दिया है उसी प्रकार मैं समझता हूं कि इस के लिए भी ६ वर्ष का समय बिल्कुल ठीक है । मैं ने अपने संशोधन में इस की अवधि ४ वर्ष रखी है । छोटी छोटी सम्पदाओं के सम्बन्ध में करदाता तथा नियंत्रक के विचारों में अन्तर हो सकता है । क्यों कि करदाता को यह पता नहीं चलता कि क्या उस की सम्पत्ति, शुल्क देय है अथवा नहीं ।

मान लीजिए कि नियंत्रक किसी व्यक्ति को नहीं चाहता तो १२ वर्ष की अवधि के भीतर वह कभी भी कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है । और यह करदाता को काफ़ी कठिनाई होगी । आयकर अधिनियम में साधारण रूप से ४ वर्ष का समय रखा गया है । अतएव मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि यह समय आयकर अधिनियम के आधार पर निश्चित कर दिया जाय ।

श्री के० के० बसु : मैं ने अपने संशोधन सं० ४५८ में २० वर्ष तक कालावधि बढ़ाने का सुझाव रखा है । मेरे मित्र श्री तुलसी दास ने कहा है कि सीमान्त सम्पदाओं के स्वामियों को बहुत कठिनाई होगी । इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रवर समिति ने विधेयक में खण्ड ३३ का समावेश किया था कि संबंधित व्यक्ति नियंत्रक से इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है कि उस सम्पदा पर सम्पदा शुल्क नहीं लगेगा । ५०,००० की सम्पत्ति वाले संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यक्तियों से और १ लाख रु० की अन्य किसी की

[श्री के० के० बसु]

सम्पत्ति के मामले में क्रेता अथवा विक्रेता इस प्रकार का प्रमाण पत्र अवश्य लेगा। इस लिए खण्ड ७३ के उपबन्ध के अधीन ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री तुलसीदास ने दूसरी बात यह कही कि आयकर की कालावधि कम है। आयकर में एक वर्ष बच निकलने वाला व्यक्ति दूसरे वर्ष पकड़ा जा सकता है जब तक कि वह इतना ही चालाक न हो कि वर्षों तक अधिकारियों को धोखा दिये जाये।

माननीय सदस्य ने इंगलैंड के अधिनियम में ऐसे ही उपबन्धों का वर्णन किया है। वहां ऐसा है क्योंकि वहां प्रशासन का पत्र अथवा मृत-लेख प्रमाण लेना अनिवार्य है। परन्तु भारत में केवल इच्छा पत्र होने पर इस की आवश्यकता पड़ती है। इंगलैंड में कोई भी सम्पदा शुल्क से नहीं बच सकता।

२० वर्ष तक कालावधि बढ़ाने के सम्बन्ध में मैं दो बातों पर ज़ोर देना चाहता हूं। खण्ड ५१ के अधीन वैध उत्तराधिकारी को यह प्रमाणित करना पड़ता है कि कोई अन्य व्यक्ति मृत की आस्तियों पर अवैध रूप से अधिकार जमाए हुए है। इस पर उसे सम्पदा शुल्क नहीं देना होगा। हमारे इस विस्तृत देश में संभव है कि एक व्यक्ति जो दिल्ली में मर जाए उस की सम्पत्ति बंगाल अथवा मद्रास के किसी दूर गांव में हो। उत्तराधिकारी को यह ज्ञात न हो अथवा रुचि न रखता हो और दूर के सम्बन्धी लम्बे समय तक उस का उपभोग करते रहें। यदि उत्तराधिकारी मृत्यु से १२ वें वर्ष में सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करे और नियंत्रक का इस का ज्ञान १२ वर्ष पश्चात हो तो उस सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क नहीं लगेगा।

खण्ड ३० के अधीन सम्पदा शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में ३ वर्ष की कालावधि के बीच त्रुटियों के संशोधन का उपबन्ध है यदि उस कालावधि के पूर्व जिसम अधिकार लिया जा सकता है ३ वर्ष की कालावधि के पश्चात वह व्यक्ति अधिकार प्राप्त करे जो पहले सम्पदा शुल्क से मुक्त समझा गया हो तो यदि १२ वर्ष की कालावधि की ही सीमा रखें, तो वह विधि अधीन नहीं आयेगा। ऐसा इसलिए है कि हमारे देश में न्यायालय से मृत-लेख प्रमाण लिए बिना उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। इसलिए कालावधि की सीमा १२ वर्ष से अधिक करनी चाहिये।

एक कारण और है जिस से मैंने यह कालावधि २० वर्ष रखी है वह यह है कि खण्ड ६९ में उपबन्ध किया गया है कि मृत्यु के २० वर्ष पश्चात बोर्ड न दिए गए सम्पदा शुल्क को माफ कर सकता है।

इसलिये मैं समझता हूं कि यदि २० वर्ष की कालावधि रखी जाए तो करदाता को अपना कर देने का अवसर मिल सकेगा। आप स्वेच्छा से सम्पदा शुल्क अथवा उस पर ब्याज माफ कर सकते हैं। यदि कालावधि की सीमा २ वर्ष निश्चित की जाए तो सीमावर्ती केसों में भी कठिनाई नहीं होगी। देश के विस्तृत होने के कारण और इस संभावना के कारण कि एक व्यक्ति देश के एक भाग में कार्य करता हो और हजारों मील दूर किसी अन्य राज्य में उस की सम्पत्ति हो तो बहुत सी सम्पत्ति की सम्पदा-शुल्क से बच जाने की संभावना है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस पर सहृदयता पूर्वक विचार करेंगे।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : निर्धारित सीमा का आधार केवल वे लोग लेते हैं जो इमानदार नहीं। इस का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति १२ वर्ष तक सम्पदा शुल्क से बच निकले वह आ कर कह सके कि क्योंकि वह इतने वर्ष बचा रहा है इसलिए उसे इस से विमुक्त कर देना चाहिये इसी प्रकार यदि सरकार

कहे कि कोई निर्धारित सीमा उस के पक्ष में न हो तब तो यह सुझाव ठीक है। परन्तु यहां सरकार भी बेईमानी से काम करती है। साधारण रेलवे अधिनियम में १ वर्ष की निर्धारित सीमा के आधार पर लाखों रुपये के दावे रद कर दिये जाते हैं। ६ मास की आगामी सीमा का लाभ सदा ही सरकार प्राप्त करती है। इंगलैंड में ऐसा नहीं है। वहां यदि सरकार का कोई सदस्य सीमा का आधार प्रस्तुत करे तो यह अपमानजनक समझा जाता है। वहां निर्धारित सीमा सम्बन्धी अधिनियम में भी यह उपबन्ध है कि सीमा सम्बन्धी प्रश्न की जांच न्यायालय द्वारा की जाए। हमारे यहां ऐसा नहीं है। यहां पूर्ववर्ती सरकार ने जिसे बेईमान कहा जा सकता है निर्धारित सीमाओं का आश्रय लेकर अपने लिए धन बचाया था। वे उपबन्ध आज भी ज्यूं के त्यूं हैं। इन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के लिए १२ वर्ष की कालावधि में सम्पदाशुल्क के लिए मुकदमाबाजी में ग्रस्त रहना अत्यन्त कष्टदायी है। मैं श्री तुलसीदास से सहमत हूं कि यह १२ वर्ष का काल उन व्यक्तियों के लिए भय का काल होगा जिन की सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क नहीं लग सकता। यह कठिनाई सीमावर्ती लोगों के लिए है। धनाढचों पर इस का प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें तो कर देना है। वे तो मृत्यु पश्चात एक ही मास में कर भारित हो जायेंगे। वे १२ वर्ष तक नहीं बच सकते। हमारे साम्यवादी मित्र दरिद्र मध्य वर्ग के प्रति बदले की भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे केवल इस धारणा से ग्रस्त हैं कि ये लोग धनवान हैं। इस मिथ्या धारणा को त्याग देना चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि वित्त मंत्री १२ वर्ष की कालावधि न रख कर ३ अथवा अधिक से अधिक ६ वर्ष की उपयुक्त सुविधा उन लोगों को दें जो देखने में धनवान नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं १२ वर्ष कालावधि की डावांडोल स्थिति को कम करने के लिए प्रस्तुत की गई युक्तियों में कोई बृद्धि नहीं करना चाहता। वस्तुतः यह स्थिति कर दाता तथा सरकार दोनों के बीच सन्देह और शंकाओं को उत्पन्न करेगी। सीमावर्ती करदाताओं पर इस का अत्याधिक प्रभाव पड़ेगा अतएव जैसा अन्य मित्रों ने प्रस्ताव रखा है और जैसा मेरे संशोधन में प्रस्तावित है इस कालावधि को कम कर के ६ वर्ष कर देना चाहिये। संभवतः इस कालावधि की आयकर अधिनियम से भी समनुरूपता होगी। १२ वर्ष के काल में तो संभव है कि परिवार में और भी मौतें हो जायें तब यह परिवार के लिये निरन्तर भय का कारण हो जायगा इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि यह कालावधि घटा कर ६ वर्ष कर दी जाए।

श्री पाटस्कर : जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध है इंगलैंड के अधिनियम में ऐसा कोई विहित काल नहीं है और मेरे विचार में वर्तमान परिस्थितियों में यहां १२ वर्ष की कालावधि बहुत अधिक है। तो भी भारत की परिस्थितियों में यह निश्चित किया गया है कि कुछ निश्चित कालावधि होनी ही चाहिये। बड़ी सम्पदाओं के सम्बन्ध में कोई बच निकलने का प्रयास नहीं करेगा क्योंकि वे १२ वर्ष प्रतीक्षा नहीं कर सकेंगे। व्यापारिक समुदाय भी इस से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि वे लेखे रखते हैं। केवल सीमावर्ती मामलों में इस का प्रभाव पड़ेगा।

दुर्भाग्य से भारत की वर्तमान स्थितियों में अधिवक्ताओं के व्यवसाय का आदर नहीं है। वे जानते हैं कि विधान के अन्तर्गत क्या कुछ घटित होता है। शादी अधिनियम का उदाहरण लीजिए केवल वे मामले न्यायालय के समक्ष आते हैं जहां दो व्यक्तियों अथवा दलों में झगड़ा हो। मैं स्वयं अधिवक्ता के अनुभव से कह सकता हूं कि मामले न्यायालय के पास द्वेष भाव के कारण आते हैं न कि समाज सुधार की इच्छा से। इस दृष्टिकोण

[श्री पाटस्कर]

से भी विचार कीजिए कि इन सीमावर्ती मामलों में क्या होगा। ५०,००० रु० की सम्पत्ति के मालिक के मर जाने पर १० वर्ष पश्चात कोई शिकायत कर सकता है कि उस की सम्पत्ति ५०,००० नहीं वरन ७५,००० थी। क्योंकि आप उस के विरुद्ध १२ वर्ष के बीच कार्यवाही कर सकते हैं इसलिए उस समय उस की सम्पत्ति का मूल्यांकन होगा कि १० अथवा १२ वर्ष पूर्व उस का मूल्य क्या था। इस पर सब उलझनें उत्पन्न होंगी। इसलिए मेरे विचार में १२ वर्ष की कालावधि वस्तुतः बहुत अधिक है। इस से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इस का दुरुपयोग होने की संभावना है और मूल्यांकन कर्ताओं के लिए भी कठिनाई होगी। हम सम्पदा शुल्क के पक्ष में हैं। इस की वसूली के लिए सब प्रकार के पग उठाये जाने चाहियें परन्तु हमें देखना है कि किसी मामले में किसी को अनावश्यक रूप से भयभीत न किया जाए। कालावधि की सीमा निर्धारित करना भी स्वीकार कर लिया गया है तो यह १२ वर्ष की अपेक्षा केवल ६ वर्ष क्यों न हो। यह पर्याप्त होगा।

श्री वी० पी० नायर तथा श्री टेकचद खड़े हुए।

सभापति महोदय: मेरे विचार में इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो गई है। हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। मुझे खेद है कि मैं किसी को बोलने का समय नहीं दे सकता। अब माननीय वित्त मंत्री बोलें।

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान, इस मामले में हमें प्रवर समिति की पिछली कार्यवाही पर ध्यान देना होगा। जैसा मेरे मित्र ने कहा यह ठीक है कि प्रवर समिति का प्रतिवेदन लिये जाने के पश्चात् किसी सस्दय को यह नहीं सूझा कि परिवर्तन किया जाए। और उस समय यह देखा गया कि न तो संयुक्त राज्य अमरीका और न ही इंगलैंड में सम्पदा शुल्क लगाने की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए कोई कालावधि निश्चित की गई है।

श्री टेकचन्द: इंगलैंड में एक मामले में ६ वर्ष और दूसरे में १२ वर्ष की कालावधि है।

श्री सी० डी० देशमुख: तो भी यह संशोधन प्रवर समिति ने जान बूझ कर दिया था क्योंकि यह अनुभव किया गया कि बहुत से मामलों में जहां सम्पत्ति का कुल मूल्य अधिकतम सीमा से कम हो यह संभव है कि वे कई वर्षों तक विमुक्ति प्रमाणपत्र न लें। तत्पश्चात् जब दूसरा मालिक सम्पत्ति को बेचना चाहे तो विमुक्ति प्रमाणपत्र लेने में अनावश्यक कठिनाइयां होंगी। इस कारण का प्रभाव प्रवर समिति पर पड़ा। उन्हों ने १२ वर्ष की कालावधि रखी क्योंकि धरोहर की कुछ श्रेणियों में सामान्य कलावधि यही है। चल तथा अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अभियोगों की कालावधि की सीमा १२ वर्ष है। न्यायालय की डिक्रियों के प्रवर्तन के लिए भी कालावधि १२ वर्ष है। वस्तुतः राज्य शुल्कों के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि वहां कोई निश्चित कालावधि नहीं है। मेरा विचार है कि उपर्युक्त विचारों से हमें बहुमत पद्धति का ही अनुकरण करना चाहिये तथा कदापि कोई सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिये। अतः सदस्यों का यह कथन कि—"यदि आप किसी प्रकार की सीमा निश्चित कर रहे हैं तो सीमा न रखिये"—यह मुझे युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती किन्तु इसे किसी उद्देश्य की पूर्ति करना है। प्रस्तुत खण्ड पर अन्य खण्डों अर्थात ५८, ५९ और ६० खण्ड के प्रवर्तन की दृष्टि से विचार करना है। सीमान्त मामलों में कहीं शुल्क बिना चुकाये

रह जाये यह मत निराधार प्रतीत होता है क्योंकि सामान्य अवस्था में हिसाब का लेखा दिया जायगा और एक प्रमाण पत्र भी दिया जायगा कि शुल्क दे दिया गया है अथवा शुल्क देय नहीं है या शुल्क चुका दिया जायगा। मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रमाणपत्र वृहद् संख्या में मामलों की व्यवस्था करेगा। इन मामलों के अतिरिक्त जो कि प्रवर समिति के ध्यान में थे यह प्रश्न भी स्मरणीय है कि अधिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में सगोपन की सम्भावना हो सकती है। आप के पास दस लाख की घोषित सम्पत्ति हो सकती है किन्तु फिर भी कुछ भाग ऐसा हो सकता है जिस के विषय में प्रकट घोषणा न की गई हो। इसी प्रकार के मामलों के लिये हम खण्ड ५० की चर्चा कर रहे हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : वे इस के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। कार्यवाही में इस का सूत्रपात पहले ही हो गया है।

श्री सी० डी० देशमुख : प्रकट गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही का समारम्भ हो गया है किन्तु अप्रकट सम्पत्ति को मालूम करने में कुछ अवधि आवश्यक है। बारह वर्ष की यह अवधि उसे भी अर्न्तभूत कर लेगी। अतः यह संशोधन के मामले के सदृश ही है

माननीय सदस्य ने एक विचारणीय विषय प्रस्तुत किया है। उन्हों ने कहा कि आय-कर में यह चार वर्ष है किन्तु संगोपन के अभिप्राय से लिये कार्यवाही प्रारम्भ करने में यह आठ वर्ष है और एक वर्ष उसे अन्तिम रूप देने में अर्थात कुल नौ वर्ष। अतः हम ने जो अवधि चुनी है वह दूसरे मामलों के समान अवधि की तुलना में ही है। बीस वर्ष की लम्बी अवधि के विषय में हमें वही निर्णय मानना चाहिये जिस पर प्रवर समिति पहुंची थी और इस उपबन्ध के स्वर्णिम मार्ग को प्राप्त अतिरिक्त लाभ को उस समय किसी ने नहीं सोचा।

श्री टेकचन्द : क्या माननीय वित्त मंत्री का ध्यान अंग्रेजों के विधान के १८९४ के वित्त अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१८) की ओर आकर्षित हुआ है जिस में यह व्यवस्था है : "किसी सद्भावी ग्राहक को मूल्य की गणना के लिये दायित्व की ओर ध्यान दिये बिना उस के द्वारा खरीदी गई सम्पत्ति का सम्पदा शुल्क के लिये लेखा नहीं देना पड़ेगा।" हमारे सम्पदा शुल्क विधेयक में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है।

सभापति महोदय : मैं नहीं समझता कि इस का यहां कोई सम्बन्ध है।

प्रश्न है :—

"कि खण्ड ५७ विधेयक का ही अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया।

खण्ड ५७ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ५८ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ५९—क (नियंत्रक के अधिकार आदि)

सभापति महोदय : अब मैं इस खण्ड पर सदन का मत लूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५९ विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया।

खण्ड ५९ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ६०—(त्रुटियों का संशोधन आदि)

सभापति महोदय : खण्ड ६०। श्री तुलसीदास के नाम से १७५, १७७ और १७८ तीन संशोधन हैं।

श्री एस० एस० मोरे : हम ने कार्यक्रम मंत्रणा समिति की कल्पना से अधिक कार्य

[श्री एस० एस० मोरे]

कर लिया है। हम नियत कार्यक्रम से आगे हैं अतः मध्याह्नोत्तर सत्र की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : हम उस पर विचार करेंगे।

अब सदन की बैठक चार बजे तक के लिये स्थगित होती है।

तब सदन की बैठक चार बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

सदन की बैठक चार बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

खण्ड ३४—(शुल्क की दरें आदि।)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को विदित है कि खण्ड ३४ से सम्बन्धित कतिपय संशोधन और वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन जिस के अनुसार द्वितीय अनुसूची को शुल्क की दरों में सम्मिलित करने के लिये कहा गया है दोनों ओर से औचित्य प्रश्न उठाया गया है।

जहां तक शुल्क में वृद्धि करने सम्बन्धी किसी भी संशोधन का प्रश्न है यह सामान्य आधार है कि संविधान के अनुच्छेद २७४ और अनुच्छेद ११७ के अन्तर्गत उस के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है।

औचित्य प्रश्न रखने वाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव प्रस्तुत किया था कि संशोधन द्वारा दरों में वृद्धि करने के विषय में ही यह लागू नहीं है किन्तु दरें कम करने के प्रयास की स्थिति में भी लागू होता है।

श्री तेलकीकर से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है। उस में उन्हों ने अनुच्छेद ११७ और अनुच्छेद २७४ का अन्तर प्रकट करने में अपनी युक्तियों का उपयोग किया है। उन का कथन है कि कर की वृद्धि से जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अतः कर वृद्धि के लिये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है और कर की समाप्ति अथवा उस में कमी करने के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। किन्तु श्री तेलकीकर का विचार है कि करों में वृद्धि अथवा कमी दोनों से ही प्रभाव पड़ता है पहली अवस्था में जनता पर और दूसरी में राज्य की सरकार पर इसलिये इन में से किसी एक को भी अपवाद नहीं माना जाना चाहिये।

जब भी कभी कोई करारोपण किया जाता है तो उसे उच्चतम सीमा पर मानना चाहिये। संसद को अधिकार है वह इसे व्यवहृत न होने दे अथवा करारोपण के विषय में अपनी स्वीकृति न दे। शुल्क की अधिक दर में कम दर निहित रहती है इसीलिये अनुच्छेद ११७ का उपबन्ध अनावश्यक है किन्तु अत्यधिक पूर्व सावधानी की दृष्टि से वह समाविष्ट कर दिया गया है।

दूसरा विषय यह उठाया गया था कि कर अथवा कर में हेरफेर केवल विद्यमान कर के परिवर्तन की ओर ही निर्देशित है। यह विषय माननीय वित्त मंत्री ने उठाया था। माननीय विधि मंत्री का मत भिन्न है। उन का विचार है कि पूर्व में लगाये गये कर पर ही नहीं किन्तु जिसे प्रारम्भ करने का प्रयास किया गया है उस की ओर भी यह संकेत करता है।

डा० अम्बेडकर ने भी इसी आशय की पुष्टि की है। डा० अम्बेडकर के मत से मैं इस उक्ति से आश्वस्त हूं कि अनुच्छेद २७४ में कर की परिभाषा विद्यमान कर तक ही सीमित रखी जानी चाहिये। परिवर्तन घटने अथवा बढ़ाने की दोनों दिशाओं में हो सकता है। मेरे विचार से कर का अभिप्राय विद्यमान कर से है और उस आधार पर प्रस्ताव के प्रत्यानयन में स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। अत

माननीय वित्त मंत्री के संशोधनों में संशोधन प्रस्तुत करने के लिये माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थित अनुसूचियों के विषय अनियमित हैं क्योंकि उस में माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त राशि में अधिक शुल्क लगाने का प्रयत्न किया गया है । उन की वर्तमान स्थिति में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है ।

दूसरा विषय खण्ड ३४ से सम्बन्धित है । मेरा विचार है कि इस की स्थिति भिन्न है । वे करारोपण के अन्तर्गत नहीं आते हैं उन का अप्रत्यक्ष प्रभाव कुछ भी हो। अतः किसी भी संशोधन के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं क्रमानुसार संशोधन संख्या २८१ रखता हूं । "rupees seventy-five thousand" ("पचहत्तर हजार रुपये") के स्थान पर 'rupees one lakh' ("एक लाख रुपये") आदिष्ट किये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : उक्त विषय से सम्बन्धित अन्य संशोधन, श्री आर० के० चौधरी का ५८७, श्री एस० सी० सामन्त का ३४७ और श्री वैष्णव का ३८०, अनियमित ठहरा दिये गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड ३४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बन गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहां तक सवाल इस सैक्शन ३४ का है मैं उन मैम्बर साहिबान को जिनकी तहरीक पर दफा ३४ में यह थोड़ी सी तफरीक की गयी है कि ७५ हजार से १ लाख कर दिया गया है उनकी जीत पर मुबारकबाद देता हूं, लेकिन ताहम मैं इसको नहीं छिपा सकता कि मेरी जाती राय में यह जो ७५ हजार से एक लाख तक सीमा बढ़ायी गयी है यह उसूलन दुरुस्त नहीं है । मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो सीमा बढ़ाई गयी है मैं इसके हक में नहीं हूं ।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि इस दफा में यह जो तमीज़ की गयी है और दो तरह की लिमिट बना दी गयी है, एक मिताक्षरा फैमिली के वास्ते पचास हजार तक और दूसरी नान मिताक्षरा फैमिलीज के वास्ते एक लाख तक, मैं इसकी सख्त मुखालिफत करना चाहता हूं । (हिअर हिअर !) और बावजूद इस हियर हियर के मेरे दिमाग और मेरे दिल पर कोई असर नहीं है कि चन्द मैम्बरान को मेरा इस किस्म का अपोजीशन पसन्द नहीं है । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जब यह मैम्बर साहिबान अपने दिल में सोचेंगे और अपने दिमाग में इसको दखल देंगे तो उनको मालूम होगा कि हमने बहुत गलती की कि हमने यह तमीज़ रखी । मैं हाउस की खिदमत में अदब से अर्ज़ करूंगा कि जब हमने कांस्टीट्यूशन की दफा १५ को पास किया था तो हमने यह निश्चित कर दिया था कि जहां तक टैक्सेज़ की लाइबिलिटी का ताल्लुक है सारे हिन्दुस्तान में ईक्वालिटी होगी । हिन्दुस्तान में कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन इंसान इंसान के दरम्यान नहीं होगा । हमने जो सारा कांस्टीट्यूशन बनाया वह इसी बेसिस पर बनाया कि वह हर तरह पर सिटीजन्स के राइट्स को देखे न कि फैमिलीज और कम्युनिटीज के राइट्स को देखे । मैं यह अर्ज करता हूं कि इस बिल में मिताक्षरा और नान मिताक्षरा फैमिलीज़ में जो टैक्स के बेसिस बना कर डिस्क्रिमिनेशन वाजिब रखा है वह मुनासिब नहीं है ।

श्री सोमना : औचित्य के प्रश्न पर, जब हम सारे संशोधनों को पारित कर चुके हैं, तो क्या अब भी उन की कोई आलोचना हो सकती है ?

[श्री सोभना]

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु माननीय सदस्य, पूर्ण खण्ड पर कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अदब से गुज़ारिश करूंगा कि मैं क्लाज पर बहस कर रहा हूं और क्लाज के इस हिस्से की मुखालिफत करता हूं। इसलिये जो मैं अर्ज कर रहा हूं वह कांस्टीट्यूशनली भी दुरुस्त है और इस सिलसिले में मैं कुछ वजूहात देना चाहता हूं। मैंने पहली वजह यह दी कि इस क्लाज के पास करने से हम कांस्टीट्यूशन के बर्खिलाफ जायेंगे और हम अपने कानून के अन्दर डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेंगे।

जनाबवाला को मालूम है, मुझे हाउस में दुहराने की जरूरत नहीं, कि पिछले ८० साल से मिताक्षरा जाइंट फैमिली पर जो इनकम टैक्स आयद किया जा रहा है उसके अन्दर तमीज रवा थी और पिछले २४ या २५ साल से जब से कि मैं इस पार्लियामेंट के अन्दर हूं उस वक्त से मैं बराबर इस बात पर तवज्जह दिलाता रहा हूं कि यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिये। जब बजट के मौके पर फाइनेन्स मिनिस्टर तक़रीर करते रहे कि यह वाजिब नहीं है और कहते रहे कि हम इसको टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद ठीक करेंगे। वह कमेटी भी मुकर्रर हो गयी लेकिन पिछली मर्तबा भी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने इसको कबूल नहीं फरमाया।

जब यह बिल हाउस के सामने आया तो मैंने ऐतराज किया कि कानूनन इसके अन्दर पैरिटी होनी चाहिए। एक तरफ तो इनकम टैक्स इस बेसिस पर लगाते हैं कि हिन्दू जाइंट फैमिली नान पारटीशंड है और वह जाइंट फैमिली है इस वजह से ऐसा टैक्स लगाया जाता है, लेकिन जिस वक्त आप यह एस्टेट ड्यूटी बिल लाते हैं उस वक्त आप भूल जाते हैं कि मिताक्षरा फैमिली पर परसनल ला के मुताबिक यह टैक्स नहीं लग सकता। उस वक्त यह बतलाया गया कि जहां तक टैक्स का सवाल है यह मामला टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी के सामने जायगा। लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि दो असूल किस कायदे से जस्टीफाई किये जाते हैं कि इनकम टैक्स ला के वास्ते तो सारे जाइंट फैमिली को बतौर यूनिट के टैक्स कर दिया जाय और एस्टेट ड्यूटी के वास्ते उसको पारटीशन्ड समझा जाय। उसको नान आफिशियली पारटीशण्ड समझा जाय। जब हमने जाइंट हिन्दू फैमिली के वास्ते यह तरमीम पेश की कि इनकम टैक्स के लिये हिन्दू खानदान मुशतरका को बंटा हुआ समझा जावे तो इस को मंजूर नहीं किया गया . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के अनुसार दो प्रणालियों के बीच जो एक अन्तर है वह ठीक नहीं है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने पर्याप्त समय दिया था। खण्ड ३४ का यह मुख्य संशोधन था। बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं और माननीय वित्त मंत्री इससे सहमत हो गये हैं तथा सदन इसे स्वीकार कर चुका है। अब तो यह बेकार का शोर है।

श्री एन० वी० गाडगील : बहुत पहिले ही खण्ड विरोध के लिए रखा गया था। संशोधनों पर चर्चा हुई और उन्हें निबटाया गया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं तो केवल खण्ड का विरोध कर रहा हूं।

जनाबवाला, मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि मैं गाडगिल साहब की बहुत इज्ज़त करता हूं और अगर उनकी तरफ़ से हुज्जत भी आये तो उसकी भी इज्ज़त करता हूं। लेकिन मैं

पूछना चाहता हूं कि किस क़ायदे से थर्ड रीडिंग के मौक़े पर बिल का अपोज़ीशन किया जा सकता है जबकि दो रीडिंग में सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इसी तरह से जब क्लाज़ आता है तो उसको अपोज़ किया जा सकता है चाहे हाउस का कुछ भी डिसीज़न हो, इससे कोई पाबन्द नहीं है। जब क्लाज़ आता है तो उसको अपोज़ किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं परेशानी में पड़ गया हूं। समय समय पर अध्यक्ष-पद ग्रहण करने के कारण कदाचित माननीय सदस्य को विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त न हुआ। मैं उन्हें थोड़े समय में अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति देता हूं परन्तु किसी और सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री गाडगील ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम, २६०, का उल्लेख किया है। यह इस कारण बाधा उत्पन्न नहीं करता कि कोई भी माननीय सदस्य यह कह सकता है कि वह संशोधित खण्ड पर बोल रहा है। परन्तु क्योंकि मैंने खण्ड तथा प्रस्तुत संशोधनों पर चर्चा करने की अनुमति दी थी, इस प्रकार सारा मामला फिर आरम्भ हो जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं जनाब वाला का मशकूर हूं.....

श्री राघवाचारी : मैं उस ढंग के विरुद्ध अपना घोर विरोध पंजीयन करना चाहता हूं जिस ढंग से दो सम्प्रदायों के लिए विभिन्न कर सीमाओं के सम्बन्ध में प्रवर समिति की सिफारिश अस्वीकृत की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है परन्तु किया क्या जा सकता है। जब सरकार इस विशेष खण्ड के विरुद्ध है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता।

श्री जी० पी० सिन्हा (पालामऊ व हज़ारी बाग व रांची) : क्योंकि माननीय सदस्य अध्यक्षता कर रहे थे, उन्हें बोलने का अवसर न मिला और इसलिए अब उन्हें खण्ड पर बोलने का अवसर दिया जा रहा है। परन्तु मैं अब यह पूछ रहा हूं कि मुझे इसका विरोध करने का अधिकार है अथवा नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने बताया और मैं इस आधार पर आगे बढ़ा हूं कि मूल खण्ड तथा संशोधनों पर चर्चा साथ होगी। इसके और भी ढंग थे। परन्तु अब हम अन्तिम स्थिति में हैं। मैंने खण्ड तथा संशोधनों पर चर्चा होने दी है और अब मैं, पूर्ण सम्मान सहित कहता हूं कि मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति देने के लिए असमर्थ हूं। वह अपना अधिकार खो चुके हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि आपका निश्चय यह है कि मुझे आगे बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदन की यह इच्छा है कि संशोधनों तथा खण्ड पर अलग अलग विचार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो खण्ड तथा संशोधनों पर साथ ही साथ चर्चा होनी दी है।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ तथा खण्ड ३४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

नया खण्ड ३७–क

उपाध्यक्ष महोदय : इस नये खण्ड को सम्मिलित करने का, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर विरोध किया गया है कि उप-खण्ड (२) तथा (४) का सम्बन्ध संयुक्त परिवारों से है और ये दोनों उप-खण्ड विधेयक के मूल उद्देश्य तथा क्षेत्र के विरुद्ध हैं। इसके अतिरिक्त ये पारित खण्ड ५ तथा ७ के भी अनुकूल नहीं हैं। मेरे मतानुसार ये

[उपाध्यक्ष महोदय]

दो संशोधन जीवित व्यक्ति की सम्पत्ति पर शुल्क लगायेंगे । जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इन संशोधनों के अनुसार अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति पर कर लग जाता है । देश की वर्तमान विधि यह है कि एक संयुक्त हिन्दू परिवार में प्रत्येक सदस्य को सम्पत्ति में अपने भाग का अधिकार है । पिता की मृत्यु के पश्चात् केवल उसका भाग पुत्र को मिलता है और जन्म होते ही उसे एक भाग का अधिकार मिल जाता है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : ज्यों ही वह माता के गर्भ में पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माता के गर्भ में होने पर भी वह अधिकारी है । पिता की मृत्यु पर उसे जो सम्पत्ति प्राप्त होती है वह उसका भाग है । इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए संयुक्त हिन्दू परिवार में मृत व्यक्ति का भाग उसका अलग भाग माना जाता है; मानो कि मृत्यु के समय उसने अपना भाग अलग कर लिया हो । उप-खण्ड (४) के अन्तर्गत पुत्र पर, जिसे पिता की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति के भाग में जन्म सिद्ध अधिकार है, कर लगता है । यह सर्वथा इस विधेयक-क्षेत्र से बाहर है यह कोई सम्पदा शुल्क है अथवा भाग-प्राप्ति-शुल्क है या सम्पत्ति-शुल्की यह मूल विधेयक में कदापि न था मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । यह विधेयक क्षेत्र से बाहर है । इसके अतिरिक्त यह उसके अनुकूल नहीं है जो हम खण्ड (५) में पारित कर चुके हैं ।

माननीयि वित्त मन्त्री ने कहा था कि यदि 'होते हुये भी' शब्दों को बढ़ा दिया जाये तो सब ठीक हो जायेगा । 'होते हुये भी' के होते हुए भी मैं यह कहूंगा कि यह सम्भव नहीं है क्योंकि यह निश्चय ही विधेयक के विरुद्ध है और जो हम पारित कर चुके हैं उसके अनुकूल नहीं है । इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मुझे अत्यन्त खेद है कि मुझे यह मानना पड़ता है कि दोनों उप-खण्ड, (२) तथा (४) विधेयक-क्षेत्र से बाहर हैं और कोई भी तर्क इसे ठीक नहीं कर सकते ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : खण्ड ३७ क के उप-खण्ड (५) का क्या हुआ । उसका भी विरोध हुआ है । यह एक सिद्धान्त का प्रश्न होगा ।

श्री राघवाचारी : मुझे एक और आपत्ति है कि उप-खण्ड (२) तथा (५) के अन्तर्गत कर में वृद्धि होगी । राष्ट्रपति की विशेष आज्ञा के बिना यह वर्जित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर मैं खण्ड ३४ के संशोधनों का निर्देश करते समय विचार कर चुका हूं जिसके परिणामस्वरूप कर में वृद्धि या कमी होती है । उप-खण्ड (५) पर भी की गई अन्य आपत्तियों के सम्बन्ध में यह आवश्यक नहीं है कि उस पर मत प्रकट किया जाये ।

श्री सी० डी० देशमुख : के कथनानुसार राष्ट्रपति ने 'आकस्मिक' शब्द की सिफ़ारिश की है । अतः पंडित ठाकुरदास भार्गव की आपत्ति आधारहीन हो जाती है । उप-खण्ड (३) तथा (४) को विधेयक के अंग नहीं मानना चाहिए ।

श्री ए० एम० टामस : उप-खण्ड (५) आपत्तिजनक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका क्या अर्थ है ? मुझे माननीय वित्त मन्त्री से पूछने दीजिये कि यह किस पर लागू होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं बता चुका हूं कि यह सब रचनात्मक विभाजन के उद्देश्य के लिए है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस से शुल्क में वृद्धि होगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं । इसका उद्देश्य केवल भाग का मूल्यांकन करने के लिये

पूर्ण सम्पत्ति का मूल्यांकन करना तथा पांचवा भाग ले लेना है । वृद्धि और कमी का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मृत व्यक्ति के भाग का मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए । पूर्ण संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के मूल्यांकन का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के तर्क सुन चुका हूं । मेरे विचार में उप-खण्ड (१), (३) तथा (५) का कोई प्रश्न नहीं है । उप-खण्ड (५) का सम्बन्ध संयुक्त हिन्दू परिवार से है । अतः पूर्ण सम्पत्ति का मूल्यांकन करके सदस्य के भाग के मूल्य के लिये उसे विभाजित कर दो । यह मूल्यांकन करने का एक ढंग है । इसके लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राघवाचारी : कल मैंने भी खण्ड ३७ क के उपखण्ड (५) पर आपत्ति की थी और यह बतलाया था कि उक्त उपखण्ड हमारे द्वारा पहले के निश्चित हुये कई सिद्धान्तों से असंगत है, और इस सिलसिले में मैंने खण्ड ३५ की ओर निर्देश किया था । यदि आप खण्ड ३५ (१) देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें यह बताया गया है कि किसी भी सम्पत्ति का मूल मूल्य उतना ही समझा जाएगा जितना कि, नियन्त्रक की राय में, उस मृत व्यक्ति की मृत्यु पर खुले बाज़ार में उस सम्पत्ति के लिये मिल सकेगा । इसके साथ यह भी बताया गया है कि उस व्यक्ति की मृत्यु पर उस सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित करने के लिये नियन्त्रक बाज़ार के मूल्य के अनुसार ही मूल्यांकन करेगा, और उसमें कोई भी कटौती नहीं करेगा । श्रीमान्, ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि उस सम्पत्ति का पूरा पूरा मूल्य नहीं मिल पाये या सारी सम्पत्ति के लिये कोई खरीदार न मिले । हमें इसके लिये बाज़ारी मूल्य निश्चित करना पड़ता है, धारणा से काम नहीं चलता । ऐसी स्थिति में एक नीलाम करने वाला और एक खरीदार होने चाहियें । इसलिये इस प्रकार की प्रक्रिया से मूल्यांकन क्षेत्र में कई धारणात्मक और कल्पनात्मक बातें पैदा हो जाती हैं जो खण्ड ३५ में किये गये निश्चय के साथ मेल नहीं खातीं । होता यह है कि आप एक प्रकार का निश्चय करते हैं कि सारी सम्पत्ति को सम्पत्ति के रूप में बिकाऊ रखना चाहिये, और बाद में इसी मूल्य के एक भाग को उस बेची जाने वाली सम्पत्ति का मूल्य मानते हैं । इसीलिये मैं यह प्रतिवाद करता हूं कि खण्ड ३५, जिसको हम पहले पारित कर चुके हैं, और खण्ड ३७ (५) में अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्तों में एक प्रकार की असंगति है ।

श्री सी० डी० देशमुख : यद्यपि "सम्पत्ति का मूल्य" शब्दों का उल्लेख किया जा चुका है, फिर भी यह मूल्यांकन का कोई ढंग नहीं है । इसे अंश निर्धारित करने का ढंग कहा जा सकता है, और मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि माननीय सदस्यों ने मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन को पढ़ा है, या नहीं क्योंकि यहां जो भी तर्क दिये गये हैं, उन में उसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है । उक्त संशोधन में मैं ने कहा था :

"संशोधन के उपखंड (५) को इसीलिये प्रस्थापित किया गया है, क्योंकि मृत सदस्य को देय अंश का निर्धारण करने के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि कुल समांशी सम्पत्ति का मूल्य निश्चित किया जाय अन्यथा, मृत व्यक्ति के अंश का निश्चय करना असम्भव होगा ।"

तो इस बात पर किसी भी सदस्य को आपत्ति नहीं हो सकती । इसके पश्चात् मैंने कहा था :

"पुनः, समग्र सम्पत्ति के कुल मूल्य को निर्धारित करने के लिये उपहारों, निपटारों,

[श्री सी० डी० देशमुख]

न्यास-उद्घोषणाओं आदि से सम्बन्धित भाग २ के उपबन्ध लागू होने चाहियें, ताकि परिनियत अवधि में हिन्दू समांशी की ओर से अन्य व्यक्तियों अथवा कर्त्ता द्वारा किये गये कोई भी स्थानान्तरण संयुक्त परिवार को सम्पत्ति का कुल मूल्य निर्धारित किरने में आसानी हो—और इसलिये नहीं कि उससे लेन-देन में कोई गड़बड़ हो।"

अतएव इसमें मूल्यांकन का कोई भी प्रश्न नहीं, और खंड ३५ (१) के साथ इसकी कोई भी असंगति नहीं। कुल सम्पत्ति और मृत व्यक्ति के अंश को निर्धारित करने के बाद ही मूल्य-निर्धारण का प्रश्न उठाया जाएगा, और यह तब ही हो सकेगा जब खण्ड ३५ कार्यान्वित हो जाय।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं खण्ड ३७ क के सम्बन्ध में थोड़े से शब्द कहना चाहता हूं। चुनांचि माननीय उपाध्यक्ष भी बतला चुके हैं कि यदि एक लाख रुपये का जहाज़ सम्पत्ति में मिला हो, और इसे पांच भागों में विभक्त किया जाय, तो यह आवश्यक नहीं कि इसके हर एक भाग के लिये २० हज़ार रुपये मिलें। अतः मूल्यांकन के लिये समग्र सम्पत्ति को एक माना जाएगा और उसके बाद उसका विभाजन होगा। इससे यह अभिप्रेत है कि कई मामलों में उस सम्पत्ति का मूल्य बहुत ही अधिक होगा, और यदि उसी सम्पत्ति को खण्डशः बेचा जाय तो उसका इतना दाम नहीं मिल सकेगा। जिस सिद्धान्त को हम स्वीकार कर चुके हैं उसके अनुसार मृत्यु पर मिलने वाली सम्पत्ति कुल सम्पत्ति का एक विशेष अंश है। इस हिसाब से, मूल्यांकन के लिये कैसे इसे समग्र सम्पत्ति माना जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मूल्य बहुत अधिक होगा—और इसीलिये मेरी यह प्रार्थना है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से सम्पत्ति का मूल्य बढ़ेगा और अधिक कर लिया जाएगा—और जहां तक इस सिद्धान्त का प्रश्न है, इसके लिये यह बहुत बुरी बात होगी। खंड ५ और ७ में हम यह सिद्धान्त मान चुके हैं कि अमुक अंश के हिसाब से सम्पत्ति मिलेगी और खण्ड ३७ क के अनुसार मृत व्यक्ति को भी अपना अंश मिलेगा—और उसे उतना अंश दिया जाएगा। जहां तक अंश के दिये जाने का प्रश्न है, किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। सारा विवाद मूल्यांकन के सम्बन्ध में है। मेरा सविनय तकाज़ा यह है कि किसी भी खंडित सम्पत्ति के पांचवें भाग से आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना उस की अखंडित अवस्था में कुल के पांचवां भाग का मूल्य होगा। इन दोनों में बड़ा अन्तर है। जिस आधार पर आपने यह विनिर्णय देने की कृपा की है, उसके अनुसार खण्ड ३७ ए का उपखण्ड (५) इन दोनों सिद्धान्तों के लिये घातक सिद्ध होता है।

पंडित के० सी० शर्मा : खण्ड ३७ ए का उपखण्ड (५) बेकार है, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री मृत व्यक्ति का अंश चाहते हैं। क, ख, ग, घ और ङ व्यक्तियों में से प्रत्येक को ४,००० रुपये मिले हैं। मंत्री जी कहते हैं कि इनमें से प्रत्येक के अंश को पांच से गुणा करो, ताकि कुल सम्पत्ति का मूल्य २० हज़ार बने और अब इस २० हज़ार रुपये की राशि को पांच में भाग दो, और यह कहो कि सम्पदा शुल्क का अनुमान लगाने के लिये 'क' का भाग ४,००० रुपये होगा। अब बताइये कि इसमें तर्क की क्या बात हुई? क्या इसे भद्दी दलील नहीं कहा जाएगा?

श्री रघुरामय्या उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य की बात को फिर से सुनना आवश्यक है?

श्री रघुरामय्या : जी हां । बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । माननीय वित्त मंत्री की धारणा है कि समांशियों में सम्पत्ति बट जाने पर उन के अंश भी बराबर होंगे । किन्तु ऐसा नहीं होगा । मान लीजिये कि कोई समांशी सदस्य परिवार का ऋणी है और मर जाता है, तो स्वाभाविक है कि उसका जो भाग होगा, उसमें से वह ऋण राशि घटाई जाएगी और भी कई बातें हो सकती हैं जिनके कारण इस अमुक व्यक्ति को वास्तव में बराबर का भाग नहीं मिल सकेगा।

हां, सारे विधेयक में नये खण्ड ३७-क का उपखण्ड ५ आपाधापी पैदा करता है । इसकी शब्दावली में इतनी क्लिष्टता और अन्तः विरोधाभास है कि मनुष्य इसे समझ नहीं पाता । मेरा विचार है, कि सरकार का वास्तविक अभिप्राय जानने के लिये हमें इस विधेयक की कई शब्दावली बनानी पड़ेगी । यों तो मेरी यह मुख्य आपत्ति है कि उपखण्ड (१) में बताए गये संगत उपबन्ध के होते हुये नये खण्ड का होना अनावश्यक है । चुनांचि उपखण्ड (१) की शब्दावली साधारण और बुद्धिगम्य है । मैं माननीय वित्त मंत्री से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह या तो उप-खण्ड (५) की शब्दावली में सुधार करके अभिप्राय का स्पष्टीकरण करें, या इसका क़तई लोप करें क्योंकि उपखण्ड (१) के होते हुये उपखण्ड (५) की कोई भी आवश्यकता नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसका लोप करने से कोई भी हानि नहीं होगी ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं माननीय वित्त मंत्री के इस दृष्टिकोण से सहमत हूं कि यह विशेष उपखण्ड क़तई तौर पर आवश्यक है । उक्त उपखण्ड के बिना, समांशी के मृत सदस्य या भाई के अपरिभाषित अंश को निर्धारित करना कठिन होगा ।

मैं नये खण्ड ३७-ए के उपखण्ड (१) की ओर निर्देश करते हुए यह बताना चाहता हूं कि इसमें एक प्रकार के धारणात्मक विभाजन की बात बताई गई है । सभी जानते हैं कि संयुक्त परिवार में किसी भी समांशी सदस्य का अंश अपरिभाषित होता है और उसका मूल्य घटता-बढ़ता रहता है । अतः मृत्यु के समय इस बात की धारणा रखी जाएगी कि विभाजन पहले ही हुआ था; किन्तु वास्तव में कोई भी विभाजन नहीं किया जाता । उदाहरणार्थ, मान लीजिये कि कुल पांच भाई हैं जिनके पास पांच मकान हैं तो प्रत्येक के पास इन पांच मकानों का अपरिभाषित रूप से, पांचवां भाग होगा । यदि इन पांच में से कोई भाई मर जाय और हमें समांशी सदस्य के भाग या अंश का मूल मूल्य निर्धारित करना पड़े तो किसी भी परिनियत प्रक्रिया से जब तक इन पाचों मकानों के कुल मूल्य का अन्दाज़ा नहीं लगाया जाय तब तक कैसे इसके अपरिभाषित पांचवें भाग का मूल्य मालूम किया जा सकेगा । हां मेरा यह विश्वास है कि खण्ड ५१ के अन्तर्गत अन्य समांशी सदस्य लेखार्थ वचनीय होंगे, क्योंकि उन में से हर एक के पास मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का थोड़ा-थोड़ा भाग होगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : और उनके वैध प्रतिनिधि भी इसके लिये उत्तरदायी हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : तो, जब तक इन पांचों मकानों का मूल मूल्य मालूम नहीं किया जाता तब तक मृत व्यक्ति के अपरिभाषित भाग का अन्दाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता । चुनाचि प्रस्तुत उपखण्ड (५) के बिना इसका मूल्य निर्धारित करना असम्भव होगा--इसलिये इसे अवैध नहीं कहा जा सकता । यह उपखण्ड क्षेत्राधिकार से बाहर भी नहीं है, क्योंकि इससे प्रक्रिया या संविधान के किसी भी सिद्धान्त का खण्डन नहीं होता । हो सकता है कि इस उपखण्ड से संयुक्त परिवार

[श्री एस० एस० मोरे]

के सदस्यों को कुछ कठिनाई हो—और यह कठिनाई टाली भी नहीं जा सकती—किन्तु इसके बिना काम भी नहीं चल सकता ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इससे सम्पत्ति का मूल्य बढ़ जाएगा ।

श्री एस० एस० मोरे : इससे मूल्य बढ़ ही नहीं सकता बल्कि घट भी सकता है । मान लीजिए कि बहुत ही भमि या बहुत से मकान एक साथ बाज़ार में बिकाऊ रखे जायं जिससे बाज़ार में पूर्ति बढ़े, तो क्या मूल्य नहीं गिरेगा । यह सब बातें मांग और पूर्ति से सम्बद्ध हैं; अतः इस बात को सिद्धान्ततः नहीं माना जा सकता कि मूल्य बढ़ जायेंगे । हो सकता है कि मूल्य कम भी हो जायं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या हम औचित्य प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं या खण्ड की अच्छाई बुराई पर विचार कर रहे हैं ? हमने संशोधन की अच्छाइयों के सम्बन्ध में विचार नहीं किया, बल्कि औचित्य-प्रश्न पर विचार प्रगट किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्त तक उपस्थित नहीं था, अतः मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है । यह औचित्य प्रश्न कल उठाया गया था, और मैं उस समय उपस्थित नहीं था ।

श्री सी० डी० देशमुख : हम उस औचित्य प्रश्न को कि यह किसी बात से असंगत था, पहले ही पारित कर चुके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राघवाचारी का कहना है कि कल उन्होंने यह औचित्य प्रश्न उठाया था कि नये खण्ड ३७-ए का उपखण्ड (५) खण्ड ३५ से, जो हम पहले पारित कर चुके हैं, असंगत था ।

श्री सी० डी० देशमुख : ठीक है । मैं उनका प्रतिपादन जानता हूं । किन्तु यह जानने के लिये कि कौनसी बात किस बात से असंगत या संगत है, उसका अर्थ जानना ज़रूरी है । अतः यह कहना बेकार है कि हम इस मामले की अच्छाई बुराई पर विचार कर रहे हैं । मैं इसी बात को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इस स्थल पर यह खण्ड क्यों रखा गया है । मैंने एक बार समझाने का प्रयत्न किया था, और जैसा मैंने कहा भी, इस अवस्था में सम्पत्ति के मूल्यांकन के साथ मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है । हम यही कहते हैं कि हमें रचनात्मक विभाजन की धारणा बनानी पड़ती है । प्रश्न यह है कि किस चीज़ का विभाजन होगा ? किसी सम्पत्ति का विभाजन होगा । संयुक्त परिवार में न्यास, निपटारे, उपहार, आदि-आदि हो सकते हैं । उन को कैसे निपटाया जाय ? हम इतना ही कहते हैं कि हमें यह मान कर ही इस झगड़े को निपटाना पड़ेगा.....कि वह सारी सम्पत्ति मृत व्यक्ति की ही थी ।

पंडित के० सी० शर्मा : सारी सम्पत्ति समग्र परिवार की सम्पत्ति मानी जाय ।

श्री सी० डी० देशमुख···ताकि दायभाग आदि प्रणाली के लोगों द्वारा भी यह ध्यान में रखा जाय कि सारी सम्पत्ति पर शुल्क दिया जायगा । अतएव, हम सबसे पहले सम्बद्ध पार्टी को वह सारी सम्पत्ति दिलाते हैं जो उस के स्वामित्व में होनी चाहिये थी । बस इतना ही । अब तो इसे मूल्यांकन का प्रश्न नहीं माना जा सकता । हो सकता है कि उपहार, निपटारे या और किसी चीज़ के रूप में हों । इस प्रक्रिया से सम्पत्ति का मूल मूल्य जाना जाता है । इसके बाद आप को यह रचनात्मक विभाजन करना होगा, और अंश या भाग को निर्धारित करना होगा । इसीलिये, खण्ड ३५ में दिये गये मूल्यांकन के ढंग में कोई भी असंगति नहीं है ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : बस, इतना ही कहा जा सकता है कि माननीय मंत्री के

मस्तिष्क में जो भी बात है, वह स्पष्ट शब्दों में यहां व्यक्त नहीं की गई है ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो एक अलग बात है । हम प्रयत्न करके इसका सुधार करेंगे । अब तक प्रत्येक सदस्य ने ध्वंसात्मक आलोचना की है । किसी ने भी किसी संशोधन का सुझाव नहीं दिया है । यदि कोई सदस्य इस खण्ड को समझ कर मुझे यह कहना चाहता हो कि इसको इस प्रकार बदला जाय तो मैं उसके संशोधन पर विचार करने के लिये तैयार हूं । अब मैं उदाहरण देकर इसको स्पष्ट करूंगा । हिन्दू अविभाजित परिवार का 'क' नाम का व्यक्ति--शोक है:--१-१-१९५४ को मर जाता है, और उस सम्पत्ति के कुल चार समांशी हैं । १-१-१९५४ को इस सम्पत्ति का कुल जोड़ ५ लाख रुपये होता है । कर्त्ता के प्रतिनिधित्व के अनुसार इस परिवार ने १-१-१९५३ को एक लाख रुपये दान में दिये थे । १२-९-१९५३ को ५० हज़ार रुपये दे लोक धर्मार्थ प्रन्यास हुये हैं । उपखण्ड (५) के बिना यह प्रश्न हो सकेगा कि जिस सम्पत्ति को आप विभाजित करना चाहते हैं उसका मूल मूल्य क्या है ? हमारे अनुसार कुल जोड़ ६५०,००० रुपये होगा--ये सभी एक वर्ष में हुये हैं--और इनका जोड़ इस प्रकार होगा : ५ लाख, और १ लाख और ५० हज़ार रुपये--और इस राशि को चार में भाग दिया जाएगा--जिससे एक समांशी सदस्य को १२५,००० रुपये का अंश मिलेगा । बस, इस उपखण्ड से यही अभिप्रेत है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस खंड के बिना भी यह किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस आपत्ति का सम्बन्ध है कि यह खंड ३५ के अन्तर्गत आता है, मैं समझता हूं कि खंड ३५ नये उपखंड (५) से असंगत नहीं है । खंड ३७ क के उपखंड (५) में यह उपबंध नहीं किया गया कि सारी सम्पत्ति को बाज़ार में विक्रय के लिया रखा जायेगा । विभाजन केवल काल्पनिक होगा । यह सब कुछ केवल इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के हेतु मूल्यांकन के प्रयोजन के लिये और फिर १/५ या १/४ भाग आवंटित करने के लिये किया जा रहा है । इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राघवाचारी : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री टेकचन्द : मैं भी विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों को लेता हूं । माननीय सदस्य यह याद रखें कि खंड और संशोधनों पर एक साथ चर्चा की जायेगी । खंड पर अलग चर्चा नहीं होगी ।

श्री सी० डी० देशमुख : केवल एक संशोधन है ।

श्री राघवाचारी : श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में मृतक के अंश का मुख्य मूल्य जानने के लिए कोई नियम बनाना आवश्यक है । आप अपना जो प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, विधेयक की भाषा उस के अनुकूल नहीं है । आपका सम्बन्ध तो संयुक्त परिवार में मृतक के अंश के मुख्य मूल्य का अनुमान लगाना है । उसके लिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप सम्पूर्ण परिवार की सम्पत्ति का बाजार में विक्रय मूल्य निश्चित करवा कर मृतक के अंश की सम्पत्ति के मूल्य को उसमें से निकाल रहे हैं ।

"यह मानने की कि मृत्यु के समय सारी सम्पत्ति मृतक की थी", बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है । केवल इतना ही पर्याप्त है कि सम्पत्ति में मृतक के अंश का मूल्य निश्चित करने के लिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य को पंक्ति १ में 'मुख्य मूल्य' शब्द पर आपत्ति है; हम कह सकते हैं "कि उसके अंश के

[श्री सी० डी० देशमुख]

मुख्य मूल्य को जानने के लिए इसे बांट दिया गया है.....

उपाध्यक्ष महोदय : उस पंक्ति को पहले रखा जा सकता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : खंड (१) में मृतक के अंश के मुख्य मूल्य को इस प्रकार निश्चित किया गया है, जैसे विभाजन पहले हो चुका हो । अंश को निश्चित करने के लिये सारी सम्पत्ति का मुख्य मूल्य पता लगाना आवश्यक है । अतः हम कहते हैं कि, 'अंश का मुख्य मूल्य पता लगाने के लिए उस अंश के मुख्य मूल्य का अनुमान लगाने के हेतु जो कि मृतक को बांट दिया गया होता' ।

उपाध्यक्ष महोदय : तीसरी पंक्ति को पहले रख कर शेष को बाद में रखा जा सकता है ।

श्री टेकचन्द : मैं उदाहरण देकर दो भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियों की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह याद रखना चाहिए कि एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य केवल वे नहीं होते जो कि उस समय जीवित होते हैं, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ वह भी सदस्य होता है । यदि किसी मास की पहली तारीख को एक भाई मर जाता है, तो हो सकता है कि उसकी मां गर्भवती हो । अतः इस खंड से जिस में कहा गया है कि "उसकी मृत्यु के तुरन्त पूर्व विभाजन हुआ है, काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस का अंश तब निश्चित किया जायेगा जबकि वह बच्चा जो गर्भ में है, पैदा हो जायेगा । यदि बच्चा जीवित पैदा हुआ, तो अंश भी उस हिसाब से कम हो जायगा ।"

अब एक और अधिक पेचीदा उदाहरण पर विचार कीजिये । एक परिवार के पांच सदस्य हैं । एक पिता, उस की दो पत्नियां और दो लड़के । एक लड़के की पहली जनवरी को मृत्यु हो जाती है । पहली जनवरी को, उस की दो मायें—सगी मां और सौतेली मां गर्भवती हैं । खण्ड ३७ क (५) के अन्तर्गत विभाजन उस की मृत्यु के तुरन्त पूर्व होता है । अतः पहली जनवरी को परिवार के केवल ५ सदस्य जीवित थे । किन्तु यह भगवान ही जानता है कि उस तारीख को ७ सदस्य अधिकारी हैं । यदि उन स्त्रियों के जोड़े पैदा हुए तो पांच के स्थान पर नौ भी हो सकते हैं । अतः उपखंड ५ में उल्लिखित सूत्र आप कैसे लागू करेंगे ।

दूसरा उदाहरण जो मैं देना चाहता हूं, ऐसे परिवार का है, जिस के सब सदस्य पैदा हो चुके हैं । कोई बच्चा गर्भ में नहीं । एक सदस्य मर जाता है । मान लीजिये वह सदस्य ऋणी था या एक दांडिक अपराध के लिये उस पर जुर्माना हुआ था या उस ने संयुक्त परिवार कोष से ऋण ले रखा था । इन परिस्थितियों में, हिसाब लगाते समय आप यह कैसे समझ सकते हैं कि संयुक्त परिवार की सारी सम्पत्ति मृतक की थी ? यह बात बहुत भ्रमात्मक है । अतः मेरे विचार में उपखंड (५) को निकाल देना उचित होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहां तक इस खंड का सम्बन्ध है, उपधारा (१) बहुत आपत्तिजनक है । इस में मिताक्षरा परिवार और दायभाग परिवार की ओर जो निर्देश किया गया है, उसे बहुत बुरा और असहाय समझता हूं । मैं नहीं समझ सकता कि एक अलौकिक राज्य में मिताक्षरा या गैर-मिताक्षरा का भेद क्यों किया जाये । यह संविधान के शक्ति-परस्तात् है । माननीय मित्र जो आरोप मुझ पर लगाते हैं, वह निराधार है । मैं प्रवर समिति का सदस्य नहीं था ।

खैर जहां तक मिताक्षरा और दाय भाग का सम्बन्ध है, यह अलग अलग कानून हैं। करारोपण की इकाई व्यक्ति विशेष को न मान कर परिवार को मानना गलत है। यदि किसी के पास कुछ सम्पत्ति है तो उस की मृत्यु के समय उस सम्पत्ति के बारे में, बिना मिताक्षरा या दायभाग परिवार को ध्यान में रखते हुए, फ़ैसला किया जा सकता है। यदि हम परिवार को करारोपण की इकाई मानेंगे तो इस से बहुत सी कठिनाइयां खड़ी हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा माननीय वित्त मंत्री ने कहा, एक बार जब यह मान लिया जाता है कि संयुक्त हिन्दू परिवार के मृत सदस्य के अविभक्त भाग पर कर लगना चाहिये तो फिर इसका हिसाब किस तरह लगाया जाये। यदि आप उप खंड (२) व (४) को हटाना चाहते ह तो कुछ ठोस सुझाव दिये जाने चाहियें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस प्रश्न पर आ रहा हूं। सदन ने अब तक यह माना है कि मृत व्यक्ति मरते समय संयुक्त परिवार से अलग नहीं हुआ और उस की मृत्यु के बाद सम्पत्ति का हस्तान्तरण इस प्रकार होता है मानों वह तब अलग हुआ है। मिताक्षरा परिवार में विभाजन के मामले में क्या होता है? केवल समांशी ही सम्पत्ति के हिस्सेदार नहीं होते, बल्कि अन्य कई बातों का भी उस सम्पत्ति में से निपटारा करना होता है। विधवा के लिये व्यवस्था करनी होती है और अन्य बातें होती हैं। वे सब लोग जो विभाजन के समय हिस्से के हक़दार हैं उन्हें सब को मिताक्षरा कानून के अनुसार अपना अपना हिस्सा मिलेगा। यदि ऐसा है तो फिर इस सम्पत्ति को एक ही व्यक्ति की सम्पत्ति किस प्रकार समझा जायेगा। यदि वह एक ही व्यक्ति की सम्पत्ति है तो इस के लिये उत्तराधिकार क़ानून है; उस के पुत्रों को हिस्सा मिलेगा, उस की विधवा को मिलेगा इत्यादि, इत्यादि। परन्तु यदि सारी सम्पत्ति एक संयुक्त हिन्दू परिवार की होगी तो अन्य कई बातों का भी निपटारा करना होगा। इसलिये यहां जो यह शब्द रखे गये हैं कि इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस समय लागू होते जब कि संयुक्त परिवार की सारी सम्पत्ति मृत व्यक्ति की होती, इन से बड़ी गड़बड़ हो जायगी और इस में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों के बीच ठीक प्रकार से बटवारा नहीं हो सकेगा। मेरा निवेदन है कि मिताक्षरा आदि को निर्दिष्ट कर के हम बहुत सी गड़बड़ पैदा कर रहे हैं और इस से कड़ी जटिलतायें हमारे सामने खड़ी हो जायेंगी। जैसा मैं आप से कह चुका हूं, संयुक्त हिन्दू परिवार को करारोपण की इकाई बनाना उचित नहीं, न ही इस ख्याल से इस का विकास किया गया है। इस का तो एक सामाजिक महत्व है। अतः हर मृत्यु के समय अन्य बातों के निपटारे के बारे में कठिनाइयां खड़ी होंगी। एक साधारण परिवार में, यदि किसी समांशी ने रुपये पैसे का अधिक फ़ायदा उठाया है तो विभाजन के समय सब बातों का निपटारा हो जाता है और जिन लोगों ने परिवार के रुपये का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया है उन की कमी किसी न किसी प्रकार पूरी कर दी जाती है। मैं नहीं जानता कि इस उपबन्ध के अन्तर्गत यह सब प्रश्न किस तरह तय किये जायेंगे। इसीलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यदि यह कहा जायेगा कि सम्पत्ति मृत व्यक्ति की समझी जायगी तो यह चीज़ बिल्कुल ग़लत होगी।

इस विधेयक के कुछ उपबन्ध जो हम ने पारित किये हैं उन के अनुसार कुछेक भेंटों को, जो विशिष्ट समय-अवधि पहले नहीं दी गई हों, मान्यता नहीं दी जायेगी। यदि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वे इस शर्त के अनुसार नहीं हैं तो यह समझा जायेगा उन्हें नहीं दिया गया है। तो भेंटों के मामले में कोई कठिनाई नहीं है। चूंकि हम ने यह व्यवस्था की है कि कुछ उपबन्धों को पूरा किया जाना आवश्यक है, इसीलिये यहां हम यदि इस प्रकार की धारा न भी रखें तो कोई कठिनाई नहीं होगी। परन्तु यदि मूल्यांकन के सम्बन्ध में यह धारा रखी जाती है तो इसे परिवार के विरुद्ध इस्तेमाल किया जायेगा। चूंकि माननीय वित्त मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, इसलिये मैं समझता हूं कि वह इन शब्दों को इस तरह रखने की व्यवस्था होगी जिससे उनकी किसी न्यायालय में प्रतिकूल व्याख्या न की जा सके। मेरा कहना तो यह है कि इन शब्दों को यदि हटा ही दिया जाये तो क्या हर्ज है। हम ने इस प्रसंग में कुछ उपबन्ध पारित कर ही दिये हैं, फिर उन्हें दोहराने से क्या लाभ ? इसलिये मैं यह कहूंगा कि यदि उपखंड (५) को रहने दिया जाता है तो इस से बहुत बुरे नतीजे निकल सकते हैं और बहुत सारी जटिलतायें खड़ी हो सकती हैं। यदि माननीय वित्त मंत्री इसे रखना ही चाहते हैं तो वह कुछ इस तरह रख सकते हैं, "हिस्सा तय करने के लिये सम्पत्ति को संयुक्त परिवार सम्पत्ति की तरह समझा जायेगा।" यहां तक तो ठीक है, परन्तु यदि आप यह कहेंगे कि सम्पत्ति मृत व्यक्ति की समझी जायेगी तो इस से बहुत गड़बड़ पैदा हो जायेगी।

पंडित के० सी० शर्मा : मेरा निवेदन है कि जहां तक आप का सम्बन्ध है माननीय वित्त मंत्री की जो इच्छा है वह इस नये खंड ३७–क के पहले उपखंड से पूरी हो जाती है। निस्सन्देह, मृत व्यक्ति के हिस्से पर कर लगेगा परन्तु प्रश्न यह है कि उस का हिस्सा किस प्रकार जाना जाये ? साधारण हिन्दू विधि के अन्तर्गत ––मैं मिताक्षरा कानून को निर्दिष्ट कर रहा हूं–– हमें सम्पत्ति के बारे में जानकारी होती है, हमें समांशियों की संख्या पता होती है। हमें यह पता होता है कि विधवा के लिये या अविवाहित पुत्री के लिये व्यवस्था करनी होगी। जब हमें यह सब मालूम होता है तो फिर मृत व्यक्ति के हिस्से के पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। इसलिये मैं समझता हूं कि यह उपखंड (५) बिल्कुल अनावश्यक है, इस से बेकार की कठिनाइयां और खड़ी हो जायेंगी। करारोपण के मतलब के लिय और विभाजन मिताक्षरा क़ानून के उपबन्धों के अनुसार हो सकता है। इस उपखंड (५) का रखा जाना बिल्कुल अनावश्यक है।

श्री सी० डी० देशमुख : यद्यपि मैं इस संशोधन के मुख्य उद्देश्य को समझा चुका हूं परन्तु माननीय सदस्यों ने अभी इसे नहीं समझा है। यदि मैं इस संशोधन को न लाता तो इस मामले का फ़ैसला कार्यपालिका के अनुदेशों और नियमों द्वारा ही होता।

पंडित के० सी० शर्मा : मिताक्षरा क़ानून से क्यों नहीं।

श्री सी० डी० देशमुख : मिताक्षरा क़ानून के अनुसार चलने के लिये भी कुछ मार्ग-दर्शन की आवश्यकता अवश्य होती क्योंकि ऐसे मामलों की संख्या बहुत काफ़ी होगा जहां नियंत्रक को यह बतलाना होगा कि वास्तव में विभाजन किस प्रकार होता है और मृत व्यक्ति का हिस्सा किस प्रकार निश्चित होता है। यहां (१) व (३) में हम ने न्यूनतम व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है और यह मानते हुए किया है कि परिवार में विभाजन हुआ है। यह एक सीधी सी बात है, क्योंकि इस में यह माना गया है कि परिवार में विभाजन हुआ है और एक हिन्दू अविभक्त परिवार के विभाजन में निहित सारी बातें उस के साथ हुई हैं।

अतः इस में कोई ऐसी बात नहीं है जिस से किसी कानून का या किसी प्रथा का होना न माना गया हो। हो सकता है कि पंजाब में विभाजन का तरीक़ा दूसरा हो; परन्तु वह भी इस के अन्तर्गत आ जाता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमें यही समझना चाहिये कि सम्पत्ति का विभाजन हो रहा है। जो कोई भी बातें निपटाने की हों, उन पर विचार किया जाना चाहिये क्योंकि यहां उन के विरुद्ध कुछ नहीं है।

माननीय श्री टेकचन्द ने गर्भ के बच्चों के बारे में जिक्र किया मैं मानता हूं कि इस विषय में कोई अन्दाज़ लगाना बहुत कठिन है। कोई यह नहीं कह सकता कि होने वाला लड़का होगा या लड़की, या संभव है मरा हुआ बच्चा हो, या जुड़वां बच्चे हों। इस के लिये निश्चित रूप से कहना संभव नहीं। सौभाग्य से हिन्दू विधि में इस का उपाय है। यदि विभाजन के समय कोई लड़का गर्भ में होगा तो वह हिस्से का हक़दार उसी तरह होगा जैसे कि विभाजन के समय मौजूद होने पर उसे हिस्सा मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कुछ समय अवश्य लगेगा।

श्री सी० डी० देशमुख : पहले सम्बन्धित व्यक्ति को अपना हिसाब दिखाने के लिये छः महीने दिये जाते हैं और फिर इन सब बातों का फ़ैसला ९ महीने के अन्दर हो जाता है।

समस्त सामान्य मामलों में यह पता लगाया जा सकता है कि सम्पत्ति कितनी है और उस में मृत व्यक्तिका हिस्सा कितना है।

आप के विनिर्देश के बाद मैं खंड (३) व (४) के बारे में सोच रहा था कि इन्हें वापस ले लूं परन्तु फिर मैं ने सोचा कि यह उचित न होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस में परिवर्तन नहीं कर सकते ? कर्ता की मृत्यु तथा दो वर्ष के उपबन्ध के बारे में संशय उत्पन्न हो सकता है। इसे आप अधिक स्पष्ट क्यों नहीं करते ?

श्री सी० डी० देशमुख : किसी संशोधन के आने तक यह मामला खुला हुआ है। मैं इतना कहूंगा : उपखंड (१) व (३) के सम्बंध में उस मुख्य हिस्से के मूल्य का हिसाब लगाने के लिये जो सम्बन्धित व्यक्ति की मृत्यु के शीघ्र पहले हुए विभाजन के समय उसे मिला होता और संयुक्त परिवार के मुख्य मूल्य का अनुमान लगाने में यह प्रक्रिया रखी गई है। मैं समझता हूं अर्थ काफ़ी स्पष्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय : भाषा के सम्बन्ध में जो कठिनाई हो उसे दूर किया जा सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह अध्याय धारोपण के लिये हिस्से के मूल्यांकन के सम्बन्ध में है। यह बेकार है। यदि आप हिस्सा मालूम करना चाहते हैं.....

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा उत्तर यह है कि आप यह नहीं मालूम कर सकते कि हिस्से का मूल्य क्या है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप मूल्य निकालना नहीं चाहते। मूल्य के लिये आप ने दूसरी धारायें बनाई हैं, ताकि हिस्सा निकालने के लिये आप संशोधन रख सकें।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान् इसका सचमुच अर्थ यह हुआ कि बजाय इस शीर्षक के आधीन लाने के यदि यह खण्ड ७ के आधीन लाया गया होता तो अच्छा रहा होता। मैं समझता हूं कि वह अधिक अच्छा रहा होता। पर अब चूंकि हम खण्ड ७ को पारित कर चुके हैं, अतः वह यहां पर रखा गया है, किन्तु की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, मैं नहीं समझता कि किसी ग़लतफ़हमी की संभावना होगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री चाहें तो वे एक दूसरा संशोधन प्रस्तुत

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

करके उस को खण्ड ७ क के रूप में रख सकते हैं। खण्ड ७क के अधिनियमन में कोई रुकावट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा तात्पर्य भाषा से अधिक था।

पंडित के० सी० शर्मा : चूंकि हम सारी चीज़ पर विचार विमर्श कर चुके हैं और वित्त मंत्री इस बात से सहमत हैं कि भाषा में सुधार नहीं किया जा सकता, अतः अब इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। भाषा को इस प्रकार सुधार दिया जाना चाहिये ताकि सभी लोग इसे समझ सकें। यह कार्य कल कुछ संशोधन प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस के लिये सहर्ष स्वीकृति दे दूंगा, पर इस के लिये कोई संशोधन प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। हम संशोधन का काम बार बार वित्त मंत्री पर डालते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मुझ को तो वह बिलकुल साफ़ समझ में आती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने मुल्ला की हिन्दू विधि से अंश पढ़ कर के उसको स्पष्ट कर दिया है। बंटवारे के सामान्य क्रम में हस्तक्षेप करने का उन का कोई अभिप्राय नहीं है। हिन्दू विधि के बंटवारे सम्बन्धी नियमों का पालन होगा। एक मात्र बचाव एक विशेष काल के अन्दर किये गये दान सम्बन्धी उपबन्ध हैं। इसका ध्यान रखना होगा। यही मुख्य उद्देश्य है। मैं नहीं समझता कि इतना सब होने के बाद अब कोई आपत्ति संभव हो सकती है। भाषा का निर्वचन करना न्यायालय का काम है। एक दूसरी या तीसरी अनुसूची से स्थिति नहीं सुधर सकती।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा निवेदन है कि खण्डों को सदन के सामने अलग अलग रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : हां। प्रश्न यह है :

"कि नए खण्ड ३७ क का उपखण्ड (१) विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३७क का उपखण्ड (३) विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं उपखण्ड (५) रखूंगा।

श्री टेक चन्द : अच्छा तो यह हो कि उपखण्ड (५) पर मत लेने का काम कल तक के लिये उठा रखा जाये। तब तक वित्त मंत्री अथवा अन्य सदस्यगण इस सम्बन्ध में कोई उपयुक्त संशोधन सोच लेंगे। उनका अभिप्राय तो स्पष्ट है, पर भाषा का उपयुक्त होना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह आवश्यक नहीं समझता। यदि ऐसी कोई बात होती जिस पर हम और विचार कर सकते तो मैं ने यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया होता, पर मुझे उसको सुधारने का कोई कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता सिवाय पंक्तियों के स्थान को बदल कर।

उपाध्यक्ष महोदय : सिवाय अपील करने के, माननीय सदस्य संशोधन के रूप में कोई ठोस सुझाव नहीं रख सके हैं।

प्रश्न यह है :

" कि नए खण्ड ३७ क का उपखण्ड (५) विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उपखण्ड (२) और (४) के सम्बन्ध में अपना निर्णय दे चुका हूं और माननीय मंत्री स्वयं उनको वापस लेने के लिये तैयार हैं । अतः उनको सदन के सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । वे खण्ड ३७क के अंग नहीं बनेंगे ।

प्रश्न यह है,

" कि खण्ड ३७ क के उपखण्ड (१), (३) और (५), जिनकी संख्या बदल कर (१), (२) और (३) कर दी गई है, विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधित रूप में नया खण्ड ३७क विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ६० (क्रमशः)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन के समक्ष खण्ड ६० और संशोधन संख्या १७५ और १७७ विचारार्थ हैं ।

श्री तुलसीदास : सम्पदा शुल्क के मूल्यांकन सम्बन्धी त्रुटियों के परिशोधन के लिये प्रवर समिति ने यह नया खण्ड जोड़ा है ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह नया नहीं है । खण्ड ६० पहले ही से था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन में यह घोषणा करना चाहूंगा कि १७ सितम्बर १९५३ का सारा दिन वैदेशिक मामलों पर वाद विवाद के लिये अलग कर दिया गया है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की मृत्यु के विषय में मेरा जो प्रस्ताव था क्या उस पर कोई निर्णय लिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे बुलेटिन में दे दूंगा ।

श्री तुलसीदास : खण्ड ६० काफ़ी व्यापक नहीं । उदाहरण के लिये शुल्क के अधिक दिये जाने के मामलों में उसका फिर से वापस मिलना संभव नहीं हो सकता । इस खण्ड को भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ४५ के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिये ताकि उन सभी मामलों में जहां पर प्रत्यर्पण बाकी हो, वह दिया जा सके । मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है, आशा है माननीय वित्त मंत्री उसको स्वीकार करेंगे ।

श्री एम० सी० शाह : जिस सम्पत्ति पर शुल्क देय न हो यदि उससे शुल्क ले लिया गया हो तो वहां पर प्रत्यर्पण नहीं हो सकता । एक अपील हो सकती है और उसकी व्यवस्था की गई है । माननीय सदस्य के संशोधन स्थिति को बहुत विस्तृत कर देते हैं और हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते ।

(**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष पद पर आसीन हुए)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खण्ड ६० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६० विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ६१ (नियंत्रक द्वारा निर्धारण के विरुद्ध अपील)

सभापति महोदय : अपीलीय न्यायाधिकरण या केन्द्रीय राजस्व मण्डल में से कौन सा निर्णयकर्ता प्राधिकार हो, इसकी चर्चा हो चुकी है और इस पर निर्णय भी लिया

[सभापति महोदय]

जा चुका है। उस पर वाद विवाद फिर से नहीं होगा। पर शायद अन्य उपखण्डों को सदस्यगण संशोधित करना चाहें।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फ़र्रुखाबाद-उत्तर) : हम केवल खण्ड ४ पर चर्चा कर चुके हैं, जिस का शीर्षक है "सम्पदा शुल्क के अधिकारी"। यदि अपील इन अधिकारियों के अतिरिक्त किसी और अधिकारी के पास की जाती है, तो वह प्रश्न धारा ४ के अन्तर्गत नहीं आता।

सभापति महोदय : जब वह धारा उठाई गई थी तो यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि उसमें एक ऐसे अपीलीय न्यायाधिकरण का संगठन अन्तर्ग्रस्त था जो स्थापित किया जाना था, और उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को फिर से नहीं उठाना चाहिये।

श्री टेक चन्द : खण्ड ४ पारिभाषिक खण्ड है, पर उसमें उच्चन्यायालय को पारिभाषित करने का प्रश्न नहीं उठा था। अतः यदि इस प्रश्न पर उचित रूप से चर्चा की जाती है तो अपीलीय न्यायालय की वांछनीयता के सम्बन्ध में वादविवाद को रोका नहीं जाना चाहिये।

सभापति महोदय : खेद है उस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं था।

श्री सी० डी० देशमुख : सभापति महोदय मैं आप का ध्यान संशोधन १२ की ओर आकर्षित करूंगा जो श्री जी० डी० सोमानी अथवा श्री तुलसीदास द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यदि आप उस संशोधन को देखें तो आपको उस समय जो चर्चा हुई थी उसके विषय का कुछ अनुमान लग सकता है।

श्री टेक चन्द : संशोधन २९६ और २९७ में जो श्रीमती सुषमा सेन द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, कहा गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण में "उच्चन्यायालय और उच्चतम न्यायालय के" न्यायाधीश होने चाहियें। अतः उस विषय पर वाद विवाद नहीं हुआ था।

सभापति महोदय : इन सारे संशोधनों से प्रतीत होता है कि स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण में ज़िला न्यायाधीश या उच्च-न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहियें, लेकिन इस सिद्धान्त पर, कि अपीलें केन्द्रीय राजस्व मण्डल अथवा एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय को की जानी चाहियें, चर्चा हुई थी। अतः मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को फिर से उठाना उचित नहीं होगा। माननीय सदस्यों को अपना ध्यान विभिन्न उपखण्डों पर केन्द्रित करना चाहिये।

श्री पाटस्कर : उस समय कदाचित मैं अध्यक्ष पद पर आसीन था। जहां तक मुझे याद है वह केवल अपीलीय न्यायाधिकरण सम्बन्धी विचार विमर्श था, लेकिन इस बात की चर्चा कभी नहीं हुई थी कि अपील उच्चन्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के समाने की जानी चाहिये।

श्री एम० सी० शाह : अपील केन्द्रीय राजस्व मण्डल को अथवा बन जाने पर स्वतंत्र न्यायाधिकरण को की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से उपखण्डों पर विचार करने के लिये कहूंगा।

श्री टेक चन्द : यदि अपीलीय न्यायाधिकरण में एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और केन्द्रीय राजस्व मण्डल का एक प्रतिनिधि होना चाहिये, तो वाद विवाद आवश्यक हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण विषय होगा क्योंकि अपीलीय न्यायालय की बनावट पर एक नागरिक की सारी स्वतंत्रता केन्द्रित है।

सभापति महोदय : निस्सन्देह यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर भी यदि हम एक स्वतंत्र न्यायिक न्यायाधिकरण के प्रश्न पर एक निर्णय पर पहुंच चुके हैं, तो फिर उस प्रश्न को फिर से उठाना व्यर्थ है ।

पंडित के० सी० शर्मा : वह प्रश्न बिलकुल नहीं उठा है ।

सभापति महोदय : प्रश्न पर विचार हो चुका है । हो सकता है कि खुले हुए शब्दों में कोई निर्णय न लिया गया हो । फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रश्न का सार यह था कि अपीलीय प्राधिकार में सम्पदा शुल्क अधिकारी होने चाहियें अथवा वह कोई स्वतंत्र निकाय होना चाहिये । उस पर वाद विवाद हुआ था । फिर से उसी विषय की चर्चा करना समय नष्ट करना है और समय हमारे पास कम है ।

श्री गाडगील : इस प्रश्न के सारे पहलुओं की चर्चा की गई थी और मैं समझता हूं कि सदन इस पर निर्णय ले चुका है ।

सभापति महोदय : जहां तक मुझे मालुम है कोई निर्णय नहीं लिया गया था । बहसें सुनी गई थीं । हम इस परिणाम पर पहुंचे थे कि केवल सम्पदा शुल्क अधिकारी होने चाहियें । प्रासंगिक रूप से हमने यह विचार भी स्वीकार किया था कि सम्पदा शुल्क अधिकारी अपीलें भी सुनेंगे । कोई निश्चयात्मक निर्णय नहीं लिया गया था । हमारा वर्तमान निर्णय पूर्व निर्णय के विरुद्ध नहीं हो सकता । लेकिन जहां तक विचार विमर्श का सम्बन्ध है, यह सदस्यों की पसन्द पर निर्भर है । मैं तो उनको केवल यह सलाह दे रहा हूं कि उसी विषय पर फिर से समय नष्ट करना उचित नहीं है । अब मैं संशोधनों पर आता हूं ।

इसके उपरांत श्री तुलसीदास, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री बनर्जी, श्रीमती सुषुमा सेन (भागलपुर दक्षिण), श्री मूलचन्द दुबे, श्री राघवाचारी ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २९ पर

(१) पंक्ति २१ के बाद निम्न शब्द निविष्ट किये जायें :

"(5) The Board of valuers may in disposing of any case referred to it hold or cause to be held such enquiry as it thinks fit and after giving the Appellant and the controller an opportunity of being heard pass such orders thereon as it thinks fit and shall forward a copy of such order to the Appellant and the Controller." and

[" (५) मूल्यांकन कर्ता मण्डल उसको निर्दिष्ट किये गये किसी मामले में, चाहे तो एक ऐसी जांच कर सकता है अथवा करवा सकता है जो वह उचित समझे और अपीलार्थी तथा नियंत्रक को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद उस पर ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो वह उचित समझे और ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि अपीलार्थी तथा नियंत्रक को भेजेगा ।"] और

(२) पंक्ति २२ में "(५)" के स्थान पर "(६)" अदिष्ट किया जाये ।

श्री तुलसीदास : मेरा पृष्ठ २८ पंक्ति ४७ और ४८ से सम्बन्धित जो संशोधन है वह स्थिति को और स्पष्ट करने के लिये है । मैं यह चाहता हूं कि अपीलें केवल दिये गये दण्ड प्रश्न के विरुद्ध न हों, बल्कि वह इस अधिनियम की किसी भी धारा

[श्री तुलसी दास]

के आधीन नियंत्रक के किसी भी आदेश, निर्धारण, निर्णय व दण्ड देने के विरुद्ध हो। मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री बनर्जी : मुझे केवल यही निवेदन करना है कि लोगों के दिमाग़ से भय को दूर करने के लिये और उन को यह विश्वास दिलाने के लिये कि उनके साथ उचित और निष्पक्ष न्याय होगा अपीलें किसी न्यायाधीश अथवा स्वतन्त्र न्यायाधिकरण के पास जानी चाहिये। ऐसा न्यायाधीश चाहे ज़िला न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। लेकिन हम यह चाहते हैं कि वे व्यक्ति ऐसे हों जो किसी भी प्रकार राजस्व मंडल के आधीन न हों।

श्रीमती सुषुमा सेन : मेरे विचार से यह अत्यंत आवश्यक है कि "मण्डल" के स्थान पर एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण हो जिस में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीश हों। ऐसा करने से लोगों का सरकार में अधिक विश्वास बना रहेगा और सरकार आलोचना से परे रहेगी। इसी उद्देश्य से मैंने अपना संशोधन रखा है।

श्री राघवाचारी : मेरा बहुत छोटा सा संशोधन है। खण्ड ६१ के उपखण्ड (४) की पंक्ति १५ से आगे लिखा है:

"परन्तु शर्त यह है कि यदि कोई अपील कर्त्ता किये गये निर्देश में सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सफल होगा तो अपील कर्त्ता को कितना व्यय उठाना पड़ेगा यह बोर्ड की इच्छा पर निर्भर होगा।"

दूसरी जगह इस बात का निश्चय किया जा चुका है कि उसे लागत व्यय देना चाहिये। किन्तु यह उस मनुष्य के सफल होने पर बोर्ड की इच्छा पर निर्भर होगा। किन्तु यहां यह दिया हुआ है कि उसे कितना व्यय उठाना पड़ेगा। मेरा यह कहना है कि "borne by" ("उसे उठाना पड़ेगा") के स्थान पर "paid to" ("उसे दिया जायेगा") ये शब्द आदिष्ट कर दिये जायें। मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति अपने निर्देश में सफल हो जाये तो उसे कितना लागत व्यय मिलना चाहिये इस का निश्चय बोर्ड की इच्छा पर निर्भर होना चाहिये। बोर्ड उस के प्रार्थनापत्र को रद्द भी कर सकता है। अतः "उसे उठाना पड़ेगा" के स्थान पर "उसे दिया जायेगा" होना चाहिये।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं सब से पहिले संशोधन संख्या १७८ का समर्थन कर रहा हूं और मेरा माननीय सदस्यों से हार्दिक अनुरोध है कि वे इसे स्वीकार कर लें।

श्रीमान्, क्या आप एक मिनट के लिये खण्ड ६१ को देखने की कृपा करेंगे?

सभापति महोदय : मैं ने उसे देख लिया है।

श्री एन० सी० चटर्जी : कोई भी व्यक्ति, जिसे नियंत्रक द्वारा किये गये मूल्यांकन या निर्धारित सम्पदा शुल्क पर आपत्ति हो, ९० दिन के अन्दर बोर्ड से अपील कर सकता है। दूसरे, कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी सम्पत्ति पर देय शुल्क के दायित्व से इन्कार हो बोर्ड से अपील कर सकता है। तीसरे, कोई भी व्यक्ति, जिसे नियंत्रक द्वारा धारा ५४ के अधीन लगाये गये किसी दण्ड पर आपत्ति हो, बोर्ड से अपील कर सकता है।

श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि यह न्याय नहीं है। आप नियंत्रक को बहुत अधिक अधिकार दे रहे हैं, अतः यदि आप उस के निश्चयों के विरुद्ध बोर्ड से अपील करने का

अधिकार नहीं देते तो इस से भारी हानि हो सकती है। मान लीजिये कि खण्ड ६ के अधीन कोई व्यक्ति मृत्यु से दो वर्ष पूर्व सद्भावपूर्वक कोई उपहार देता है और दान-ग्रहीता उस पर अधिकार भी कर लेता है। किन्तु नियंत्रक कहता है कि मैं इस उपहार को सद्भावपूर्वक दिया हुआ नहीं मानता और वह उस सम्पत्ति का शुल्क ले लेता है। क्या यह मामला इस के अन्तर्गत आ सकता है? इस का मूल्यांकन तो ठीक है। इस में मूल्यांकन पर आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं है। मुझे तो नियंत्रक के आदेश या इस निश्चय पर आपत्ति है कि यह उपहार सद्भाव से नहीं किया गया है। ये सब विवादास्पद प्रश्न हैं। यदि नियंत्रक यह निश्चय करे कि यह उपहार सद्भाव से नहीं किया गया है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अतः न्याय यही है कि मुझे बोर्ड के समक्ष अपील करने का अवसर दिया जाये। कोई स्वतंत्र न्यायाधिकरण तो इस के लिये है ही नहीं, किन्तु उस आदेश के बिरुद्ध अपील का द्वार तो बन्द न कीजिये।

अच्छा, जरा खण्ड १० को लीजिये : "जब कभी ऐसे उपहार दिये जायें जिन में दानी को पूर्णतया अलग न किया गया हो"। मान लीजिये कोई दानी कहता है, "मैं ने अपनी पुत्री को कुछ सम्पत्ति उपहार में दी है और वह उस में रहती है, परन्तु मैं भी कभी कभी उस में रह लेता हूं।" मान लीजिये नियंत्रक कहे : "मैं देखता हूं कि दानी को पूर्णतया अलग नहीं किया गया है," तो इस में मूल्यांकन का कोई प्रश्न नहीं उठता। अतः मेरा यह निवेदन है कि इस में यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि सम्पत्ति के परिमाण के विषय में नियंत्रक द्वारा किये गये निश्चय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है।

श्री गाडगील : सम्पदा शुल्क के निर्धारण में यह सब कुछ आ जाता है।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरा यह निवेदन है कि श्री तुलसीदास 'नियंत्रक के किसी आदेश, निर्धारण या निश्चय या अर्थदण्ड का आरोपण' ये शब्द रखवाना चाहते हैं। ये प्रश्न अर्थात् स्वत्वों को सुरक्षित रख कर समझौता करना, समवायों द्वारा संयुक्त नियोजन पत्रों का रखना इत्यादि बड़े कठिन हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इन सब बातों को मानता हूं, किन्तु मैं माननीय सदस्य से पूछता हूं कि क्या यह भाषा उन की भाषा से अधिक व्यापक नहीं है? मैं माननीय सदस्य की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने ने जिन बातों का उल्लेख किया है उन के सम्बन्ध में अपील करने का अधिकार अवश्य होना चाहिये और यदि वे इन तीन श्रेणियों अर्थात् गणना करने योग्य, निर्धारण या मूल्यांकन में नहीं आतीं, तो निश्चय ही हमें इन के सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये। मैं तो केवल विलम्बकारी चालों से बचना चाहता हूं जिस से कि सभी प्रकार के आदेशों पर आपत्ति की जा सकती है और उस मामले को स्थगित किया जा सकता है। सिद्धान्त रूप में हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि इस खण्ड में किस बात का उपबन्ध होना चाहिये। मैं माननीय सदस्य से केवल इस बात पर विचार करने के लिये कह रहा हूं कि क्या ये शब्द पर्याप्त व्यापक नहीं हैं। यदि मुझे यह विश्वास दिला दिया जाये कि यह कोई विलम्बकारी चाल नहीं है तो मैं इस खण्ड ६१ के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण को मानने के लिये तैयार हूं।

श्री गाडगील : यदि स्थगित कराने की आवश्यकता होगी तो उस की भी अपील हो सकेगी।

सभापति महोदय : 'आदेश' शब्द तो बहुत व्यापक होगा।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरा यह उद्देश्य नहीं था ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह जानता हूं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरा यह अभिप्राय है कि नियंत्रक के निश्चय से उत्पन्न सभी बातों के सम्बन्ध में अपील का अधिकार होना चाहिये । आप 'आदेश' शब्द को हटा दें और शेष को रहने दें । तो इस का अर्थ न्यायनिर्णय हो जायेगा ।

सभापति महोदय : हमें अपील का उपबन्ध तो करना चाहिये, किन्तु इस के साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि इन उपबन्धों का दुरुपयोग न हो ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यह बिल्कुल ठीक है । बोर्ड उस अपील को स्वीकार या रद्द कर सकता है । यदि बोर्ड को अपीलीय अधिकारी बना दिया जाय तो दुरुपयोग का अवसर बहुत कम मिलेगा । मैं मानता हूं कि छोटे छोटे मामलों की अपील नहीं हो सकनी चाहिये, केवल बड़े बड़े निश्चयों की ही अपील होनी चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं समझता हूं कि हमें 'निर्धारण या निश्चय या (अर्थ) दण्ड का आरोपण' ये शब्द रख देने चाहियें ।

श्री टेक चन्द : खण्ड ६१ में तीन बातें हैं जिन की सूक्ष्म परीक्षा होनी चाहिये । एक बात का तो मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने उल्लेख किया है ।

इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त को स्मरण रखना चाहिये कि विवादास्पद विषयों में प्रथम न्यायालय ही अन्तिम न्यायालय नहीं होना चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि नियंत्रक को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी जानी चाहिये जिस की अपील बोर्ड में न हो सके । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड या अपीलीय अधिकारी को यह अधिकार होना चाहिये कि यदि वह ठीक समझे तो किसी विवादास्पद प्रश्न पर नियंत्रक के आदेश को पलट सकता है । यह तो एक बात हुई ।

मेरी दूसरी बात वह है जिसे कि मेरे माननीय मित्र श्री राघवाचारी ने पृष्ठ २९ की पंक्ति १७ के सम्बन्ध में उठाया है । आप ज़रा उस की भाषा को देखिये "..... अपीलकर्त्ता द्वारा सहन किये गये, बोर्ड की इच्छा पर निर्भर होगा ।" यह अपीलकर्त्ता सरकार या साधारण नागरिक में से कोई भी हो सकता है । यदि किसी सम्पत्ति का मूल्य कम आंका गया हो तो सरकार भी उस के विरुद्ध अपील कर सकती है । और अपीलकर्त्ता या प्रतिवादी दोनों में से कोई भी सफल हो सकता है । यदि अपील कर्त्ता पूर्णतया सफल हो तो उसे पूरा खर्च मिलना चाहिये; यदि वह आंशिक रूप से सफल हो तो उसे उस के अनुपात से खर्च मिलना चाहिये । परन्तु मैंने किसी सफल पक्ष को कभी दूसरे का व्यय उठाते नहीं सुना । इस में 'अपीलकर्त्ता' शब्द रखा गया है । अतः इस पर दो आपत्तियां हो सकती हैं । एक तो यह कि विजयी पक्ष को पराजित पक्ष का व्यय उठाना पड़ेगा । यह अन्यायपूर्ण है । दूसरा आप प्रतिवादी को सफल होने पर भी खर्च प्राप्त करने से वंचित कर देते हैं । अतः उचित उपबन्ध यही है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को व्यय को वितरित करने या सफल पक्ष को सम्पूर्ण या अनुपात से या बिल्कुल ही देने का अबाध अधिकार मिल जाना चाहिये ।

मेरी तीसरी बात श्रीमती सुषुमा सेन ने अपने संशोधन में उठाई है । आप अपने अपीलीय न्यायाधिकरण को 'न्यायाधिकरण' कहें या 'अपीलीय न्यायालय' कहें या 'अपीलीय बोर्ड' का नाम दे दें, चाहे जिस नाम से भी पुकारें इस की कोई बात

नहीं। किन्तु प्रश्न यह है कि बोर्ड के सदस्य कौन हों, उन की अर्हतायें क्या हों? क्या बोर्ड में कोई न्यायिक अर्हताओं का व्यक्ति होना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि यदि सरकार अपीलीय न्यायालय को एक न्यायिक निकाय के समान बनाने के सुझाव को मानने के लिये तैयार न हो तो उसे कम से कम केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उस की योग्यता वाले व्यक्ति को तो रख ही लेना चाहिये जिस से कि विधि सम्बन्धी सूक्ष्मताओं को समझने में सरलता हो सके।

आल इंडिया रिपोर्टर, कलकत्ता के पृष्ठ ६५६ पर १९५२ में प्रकाशित विख्यात सूरजमल के मामले में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायपति हैरिस और न्यायपति श्री बनर्जी के डिवीजन बैंच ने अपने निर्णय में विभागीय अपीलों की प्रवृत्त की तीव्र निन्दा की है और इसे सीज़र की सीज़र से अपील बताया है। अतः इन विद्वान्न्यायाधीशों की इस आपत्ति को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बोर्ड में रखना अच्छा ही होगा। यही बीच का मार्ग है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर लेंगे।

सभापति महोदय : अब सदन की बैठक स्थगित होती है।

इस के बाद सदन की बैठक शुक्रवार, ११ सितम्बर, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

———